पंचम माला, खंड 55, अंक 5, शुक्रवार, 9 जनवरी 1976/19 पौष, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. IV, No. 5, Friday, January 9, 1976/Pausa 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खण्ड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

पंचम माला, खंड 55, अंक 5, शुक्रवार, 9 जनवरी, 1976/
19 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series Vol.LV No.5, Friday, January 9, 1976/
Pausa 19, 1897 (Saka)

लोक सभा वाद विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ संख्या में पंक्ति 7 के बाद अतः श्री दीनेन भट्टाचार्य के नाम के बाद पढ़िये :

"श्री नरसिंह नारायण पांडे Shri Narsingh Narain Pandey"

विषय सूची
CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 9 जनवरी, 1976/19 पौष, 1897 (शक)

No. 5, Friday, January 9, 1976/Pausa, 19, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62, 66, 67, 69 71 से 73 और 75	Starred Questions Nos. 61, 62, 66, 67, 69, 71 to 73 and 75	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 63 से 65, 68, 70, 74 और 76 से 80	Starred Questions Nos. 63 to 65, 68, 70, 74 and 76 to 80	17—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 323 से 371, 373, 374, 376 से 389 और 391 से 425	Unstarred Questions Nos. 323 to 371, 373, 374, 376 to 389 and 391 to 425. .	24—78
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	78—84
रेल अभिसमय समिति—	Railway Convention Committee—	
(एक) कार्यवाही सारांश	(i) Minutes	85
(दो) ग्यारहवां प्रतिवेदन	(ii) Eleventh Report	85
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति— बारहवां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances— Twelfth Report . .	85
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
182 वां और 184 वां प्रतिवेदन	Hundred and eighty second and Hundred and eighty-fourth Reports . . .	85—86
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— 76 वां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings— Seventy-sixth Report	86
सभा का कार्य	Business of the House . . .	86—87
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1973–74	Demands for Excess Grants (General), 1973-74	87—88
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1975–76	Supplementary Demands for Grants (General), 1975-76	88—90
आयात, और निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Imports and Exports (Control) Amendment Bill—Introduced	90

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक हैं कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
आयात और निर्यात (नियंत्रण) अध्यादेश के बारे में विवरण—	Statement re Imports and Exports (Control) Amendment Ordinance—	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh .	91
निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक	Election Laws (Extension to Sikkim) Bill	91
निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re Election Laws (Extension to Sikkim) Ordinance	91
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक पुरःस्थापित	Beedi Workers Welfare Cess Bill—Introduced	91—99
बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक पुरःस्थापित	Beedi Workers Welfare Fund Bill—Introduced	92
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address	92—97
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	92—99
आयकर (संशोधन) विधेयक—	Income-tax (Amenment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	99—101
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	99—100, 101
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	100
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	100—101
श्री इराज्मु द सेकेरा	Shri Erasmo de Sequeira	101
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	101—102
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	102
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक—	Delhi Development (Amendment) Bill —	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	102
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat .	102, 104
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	102
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	102—103
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	103
श्री इराज्मु द सेकेरा	Shri Erasmo de Sequeira	103
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	104
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	104

विषय	SUBJECT	PAGES
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक--	Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	104
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	104—105
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	105
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	105—106
श्री इराज्मु द सैंकेरा	Shri Erasmo de Sequeira .	106—107
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Members' bills and Resolutions—	
57वां प्रतिवेदन	Fifty-seventh Report . . .	107
विधेयक पुरःस्थापित--	Bills introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन के द्वारा	(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 74 and 163) by Shri C. K. Chandrappan	107—108
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 342क का अन्तःस्थापन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन के द्वारा	(2) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 342A) by Shri C.K. Chandrappan	108
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन के द्वारा	(3) Constitution (Amemdment) Bill (Amendment of article 324) by Shri C.K. Chandrappan	108
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81 और 82 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन के द्वारा	(4) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 81 and 82) by Shri C. K. Chandrappan	109
(5) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 24 का संशोधन) श्री शक्ति कुमार सरकार के द्वारा	(5) Advocates (Amendment) Bill (Amendment of section 24) by Shri Sakti Kumar Sarkar	109

विषय	SUBJECT	PAGES
(6) अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा विधेयक श्री सी० के० चन्द्रप्पन के द्वारा	(6) Compulsory Adult Education Bill by Shri C.K. Chandrappan . . .	109—110
(7) शिशु, छात्र तथा युवजन (अधिकार और कल्याण) विधेयक श्री सी० के० चन्द्रप्पन के द्वारा	(7) Children, Students and Youth (Rights and Welfare) Bill by Shri C. K. Chandrappan	110
(8) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (निरसन) विधेयक, श्री इराज्मु द सेकेरा के द्वारा	(8) Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill by Shri Erasmo de Sequeira . .	110—111
संविधान (संशोधन) विधेयक—	Constitution (Amenement) Bill—	
(अनुच्छेद 80 का संशोधन और चौथी अनुसूची का लोप) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी—वापस लिया गया	(Amendment of article 80 and ommission of Fourth Schedule) by Shri Dinesh Chandra Goswami—Withdrawn . . .	111
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	111—116
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	111—112
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	112
श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P.G. Mavalankar . .	112—113
श्री इराज्मु द सेकेरा	Shri Erasmo de Sequeira . .	113—114
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata . .	114—115
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad . .	115
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 22, 32 आदि का संशोधन), श्री दीनेन भट्टाचार्य के द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 22, 32, etc. by Shri Dinen Bhattacharyya	117—118
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	117—119
श्री नरेन्द्र कुमार पी० साल्वे	Shri N.K.P. Salve . . .	118
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	118—119

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्बिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री डी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर. श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नूरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठ्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 9 जनवरी, 1976/19 पौष, 1897 (शक)
Friday, January 9, 1976/Pausa 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करने की योजना

†61. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करने की योजना से सिनेमा कलाकारों, अधिवक्ताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा बड़े-बड़े व्यवसाइयों से बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्रित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में देय आयकर का हिसाब कोई 246 करोड़ रु० से ऊपर बैठता है, जिसमें से 150 करोड़ रु० से अधिक रकम वसूल हो चुकी है । व्यवसाय-वार अथवा व्यापार-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे गये हैं । इसके अलावा, जिस अन्तिम कर-निर्धारण वर्ष के लिए धन की घोषणा की गयी है, उसके सम्बन्ध में, स्वेच्छा से घोषित आय का 5 प्रतिशत और धन का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बाण्ड 1985, में लगाया जाना है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वांचू समिति द्वारा लगाये गये अनुमान के अलावा कम से कम अनुमान के अनुसार भी देश में 4000 करोड़ रुपये का काला धन है जो 40,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय का 1/10 भाग है । क्या सरकार यह बतायेगी कि इतने कर अपवंचकों को बेईमानी के लिए जानबूझ कर तथा लगातार क्यों प्रोत्साहन दिया गया और नियमित

करदाताओं की तुलना में उनके साथ नम्र व्यवहार क्यों किया गया और क्या संसद् को इस बात के लिए स्पष्ट आश्वासन मिलेगा कि हाल की बहुचर्चित तलाशियों और जब्तियों के दौरान बताये गये धन तथा आय को स्वेच्छा से प्रकट किये गये धन में शामिल नहीं किया जायेगा और यह कानूनी रूप से कर-निर्धारण तथा जुर्माने से नहीं बच सकेगा।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक देश में काले धन की मात्रा का सम्बन्ध है, सभा को मालूम है कि इस प्रश्न पर वांचू समिति ने विचार किया है। परन्तु इस योजना का उद्देश्य, जैसा कि बताया गया है, नागरिकों के बहुत बड़े वर्ग को सही रास्ते पर आने का अवसर देने तथा अर्थ-व्यवस्था को स्वच्छ बनाना है। यह सही है कि देश में काला धन है और काले धन का परिचालन अर्थ व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही है और हमने बहुत से उपाय किये हैं जिनमें कर सम्बन्धी कानूनों को सुदृढ़ और प्रक्रिया को सुचारू बना कर तलाशी, जब्ती और छापे मारने के कार्य को तेज करना शामिल है। इसके साथ-साथ इस वातावरण में कर-अपवंचकों को अवसर देना वांछनीय पाया गया है और सही रास्ते पर आने के लिए कर-अपवंचकों के लिए यह अन्तिम अवसर है। इसके साथ-साथ जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है कि जिन व्यक्तियों के परिसरों पर छापा मारा गया है वे योजना की धारा 14(1) के अधीन स्वेच्छा से धन प्रकट करने के अवसर से लाभ उठा सकते हैं। मुझे यह भी कहना है कि आय-कर विभाग द्वारा काले धन की उत्पत्ति और परिचालन को रोकने के लिए जब्ती तथा अन्य उपाय जारी रहेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी मन्त्री जी के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि वह इन लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें रियायत के बाद रियायत देना आवश्यक समझा गया जैसे कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अधीन समपहरण और जुर्माने से छूट देना, स्थावर सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए सभी कोर्ट कार्यवाहियों को रोकना, घोषित आय के स्वरूप और स्रोत प्रकट करने, घोषित आस्तियों की वर्तमान मूल्य के बजाय अर्जन करने के समय के मूल्य पर कर लगाने को छूट और घोषणा करने वाले लोगों के द्वारों को कोई चुनौती न देना। दी गई इन सभी रियायतों और इस सम्बन्ध में हुए बहुत कम काम को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्थिति की फिर से जांच करना और प्रस्तावित कार्यवाही को सुनिश्चित करना अपनी ड्यूटी समझेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सभी रियायतें नई नहीं हैं। कुछ नई हो भी सकती हैं। हमें 1951 और 1965 में योजना के लागू होने का कुछ अनुभव है। अतः योजना को सफल बनाने हेतु हमें कुछ रियायतें देनी पड़ीं। जब अध्यादेश सभा के समक्ष आयेगा तो हमें विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मुझे पता नहीं कि क्या प्रकट की गई 1529 करोड़ रुपये की आय बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा है कि देश में परिचालित काले धन की कुल मात्रा के सम्बन्ध में अनुमान ही तो लगाया गया है।

Shri Nawal Kishore Sharma : Mr Speaker, Sir, I want to congratulate the Government and the Minister for the success they achieved in the Voluntary Disclosure Scheme. It is correct that there is still large amount of black money but I would like to know the implications of the statement appearing in the press through which Voluntary Disclosure Scheme is still being encouraged. I want to know whether no legal action will be taken against the persons disclosing such income under this scheme ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा कि मैंने रेडियो पर बताया है और जो बाद में समाचार पत्रों में भी आया है कि कर सम्बन्धी कानूनों के वर्तमान उपबन्धों के अधीन प्रकटन योजना अब भी है । यदि कर-दाता कर-प्राधिकारियों से सहयोग करता है और छुपी आय तथा धन को स्वेच्छा से प्रकट करता है तो अधिकारियों के पास उन्हें विभिन्न प्रकार के जुर्मानों तथा मुकदमे सम्बन्धी कार्यवाही से छूट देने का स्वैच्छिक अधिकार हैं । परन्तु उन्हें प्रचलित दरों पर कर देना होगा । करों की वसूली के बारे में मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि प्रकट की गई आय और धन पर देय 246 करोड़ रुपये के करों में से 154 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : वांचू समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए गत जुलाई सत्र में पास किये गये कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 का वास्तविक उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति तथा बढ़ोतरी को रोकना था । उस अधिनियम में जहां तक जुर्माने, मुकदमे आदि का सम्बन्ध है, कानून बहुत कड़ा बनाया गया था । उसके तुरन्त बाद स्वेच्छया प्रकटन योजना लाई गई जो लोक लेखा समिति की पूर्व सिफारिशों कि इस प्रकार की योजना नहीं लानी चाहिये क्योंकि यह ईमानदार-व्यक्ति के लिए दण्डनीय हो जाती है, के बिल्कुल विपरीत थी । एक ओर इतना कड़ा कानून है और दूसरी ओर हम एक ऐसा विधान बनाते हैं जो बेईमानी को प्रोत्साहन देता है । क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या कर सम्बन्धी कानून को युक्तियुक्त बनाना आवश्यक है ताकि बेईमान लोगों को ईमानदारी से कर देने वालों की तुलना में प्रोत्साहन न दिया जा सके ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : महोदय, बजट से पूर्व कर सम्बन्धी ढांचे के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : इन लोगों को दिये गये सभी प्रकार के कानूनी परामर्शों तथा अधिकाधिक अवसरों के बावजूद भी यदि वे अपनी आय प्रकट नहीं करते तो क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि इन कानूनों तथा परामर्शों को एक तरफ रखते हुए क्या सरकार देश में इन समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ छापे मारेगी? सरकार अब क्या करना चाहती है? अवधि को और नहीं बढ़ाया जाना चाहिये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा कि मैंने पहले बताया है, 31 दिसम्बर अन्तिम तारीख थी और हमने स्पष्ट कर दिया था कि समय और नहीं बढाया जायेगा यदि वे स्वयं नहीं आते तो हमें उनके घरों पर जाना होगा अत: मैंने बताया है कि विभिन्न प्रकार के उपाय चलते रहेंगे । छापे तथा जब्त करने के कार्य चलते रहेंगे ।

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether Government propose to take certain further effective steps to unearth black money ? I would like to know the difficulty being faced by Government in demonitising the one hundred rupee notes, further whether Government propose to do so as it will help unearth more and more black money ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक विमुद्रीकरण का सम्बन्ध है इसके बारे में अनेक बार सदन में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार का विमुद्रीकरण करने का कोई विचार नहीं है । इसके साथ ही माननीय सदस्यों द्वारा जो विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि संसद द्वारा हाल ही के मौनसून सत्र में जो कराधान कानून सम्बन्धी संशोधन पारित किये गये थे उनसे विभाग के हाथ काफी मजबूत हो गये हैं और यहां तक कि कानून सम्बन्धी स्थिति भी मजबूत हो गई है । मैं एक का उल्लेख भी कर सकता हूं । सजा बढ़ा दी गई है और न्यायालयों की स्वेच्छा पहले से घट गई है ।

ब्रिटेन द्वारा भारत से कपड़े का आयात

†62. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से कपड़े का आयात करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के बैंक आफ इंग्लैण्ड के हाल ही के निर्णय से भारत से कपड़े का आयात वस्तुतः बन्द हो गया है और कपड़े के व्यापार में अव्यवस्था पैदा हो गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस के कारणों का अनुमान लगाया है या इसके कारण पूछे हैं ; और ;

(ग) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ब्रिटेन को निर्यात स्थगित नहीं किये गये हैं लेकिन वस्त्र निर्यात व्यापार के कुछ क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयों मुख्यतः प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों का अनुभव किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले पर ब्रिटेन सरकार के साथ बातचीत की गई है तथा शीघ्र ही अनुकूल निर्णय होने की आशा है ।

श्री राजदेव सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां क्या हैं और क्या ऐसा इसलिये है कि ब्रिटेन जो भारत से प्रतिवर्ष लगभग 2000 लाख वर्गमीटर कपड़ा मंगवाता है उसने वर्ष के पहले छः महीनों में केवल 50 लाख वर्गमीटर कपड़े का ही आर्डर दिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई यही थी कि बैंक आफ इंग्लैण्ड ने ब्रिटेन सरकार की मंजूरी से अपने बैंकों को इस आशय का परिपत्र जारी किया था कि निर्यात लाइसैंस जारी किये जाने के उपरान्त ही ऋण पत्र भेजे जाने चाहिये । इसके परिणामस्वरूप हथकरघा उद्योग के लिये यह समस्या खड़ी हो गई क्योंकि ब्रिटेन में निर्यात लाइसैंस तभी जारी किया जाता है जब कि भारत की सूती वस्त्र समिति ने प्रमाणपत्र दे दिया हो । और यह प्रमाणपत्र वस्त्रों के निरीक्षण के उपरान्त उस समय जारी किया जाता है जब कि वह जहाजों में लदान के लिए तैयार हो । इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो गई । हाल ही में एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल की अपने ब्रिटेन के समकक्षी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और वह इस बात पर सहमत हो गये हैं कि किये जा चुके करारों के लिये लाइसैंस जारी कर दिये जायेंगे । हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में ब्रिटेन सरकार द्वारा शीघ्र ही अपने सहकारी निर्णय की घोषणा कर दी जायेगी और जिससे यह समस्या सुलझ जायेगी ।

जहां तक निर्यात की मात्रा का सम्बन्ध है, उस के बारे में मैं यही समझता हूं कि और अधिक प्रतिबन्ध इसलिये नहीं लगाये गये हैं कि हमने करार किये गये पूरे कोटे का निर्यात नहीं किया । तथ्य तो यह है कि अन्य देशों से भी बड़ी मात्रा में आयात हुआ है और इसके फलस्वरूप ब्रिटेन सरकार को कुछ रक्षात्मक कार्यवाही करनी पड़ी जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा ।

श्री राजदेव सिंह : क्या आयात के विरोध म ब्रिटेन के सूतीवस्त्र उत्पादकों द्वारा आन्दोलन किया गया था और इस देश से किये जाने वाले निर्यात में होने वाले बिलम्ब से उन्हें आन्दोलनकारियों को सन्तुष्ट करने तथा आयात नियंत्रित करने का बहाना मिल गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, यह ठीक है कि ब्रिटेन में आन्तरिक दबाव पड़ा परन्तु यह दबाव इसलिये नहीं पड़ा कि अन्य देशों से कम निर्यात किया गया। अनेक देशों द्वारा अधिक निर्यात किया जा रहा है जिसके कारण देश के उद्योग को क्षति हो रही है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों के भ्रम का निवारण कर दूं। सम्भवत: उन्हें यह भ्रम हो गया है कि कहीं कोटा पूरा न किया जाने के कारण यह किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसका विस्तृत ब्यौरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपने दे दिया है।

स्टैण्डर्ड कपड़े की कीमत में वृद्धि करने का निर्णय

*66. **श्री सरजू पाण्डे**

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने स्टैण्डर्ड कपड़े की कीमत में वृद्धि करने और सस्ते कपड़े का उत्पादन बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) स्टैण्डर्ड कपड़े की कीमत में वृद्धि का कोई फैसला नहीं किया गया है। जिन मिलों के बारे में यह साबित हो गया कि उनकी हालत कमजोर है उनमें कपड़ा इकट्ठा हो जाने और उसके फलस्वरूप उनके चलने से होने वाली बचत पर प्रभाव पड़ने के कारण उनमें नियंत्रित कपड़े का उत्पादन फिलहाल रोक दिया गया है।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the hon. Minister that there is no more to chance the price of standard cloth. Secondly, he has also stated that the production of the controlled cloth has been suspended because of accumulation of Cloth. But sir, still there is scarcity of controlled cloth all around and this can be said with more certainly about Uttar Pradesh. On the other hand mill-owners are stating that sufficient stock has piled up with them. I want to know from the Government why is it happening like that ? Why the controlled cloth is not being sent to villages ? By saying so the mill-owners want to pressurise the Government because of little margin of profit on standard cloth.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कपड़ा बेचने की दुकानों में वृद्धि करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। जहां तक ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कपड़ा बेचने की दुकानों की संख्या का प्रश्न है उनमें वृद्धि कर दी गई है। सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप कपड़ा बेचने वाली दुकानों की संख्या जो जून, 1974 को गांवों में 15,420 तथा नगरों में 3,549 थी, वह मार्च, 1975 तक बढ़ कर क्रमश: 21,654 तथा 6,214 हो गई।

Shri Sarjoo Pandey : Is it correct that mill-owners are coming out with wrong excuse of having accummulation of controlled cloth with them, so that Government may ask them to suspend its production ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं सरकार ने सस्ते कपडे के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई है और कपड़ा उद्योग अभी भी सस्ते कपड़े का उत्पादन करने के लिए बाध्य हैं । केवल कुछ कमजोर तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को ही, उनकी विशेष वित्तीय परिस्थितियों के कारण ही कुछ समय के लिये सस्ते कपड़े का उत्पादन रोक देने के लिये कहा गया है ।

श्रीमती रोजा देशपाँडे : क्या यह ठीक है कि सस्ता कपड़ा इतना घटिया होता है कि लोग उसे खरीदने से इंकार कर देते हैं और क्या सरकार लोगों को सस्ते दामों पर ऐसा अच्छा कपड़ा दिलवाने पर विचार कर रही है जिसे वह खरीद ले और विशेष रूप से राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कपड़ा इकटठा न हों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सस्ते कपड़े के बारे में मार्च, 1975 से पहले हमारे पास कुछ शिकायतें आई थीं और उसके बाद कपड़े की किस्म अच्छी कर दी गई । अप्रैल, 1975 में सस्ते कपड़े का स्टाक 1535 लाख वर्ग मीटर था जो कि सितम्बर में घटकर 1168.7 लाख वर्ग मीटर रह गया है । इससे यह मालूम होता है कि कपड़े की अच्छी किस्म लोगों को पसंद आई है । जहां तक सस्ते कपड़े के मूल्यों तथा इसे सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने का सम्बन्ध है, इसके लिये मराठे समिति का गठन किया गया है जो इसका अध्ययन कर रही है । हमने समिति से शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है .

Shri Ram Singh Bhai : May I know if the attention of the Government has been drawn to the fact that the standard of 40 rced and 40 Peck which has been laid down for standard cloth and against this the cloth of 36 reeds, 31 Peck is being manufactured and it is because of this reason that it is not being purchased by people and its stock is piling up ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कपड़े की किस्म में सुधार किये जाने के बाद, अब यह कपड़ा उपभोक्ताओं को अधिक स्वीकार्य हो गया है ।

श्री पी० एम० मेहता : एक महीने के लिये मोटे तथा सस्ते कपड़े के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों तथा अन्य कमजोर मिलों को रियायतें दिये जाने के निर्णय के बाद कपड़े का कितना उत्पादन हुआ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1 अप्रैल, 1974 को सस्ते कपड़े के 80 लाख वर्ग मीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था । जहां तक वर्तमान उत्पादन का सम्बन्ध है, उस के नवीनतम आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । यह जानकारी प्राप्त होने पर, सदस्य महोदय को दी जा सकती है ।

Shri Genda Singh : May I know if this fact is within the knowledge of the Government that controlled cloth despite being of bad quality, is not made available o consumers and is sold in black market ? May I also know if Government will set right its distribution machinery so that controlled cloth could be made available to the people for whom it is produced ? It is winter now-a-days. Lakhs of people are longing for clothes but they are not getting it We are just disicussing these things while sitting in Delhi but and when we visit our constituenncies only then we understand that there is a lot of difference between the real situation and the

answers given by the hon. Minister. The Hon. Minister hails from a village and that is why I am requsting him that he should visit the village so as to understand the difference between the administration of State and that of the Centre. Every thing is hotchpotch ringe. May I know if Government will take any measures to set right the things? May I further know if the Central Government will make any arrangement for the distribution of controlled cloth in the villages?

Shri Vishwanath Pratap Singh : Sir, some guidelines have been issued by Central Government to State Governments for the distribution of controlled cloth. To ensure the distribution of cloth to the people, and as the hon. Member desires, the distribution is done on the basis of ration cards and is done to those whose income is less than Rs. 400. These guidelines ensure that this cloth is distributed in semi-urban cities where the population is more than 15 to 20 thousand. Government shares the hon. Member's concern and every effort is made to provide maximum cooperation to states.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का विदेशी कम्पनियों पर प्रभाव

***67. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विदेशी कम्पनियों पर पड़ने वाले प्रभाव का पुनर्विलोकन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसमें और परिवर्तन करके विदेशी साम्य पूंजी कम करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां तो उसका निर्यात से होने वाली आय पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क), (ख) और (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत आने वाली विदेशी कम्पनियों के आवेदनपत्रों के बारे में कार्यवाही, उक्त अधिनियम की उक्त धारा के प्रशासन के लिये जारी किये गये हैं निर्देशों के अनुसार की जाती है। इन निर्देशों की एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को लोक-सभा पटल पर रख दी गई थी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 विषयक निदेशों के प्रवर्तन की समीक्षा सरकार द्वारा लगातार की जाती रहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अधिनियम के समूचे उद्देश्यों को देखते हुये उक्त निर्देशों में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति उन कंपनियों में विदेशियों द्वारा धारित इक्विटी पूंजी को घटाकर 40 प्रतिशत कर देना बताया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी कम्पनियों को विदेशीपूंजी घटाने सम्बन्धी भेजे गए प्रस्तावों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई है और यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : लगभग दो वर्ष हुए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए गए थे और तब से सरकार के ध्यान में अनेक क्रियात्मक गतिविधियां आई हैं। इसके अलावा उन्हें विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य अभिकरणों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अतः हाल में सरकार ने इन सभी मामलों पर विचार किया है

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं नहीं जानता कि क्या आप खुश हैं या.....

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कौन सी प्रतिक्रिया ?

अध्यक्ष महोदय : आप दुबारा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : रिजर्व बैंक चाहता था कि वे कम्पनियां, जिनमें अधिकांश शेयर विदेशियों के पास हैं, विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने के लिए अपने प्रस्ताव बैंक को भेजें । सरकार की नीति इस पूंजी को एक ही बार या विभिन्न चरणों में 40 प्रतिशत तक कम कर देने की है जो सम्बन्धित कम्पनी के कार्यों पर निर्भर करेगा । लगता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारत में सहायक कम्पनयिों से इसका उत्तर बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं रहा है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं कुछ नहीं कह सकती । इस समय यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : दिनांक 21 दिसम्बर, 1975 की 'न्यूं एज' पत्रिका के पृष्ठ 13 के अनुसार 'इस वर्ष 31 मार्च तक के समाचारों के अनुसार 19 विदेशी कम्पनियों ने अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करके अपना भारतीयकरण किया । इस काम में इन्होंने 2,349 लाख रुपए दिए जिनमें 916 लाख रुपए भारतीय पूंजी बाजार से शेयरों के प्रिमियम के रूप में थे ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने दबाव डालकर सरकार की इस नीति को असफल बनाने का अपना ध्येय प्राप्त कर लिया है और वे निर्यात आय के नाम पर जो बहुत कम समझी जाती हैं, यह कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : रिजर्व बैंक ने 217 कम्पनियों को आशय-पत्र जारी कर दिए हैं । अब सदस्य महोदय स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिक्रिया अच्छी रही है या नहीं । अभी पूछे गए प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार किसी के दबाव में आकर अपना कार्य नहीं करती । शायद आज ही के समाचार पत्र में औद्योगिक विकास मंत्री ने यही बात स्पष्ट रूप में कही है ।

डा० रानेन सेन : 1973 में रिजर्व बैंक ने विदेशी कम्पनियों से अपने इक्विटी पूंजी का धीरे-धीरे भारतीयकरण करने को कहा था । मैं जानना चाहता हूं कि 1974 और 1975 के गत दो वर्षों में चार विदेशी कम्पनियों को, जो बिल्कुल गैर-आवश्यक सामान भारत में बनाती हैं, अर्थात् कोका-कोला निर्यात निगम, कैडबरी फ़ाई, चेसबरी पांड, कोलगेट एण्ड पामोलिव और हिन्दुस्तान लिवर जैसी कम्पनियों को भी अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी 40 प्रतिशत तक कम करने को क्यों नहीं कहा गया है ? वे ऐसा सामान बनाती हैं जो देश में ही बनाया जा सकता है और जो भारतीय कम्पनियां बना ही रही हैं । इन विदेशी कम्पनियों के विरोध से भारतीय क्षेत्र की प्रगति में बाधा पड़ रही हैं । मैं जानना चाहता कि सरकार इन कम्पनियों को बाध्य क्यों नहीं कर रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । मेरा सदस्य महोदय से निवेदन है कि वह यह प्रश्न सीधे औद्योगिक विकास मंत्रालय से पूछें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस पूछे गए मूल प्रश्न से यह पूरक प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक है। मंत्री महोदया को इसका उत्तर देना चाहिए। वह आपकी अनुमति से बाद में इसका उत्तर दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : लगता है मंत्री महोदया के पास इसकी जानकारी नहीं है।

डा० रानेन सेन : रिजर्व बैंक उनके मंत्रालय में है फिर मैं दूसरे मंत्रालय से क्यों प्रश्न पूछूं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यद्यपि मंत्री महोदय ने डा० सेन के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और न ही शायद वह उत्तर दे सकती थी, तथापि मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन विदेशी कम्पनियों में से एक कम्पनी अर्थात् कोका कोला निर्यात निगम जिसमें शत-प्रतिशत शेयर विदेशी हैं, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया कि उसके विदेशी इक्विटी शेयर घटा कर 40 प्रतिशत कर दिये जायें ? दो-तीन वर्ष से यह मामला उठाया जा रहा है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमें इस प्रकार के अस्पष्ट उत्तर नहीं चाहिएं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरा आशय ऐसे उत्तर देने का नहीं है। पहले सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि औद्योगिक विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है साथ ही मैंने यह भी कहा था कि इन सभी बातों पर सरकार विचार कर रही है और शायद इन चार कम्पनियों का मामला भी उस में शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोका कोला निर्यात निगम के बारे में कोई जानकारी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस संबंध में मेरे पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

श्री के० लकप्पा : मैं यही प्रश्न दूसरी तरह से पूछना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न क्यों ? दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : .....इसे और संगत बनाते हुए ताकि मंत्री महोदया उत्तर दे सकें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक का भारत में चल रही विदेशी कम्पनियों पर कोई नियंत्रण है ? क्योंकि यह कम्पनियां अपने लाभ अपने देशों को भेज देती है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है और यदि हां, तो इन कम्पनियों पर रिजर्व बैंक द्वारा क्या कोई विनियम नियंत्रण और अनुशासन रखा जाता है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न बहुत संगत है और मैं बता चुकी हूं कि लगभग ऐसे ही प्रश्नों पर रिजर्व बैंक विचार करता है और यदि यह प्रश्न उसी से उत्पन्न होता है तो भी उन पर सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों में जमा धनराशि तथा उन बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

*69. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और उन बैंकों में जिन्हें जुलाई 1969 में गैर-सरकार तथा विदेशी स्वामित्व में छोड़ दिया गया था

कुल जमा राशि तथा उनके द्वारा दिए गए ऋणों की नवीनतम स्थिति क्या है और जुलाई 1969 की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जून 1969 के अन्तिम शुक्रवार और 19 दिसम्बर, 1975 को जमाओं और ऋणों से संबंधित आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	जमा		ऋण	
	जून 1969	19 दिसम्बर 1975	जून 1969	19 दिसम्बर 1975
(क) सरकारी क्षेत्र के बैंक .	3871	11264	3017	8168
(i) भारतीय स्टेट बैंक समूह .	1239	3816	1185	2826
(ii) 14 राष्ट्रीयकृत बैंक .	2632	7448	1832	5342
(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक .	775	2122	582	1417
(i) भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक . .	297	1263	197	808
(ii) विदेशी बैंक . .	478	859	385	609
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क+ख) .	4646	13386	3599	9585

अध्यक्ष महोदय : इस जानकारी को सभा पटल पर रखा जा सकता था।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं भी समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए था परन्तु यदि सदस्यगण मेरी बात सुनें तो मैं उनकी सहायता कर सकता हूं। यद्यपि इसमें बहुत से आंकड़े हैं और इन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता था परन्तु ....

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न का स्थागत कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हम इस पर पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को अगले दिन के लिए स्थगित किया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों की शिकायतें

*71. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों के भोजन तथा विलम्ब से उड़ान सम्बन्धी शिकायतों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स ने अप्रैल, 1974 में अपने विमानों में उड़ानों के दौरान गर्म भोजन परोसना बन्द कर दिया और उसके स्थान पर अल्पाहार (स्नैक्स) देना प्रारम्भ कर दिया। यात्रियों से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों को दृष्टि में रखते हुये अल्पाहार में दिये जाने वाले आहार पदार्थों में अगस्त, 1974 में और पुनः अप्रैल, 1975 में परिवर्तन किया गया। प्राप्त शिकायतों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है और क्वालिटी नियंत्रण की आवश्यकता पर निरन्तर जोर दिया जाता है।

जहां तक सेवाओं में विलम्ब का प्रश्न है, यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथापि इंडियन एयरलाइन्स में समय पर सेवा परिचालन का जो औसत 1973 में 45.16 था 1975 में बढ़ कर 68.43 हो गया है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है।

यह ठीक है कि उन्होंने अपने विभाग में कुछ अनुशासन स्थापित किया है परन्तु मैं नहीं जानता कि विमान सेवाओं में भोजन तथा विलम्ब के बारे में उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ? अभी उन्होंने बताया है कि विमान यात्रा में गर्म भोजन नहीं दिया जायेगा ... **(व्यवधान)** वे बहुत समय लेते हैं और जो भोजन वे यात्रियों को देते हैं खाने लायक भी नहीं होता है। यह स्थिति बहुत निन्दाजनक है। विमान यात्रा केवल रोगी ही तो नहीं करते हमारे जैसे स्वस्थ व्यक्ति भी विमान यात्रा करते हैं। और बंगलौर से दिल्ली साढ़े तीन घंटे लगते हैं। आप देखेंगे कि रात्रि भोजन के समय सभी यात्री गुम होते हैं। और आप जानते हैं कि हमें बड़ा, दोसा और उपमा आदि चाहिये।

विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करने से हमें पता चलता है कि केटरिंग कम्पनी में कुछ कमियां हैं, काम कर रही केटरिंग कम्पनी बासी तथा घटिया प्रकार का खाना सप्लाई करते हुए भी मंत्रालय को इस प्रकार का परामर्श दे रही हैं। मंत्रालय को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये ताकि यात्री पूर्णतः सन्तुष्ट हो सकें।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि "गर्म खाने से क्या तात्पर्य है"? गर्म खाने का अर्थ सप्लाई किये गये गर्म हुए खाने से है इसके विपरीत ठंडे खाने से नहीं **(व्यवधान)**। यदि सर्दियों में गर्म खाना उपलब्ध

न किया जा सके तो इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। हमारा अनुभव है कि लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने की मांग करते हैं। हमने हर प्रकार का खाना सप्लाई करने के प्रयास किये हैं और बहुत प्रयास तथा विचार करने के बाद हमने यही समझा कि हमें इस प्रकार खाना सप्लाई नहीं करना चाहिये और अपने देश की एयरलाइन्स में प्रचलित पद्धति को ही अपनाना चाहिये। विश्व भर में कोई भी एयरलाइन्स गर्म खाना सप्लाई नहीं करती। वे स्नेक, चाय तथा काफ़ी ही सप्लाई करती हैं। हम भी यही कुछ करना चाहते हैं। हम इस बात का दावा नहीं करते कि हम खाने के समय खाना सप्लाई करते हैं। हम तो केवल स्नेक ही सप्लाई करते हैं। मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि श्री लकप्पा को कभी-कभी असुविधायें हुई हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग चार लाख मामलों में सप्लाई किये गये स्नकों में से हमें केवल 70 ही के मामलों में शिकायतें आयी हैं। मैं शिकायतों की प्रतिशतता नहीं बताऊंगा। स्नेक सप्लाई में सुधार करने के सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव दिये जायें तो हम उनका स्वागत करेंगे। इन्होंने बड़ो, इटली तथा दोसे की बात की है। यूरोप के देशों में सप्लाई किये जाने वाले नाश्ते ही हम सप्लाई करते हैं और अन्य समय में कुछ अन्य स्नेक सप्लाई करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बासी डबल रोटी।

श्री राजबहादुर : मैं कह चूका हूं कि मैं सुझावों का स्वागत करूंगा। ये सब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। **(व्यवधान)**. . . . मैं मानता हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। हमें जिस प्रकार का माल सप्लाई किया जाता है, यह उसी पर निर्भर करता है। हमारे पास चैफेर नामक एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो खाना सप्लाई करता है। कोनेमारा होटल मद्रास में खाना सप्लाई करता है। वैसे हम हर सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री के० लकप्पा : क्या मंत्रालय एक छोटी समिति द्वारा केटरिंग कम्पनी सहित इन सब पहलुओं पर विचार करेगा। उड़ान के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिये हर प्रकार के भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे और अधिक यात्री आकर्षित होंगे। यदि आप उड़ान के दौरान स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करते हैं तो इससे यात्री अधिक आकर्षित होंगे। क्या मंत्री महोदय केटरिंग कम्पनी के कार्यकरण सहित इन्हें सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक छोटी समिति का गठन करेंगे ?

श्री राजबहादुर : समूचे प्रश्न पर विचार करने हेतु संसद सदस्यों की एक छोटी समिति का गठन करने सम्बन्धी इनके सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि स्नेक सप्लाई करने की प्रणाली को लागू करते समय हमने 40 संसद सदस्यों वाली सलाहकार समिति को, स्नेक के नमूने पेश करने के बाद सूचित कर दिया था कि हम इस प्रणाली को लागू करने जा रहे हैं। इस समिति की स्वीकृति के बाद ही हमने स्नेक सप्लाई करने की व्यवस्था लागू की थी।

आहार बेकार हो जाने तथा आहार सम्बन्धी विभिन्न सूचियों को ध्यान में रखते हुये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि गर्म खाना सप्लाई करने सम्बन्धी प्रणाली को लागू करने के लिये हमें न कहे क्योंकि इससे खाना बर्बाद होता है और हर प्रकार की रुचियों को पूरा करना सम्भव नहीं।

श्री ए० के० सेन : गर्म खान की मांग कोई नहीं कर रहा। गर्म खाना न तो रुचिकर होता है और न ही ताजा। अच्छे स्नैक के लिये हम में से कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल मैं बम्बई से आ रहा था। जो स्नैक्स दिये गये, वे खाने योग्य न थे और मैंने दोनों प्लेटें वापिस कर दीं। मैं सोच रहा था कि एक प्लेट सभा में दिखाने के लिये ले जाऊं . . . . .।

श्री एस० एम० बनर्जी : उसे आपको सभा पटल पर रखना चाहिये था।

श्री ए० के० सेन : यह बहुत ही बुरी बात है। पता नहीं कौन सप्लाई करता है। उनमें कोई स्वाद ही नहीं होता। मेरे विचार में एक समिति को इस पर विचार करने के बाद सरकार को उचित परामर्श देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इस सुझाव को स्वीकार कर चुके हैं और मेरे विचार में समिति इस पर उचित विचार करेगी।

श्री राज बहादुर : क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि इन्होंने बम्बई से कौन सी उड़ान से यात्रा की थी ?

श्री ए० के० सेन : हर बार शिकायत करना सम्भव नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय को हर उड़ान में यात्रा करने के लिये बाध्य किया जायेगा . . . .

एक माननीय सदस्य : भेस बदल कर।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : . . . . और सप्लाई की गयी हर वस्तु को खाने के लिये बाध्य किया जाये ? . . . . (**व्यवधान**)।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लाभ

*72. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार 1650 मध्यम और बड़ी गैर-वित्तीय, गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को 1973–74 में लगभग 1,000 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग की आर्थिक कठिनाइयों और राहत दिये जाने की मांगों के सम्बन्ध बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा बार बार उठाई गई आवाज को ध्यान में रखते हुये सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 1650 दरमियानी और बड़ी गैर-वित्तीय गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का सकल लाभ 1973–74 में 991 करोड़ रुपए था जबकि 1972–73 में 827 करोड़ रुपए था। 1973–74 में लाभ का स्तर अपेक्षाकृत

ऊंचा होने का आंशिक कारण यह था कि उस वर्ष कीमतों में वृद्धि होती रही थी। 1974–75 में कीमतों के गिरने के कारण अनेक उद्योगों के सामने अपने आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालने की समस्याएं पैदा हो गई थीं जिनके परिणामस्वरूप राहत दिये जाने की मांग की जाने लगी। इसलिए सरकार ने मौजूदा औद्योगिक स्थिति की बड़े ध्यान से समीक्षा करने का निश्चय किया और उद्योगों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, 13 नवम्बर, 1975 को कई उपायों की घोषणा की जो राजकोषीय और मुद्रा विषयक नियन्त्रण पर लगातार बल देते रहने की समूची नीति के अन्तर्गत रहते हुए है।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कठिनाइयों के कारण उद्योगों को जबरी छुट्टी, छंटनी, तालाबन्दी आदि करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है जबकि गत एक वर्ष अर्थात 1973–74 के दौरान उनका लाभ 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो पहले वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक था और इन कम्पनियों के उत्पादन तथा कुल आय में भी वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप उनके लाभों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। क्या सरकार इस प्रकार के कदम उठायेगी जिससे कि उत्पादन की गति जारी रहे और कर्मचारियों की ज़बरी छुट्टी तथा तालाबन्दी न करनी पड़े ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार हर प्रकार के कदम उठा रही है और लगातार इसकी समीक्षा कर रही है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उद्योगों की प्रगति स्थिर नहीं होने देनी चाहिये। लेकिन जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, इसमें से अधिकांश लाभ मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के कारण है। अतः हमें केवल कुल लाभ को ही नहीं देखना चाहिये बल्कि शुद्ध लाभ को भी देखना चाहिये और हमें पता चलता है कि लाभ उतना नहीं हुआ। सरकार इस स्थिति से परिचित है और उन्हें ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं देगी जिसके द्वारा वे अपने लाभों में इस ढंग से वृद्धि करें जो औद्योगिक विकास के लिये हितकर न हो।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालिक लोग यह दलील देते हैं कि देश में मन्दी चल रही है जबकि हम देखते हैं कि मालिक चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं जिसके फलस्वरूप बाज़ार में एक प्रकार की कमी महसूस होती है। खरीदार माल खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने उद्योगों तथा सर्वसाधारण के हितों में औद्योगिक वस्तुओं के दाम उचित स्तर तक गिरने के लिये कोई उपाय किया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उद्योगों की हमेशा ये दो मांगें रही हैं कि (1) उत्पाद शुल्क में कमी हो और (2) ऋण प्रतिबन्धों में ढील हो। हमें इन सब बातों की जानकारी है और सरकार इस दिशा में सख्त कार्यवाही कर रही है और हमें पता चला है कि ये कदम प्रभावशाली सिद्ध हुये हैं। यह कार्यवाही करते समय माननीय सदस्यों की वह सब बातें ध्यान में रखी गई और हमेशा रखी जायेंगी कि उत्पादन में वृद्धि हो और रोज़गार की स्थिति न बिगड़े।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक बोनस $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया है। क्या सरकार अत्यधिक मुनाफ़े को कम करने के लिये भी कार्यवाही करेगी ? मैं उस मुनाफ़े की बात कर रहा हूं जिनका कि पता है और उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन के बारे में जानकारी नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं इस बात से सहमत नहीं कि सरकार ने इसमें निर्लज्जतापूर्वक कार्यवाही की है। सरकार ने यह निर्णय देश में उद्योगों में की पूंजी निवेश बढाने के उद्देश्य से लिया है। अज्ञात लाभों के बारे में भी मैं सहमत नहीं हूं। हमने स्वेच्छिक प्रकटन योजना, पैकेज कार्यक्रम अथवा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय आदि आदि की व्यवस्था की है। विलासितापूर्ण सभी वस्तुओं पर इन कार्यक्रमों का प्रभाव हुआ है। सरकार काले धन को बाहर निकालने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हू कि क्या सभा के सामने रखे गये आंकड़े उन्हें उद्यमियों ने दिये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आंकड़ों के सही अथवा गलत होने के बारे में कोई प्रभावशाली जांच की है ? स्वेच्छिक प्रकटन से ही यह स्पष्ट होता है कि उद्यमियों द्वारा दिये गये आंकड़े सही नहीं होते। क्या सरकार ने कोई निर्धारण किया है ? क्या सरकार हमें बतायेगी कि सरकार द्वारा किये गये निर्धारण तथा गैर-सरकारी उद्यमियों द्वारा दिये गये आंकड़ो के बीच कितना अन्तर होता है।

श्री वसंत साठे : वे तुलन-पत्र पर निर्भर करते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं ऐसा नहीं समझती। फिर भी हम जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 73।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूं।

Export of goods from Saharanpur (U.P.)

*73. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether Saharanpur in Uttar Pradesh is a wood-carving centre and exports these goods;

(b) the value of such goods exported during the years 1973-74 and 1974-75; and

(c) whether Government propose to formulate a scheme to promote the export of such goods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) The export of handicrafts made of wood during 1973-74 and 1974-75 has been Rs. 6·37 crores and Rs. 6·83 crores respectively.

(c) Schemes for development of production and promotion of exports of handicrafts as already in force are also applicable to wood products from Saharanpur.

Shri Mulki Raj Saini : The hon. Minister has admitted in his reply that it is a wood-carving centre but the figures of the exports stated by him pertain to the entire country. I would like to know the value of wood-carving goods exported from Saharanpur during 1973-74 and 1974-75 and the outlines of the scheme to promote the export of such goods.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सहारनपुर से लकड़ी के हस्तशिल्प का निर्यात देश के कुल निर्यात का 75 प्रतिशत है। ये आंकड़े अनुमानित हैं। हम स्थानवार अथवा क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखते। जहां तक हस्तशिल्प के सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, उसके लिये सामान आयात करने की सुविधाएं प्राप्त हैं। यह एफ़० ओ० वी० का लगभग 10 प्रतिशत है और हस्तशिल्प के लिए नकद सहायता लगभग 10 प्रतिशत है। हवाई जहाज भाड़ा सहायता प्रति कि० ग्राम 1 रु० है अथवा निर्यात के एफ़० ओ० वी० मूल्य का 5 प्रतिशत जो भी कम हो, और इसके साथ साथ विकास तथा निर्यात संवर्धन योजनाएं भी हैं। वर्ष 1974–75 और 1975–76 में क्रमश: 107.22 लाख रुपये और 160 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमारे पास प्रशिक्षण योजनाएं, प्रदर्शिनी, प्रचार तथा प्रोपेगन्डा योजनाएं और सहकारी विपणन सुविधाएं हैं।

Shri Mulki Raj Saini : The hon. Minister has stated that exports from Saharanpur constitute 75% of the total exports. These goods are being manufactured by cottage and small industries engaging poor people. Government have recently announced special grants and subsidy for weavers. Whether Government propose to formulate any scheme for special grant and subsidy to persons engaged in wood carving.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह अमल करने के लिये एक सुझाव है।

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली : मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि लकड़ी के सामान का 75 प्रतिशत निर्यात अकेले सहारनपुर से होता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके मन्त्रालय में कोई अनुसन्धान तथा विकास विंग है और यदि हां तो इस प्रयोजनार्थ पांचवीं योजना में कितना धन नियत किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एच० एच० ई० सी० सभी हस्तशिल्प की वस्तुओं को देखता है जिनमें लकड़ी का सामान भी शामिल है। पांचवीं योजना में 280 लाख रुपये नियत करने का प्रस्ताव है। केवल लकड़ी के सामान के लिए अलग से व्यौरा देना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री वसन्त साठे : हमारी हस्तशिल्प की वस्तुएं पश्चिमी और विकसित देशों में काफ़ी लोकप्रिय हैं और जब आर्डर आते हैं तो वे लाखों में आते हैं। एक ही किस्म की वस्तु की मांग लाखों में होती है। चूंकि यह लघु उद्योग है जो इस मांग को दो या तीन महीने में पूरा करने में सक्षम नहीं हैं; नई किस्म आ जाती है और हम निर्यात बाजार का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। क्या सरकार के पास हस्त-शिल्प की वस्तुओं की अनुमानित मांग को पूरा करने की कोई योजना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिये दो प्रकार के प्रयास करना आवश्यक है। पहला है कि विदेशी मार्किट की क्षमता का पता लगाना और जहां तक इसका सम्बन्ध है हमने एच० एच० ई० सी० को इसका पता लगाने के लिए कहा है और हमें आशा है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। जहां तक दूसरे पहलू अर्थात् उत्पादन बढ़ाने का सम्बन्ध है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और हम उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों में सेवा की शर्तें

*75. **श्री झारखंडे राय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम और इसके विभिन्न एककों में काम करने वाले अधिकारियों के वेतनमान तथा सेवा की शर्तें समान हैं; और

(ख) क्या श्रमिक श्रेणियों के लिए भी वेतनमान, सेवा की शर्तें तथा अनुषंगी लाभ समान बनाने की कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम एक बहुउद्योगी संगठन है जो अत्यन्त प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवसाय में संलग्न है । वह विभिन्न प्रदेशों में फैला हुआ है, तथा विभिन्न राज्यों/केन्द्रीय कानूनों द्वारा अधिशासित और प्रदेश-एवं-उद्योगगत परम्परा प्रथाओं द्वारा प्रभावित रहता है । इन परिस्थितियों में देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न आकारों के अलग-अलग उद्योगों में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमानों, सामान्य सेवा शर्तों, भत्तों एवं अनुषंगी लाभों में पूर्ण एकरूपता लाना आसान नहीं है । तथापि वेतनमानों को यथासंभव रूप से तर्कसंगत एवं समरूप बनाने की दृष्टि से समय-समय पर इस स्थिति का पुनरावलोकन किया जाता है ।

***Shri Jharkhande Rai** : Will the hon. Minister please state whether memoranda and representations on behalf of these employees and officers are received by him from time to time to the effect that facilities are not provided to them according to their place of duty and further they are not provided the same facilities as being given to the Central Government employees at their place of duty ?

May I known whether Government have taken any action to remove the discrimination made against them *vis a vis* the Central Government employees.

Shri Surendra Pal Singh : Complaints are generally received but there is not much difference in their pay scales and the pay scales of Central Government employees. Efforts are made that they may be governed by the prevailing pay scales and conditions of service.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चिड़ियों को एयर इंडिया द्वारा ले जाया जाना

*63. **श्री सतपाल कपूर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1975 में भारत से विमान द्वारा ले जाई गई 2000 से अधिक चिड़ियां लन्दन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर मरी हुई पाई गईं; और

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1975 में, अपनी दिल्ली-बम्बई-कुवैत-लन्दन उड़ान पर लंदन ले जाने के लिए एयर इंडिया द्वारा विमान

पर ले जाए गए लगभग 2000 विदेशी पक्षी लंदन के हीथरो विमानक्षेत्र पर मरे पाए गए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सांताक्रूज स्थित "कार्गो फ्लाइट हैंडलिंग अनुभाग" ने कुवैत और लन्दन को एक संदेश भेजा जिसमें वायु मार्ग बिल नम्बर तथा विमान पर जीवित पक्षियों के पिंजरों की संख्या और उनका वजन दिया गया था। इसके पश्चात् कुवैत विमान क्षेत्र तथा लन्दन विमानक्षेत्र के नाम एक 'लोड सिगनल' भेजा गया जिसमें विमान के "होल्ड" में जीवित पक्षियों की उपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। सांताक्रूज फ्लाइट हैंडलिंग अनुभाग द्वारा भेजे गए संदेश कुवैत विमानक्षेत्र पर प्राप्त हुए थे परन्तु कुवैत स्थित हैंडलिंग एजेंटों ने संदेश की तथा विमान के "होल्ड" में जीवित पक्षियों की उपस्थित की उपेक्षा कर दी। विमान के कुवैत पर अवतरण के बाद, एक इंजन में एक पक्षी अंदर फंसा पाया गया जिसके कारण इंजन को बदलने की आवश्यकता हुई जिसके परिणामस्वरूप लन्दन की उड़ान में 32 घंटे का विलम्ब हो गया। अधिक विलम्ब तथा अत्यधिक गर्मी के कारण पक्षी जीवित नहीं रह सके। कुवैत स्थित एयर इंडिया के हैंडलिंग एजेंट ने खेद प्रकट किया है तथा हार्दिक क्षमा-याचना की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनायें होने नहीं दी जाएंगी।

एयर इंडिया ने कुवैत स्थित अपने उन विमानक्षेत्र कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है जिनकी लापरवाही इसमें अंशत : कारण बनी। यह पता लगाने के लिए कि क्या इस घटना में कोई अन्य कर्मचारी भी उत्तरदायी थे और आगे जांच की जा रही है। एयर इंडिया विमान द्वारा भेजे जा रहे पशुओं तथा पक्षियों को हैंडल करने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण कर रहे हैं और इस पुनरीक्षण कार्य के पूरा हो जाने तक उन्होंने ऐसे माल को स्वीकार करना बन्द कर दिया है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

***64. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसका कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जी नहीं। 21 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए सप्ताह के अन्त में थोक मूल्यों का सूचकांक (1961–62–100) सबसे ऊंचे स्तर अर्थात् 330.7 तक पहुंच गया था किन्तु बाद में उसमें गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है। उस तारीख से लेकर 20 दिसम्बर, 1975 तक की अवधि में सूचकांक में 10.6 प्रतिशत की और 20 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में 6.6 प्रतिशत की कमी हुई है। ऐसा, पिछले वर्ष मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए किए गए उपायों, आपात स्थिति की घोषणा, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के शुरू किए जाने तथा खेती और उद्योग, दोनों क्षेत्रों में इस वर्ष पहले से अधिक उत्पादन होने की सम्भावना के कारण हुआ। इस प्रकार हालांकि मुद्रा स्फीतिकारी दबावों पर काबू पा लिया गया है फिर भी, स्थिति पर बहुत सावधानी से बराबर उतनी ही नजर रखने की जरूरत है जितनी पहले थी।

चाय उद्योग की समस्याओं के बारे में गोहाटी में हुई विचार गोष्ठी

*65. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की समस्याओं के बारे में दिसम्बर, 1975 में गोहाटी में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) क्या उक्त गोष्ठी को सर्वसम्मति की एक प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चमड़े के जूतों तथा चप्पलों की खरीद

*68. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के विशेषज्ञों का एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चमड़े के जूते तथा चप्पलें खरीदने के करार करने के लिए भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चमड़े के जूतों तथा चप्पलों की खरीद के लिए निम्नोक्त संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे :—

मदें	मात्रा
चमड़े के जूते	8,50,000 जोड़े
चप्पलें	00,000 जोड़े

स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करने की योजना का मूल्यों पर प्रभाव

*70. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करने की योजना के अन्तर्गत की गई घोषणाओं के परिणाम स्वरूप सरकार को कितने प्रतिशत चल धन मिला है; और

(ख) इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) देश में कितना काला धन है इसके बारे में सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया है। इसीलिए यह बताना कठिन है कि उसका कितने प्रतिशत भाग स्वेच्छया प्रकटन योजना के अंतर्गत घोषणाओं के कारण वसूल हुआ है।

(ख) इस योजना से मूल्यों के स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित 20–सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति

*74. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय से संबंधित प्रधान मंत्री का 20–सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम अब तक कितना क्रियान्वित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

20–सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं जिनका वित्त मन्त्रालय से सीधा सम्बन्ध है :—

1. सरकारी व्यय में कड़ी किफायत;

2. तड़क–भड़क वाली इमारतों के मूल्यांकन और कर–अपवंचन को रोकने के लिए विशेष दस्तों का निर्माण। आर्थिक अपराधों के लिए संक्षिप्त मुकदमे और कड़ी सजा;

3. तस्करों की सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए विशेष कानून;

4. मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर से राहत–छूट की सीमा का 8000 रुपये पर निर्धारण।

वित्त मन्त्रालय ने इन बातों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट उपाय किये हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मद (1) : पिछले काफी समय से सरकार खर्च में कड़ी किफायत करने की जरूरत के प्रति सचेत है ताकि घाटे की अर्थव्यवस्था के स्तर को न्यूनतम रखा जाये और इस प्रकार मुद्रा–स्फीतिकारी दबावों को काबू में रखा जाय। इस सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को आदेश जारी किये गये थे और 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किफायत करने के प्रयत्नों में तेजी लायी गयी है। किफायत के उपायों में ये बातें शामिल हैं : नये पदों के निर्माण, खाली पदों को भरने और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध/पाबन्दी, कार्यालय–व्यय में कड़ी किफायत; समयोपरि भत्ते की अदायगी में कमी, अधिकारियों के दौरों पर पाबन्दी, विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों की संख्या में कमी और टेलीफोन–व्यय, बिजली की खपत में कमी आदि।

मद (ii) : जैसा कि परिकल्पना की गयी थी, बड़ी भव्य इमारतों के निर्माण पर लगाये जाने वाले काले धन का पता लगाने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और 7 अन्य शहरों में विशेष दस्तों की नियुक्ति की गयी। ये दस्ते अक्तूबर के शुरू के दिनों तक कायम थे जब आय को स्वेच्छा से प्रकट करने की योजना की घोषणा की गयी थी। अनुमान है कि अब तक मूल्यांकित सम्पत्ति के सम्बन्ध में जितने पूंजी-निवेश की रिपोर्टें दी गयी थी या जो मूल्य-बताया गया था वह सही पूंजी-निवेश मूल्य से लगभग 17 करोड़ रुपये कम था।

विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कुछ कर अपराधों के लिए जो सजा दी जा सकती है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, और अधिकतम सजा अपराध की सापेक्ष गम्भीरता पर निर्भर होनी चाहिए और इस गम्भीरता को इस बात से आंका जाना चाहिए कि अपराध कितनी बार किया गया और उससे सरकारी खजाने को कितनी हानि पहुंचाने की कोशिश की गयी। इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कर विधि (संवर्धन) अधिनियम, 1975 के जरिये आयकर अधिनियम और सम्पत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत कर अपराधों से सम्बन्धित अनेक उपबन्धों में संशोधन किया गया है ताकि दण्ड को अधिक कड़ा बनाया जाय, और अब इनमें कड़ी कद, कैद की न्यूनतम अवधि की व्यवस्था है तथा न्यायालयों को दिये गये इस अधिकार को वापस ले लिया गया है जिसके अनुसार वे स्वविवेकानुसार कैद के विकल्प में जुर्माना कर सकते थे। कैद की अवधि को निर्धारित न्यूनतम अवधि से कम कर सकते थे।

मद (iii) : तस्कर और विदेशी मुद्रा धोखेबाज (सम्पत्ति का समपहरण) अध्यादेश 5 नवम्बर, 1975 को जारी किया गया था। इस अध्यादेश में तस्करी के काम में लगे व्यक्तियों, विदेशी मुद्रा को हेराफेरी करने वालों और उसके सम्बन्धियों तथा सहयोगियों की गैर-कानूनी तरीकों से प्राप्त की गयी सम्पत्ति को जब्त करने की व्यवस्था है। 'सम्पत्ति' शब्द में चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति शामिल है। ऐसा साबित करने का भार कि कोई सम्पत्ति कानून तारीकों से प्राप्त की गयी है, प्रभावित व्यक्ति पर होगा। शुरू में, इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के तीन सक्षम अधिकारी आंचलिक आधार पर दिल्ली, बम्बई और मद्रास में नियुक्त किए जा रहे हैं।

मद (iv) : वित्त (संशोधन) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत व्यक्तिगत आय-कर के संबंध में छूट की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी गई है। 8000 रुपये तक की आय के पहले खण्ड पर अब कोई आय-कर नहीं लगता और 8001 रुपये से 15000 रुपये तक के नए खण्ड पर आय-कर की दर 17 प्रतिशत निश्चित की गयी है। इसके परिणामस्वरूप, 7.5 लाख कर दाता आयकर की परिधि से बाहर निकल गये। अन्य 7.3 लाख करदाताओं में से प्रत्येक को जिनकी कर योग्य आय 8000 रुपये से 15000 पये तक है, 45 रुपये से लेकर 264 रुपये तक का लाभ हुआ। लगभग 4.4 लाख करदाताओं में से प्रत्येक को, जिनकी कर योग्य आय 15000 रुपये से अधिक है, 44 रुपये तक का लाभ हुआ है।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए उपर्युक्त कदमों के अलावा, वित्त मन्त्रालय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के काम में सहायता प्रदान करते हुए मुद्रास्फीतिकारी दबावों पर काबू पाने के लिए बनायी गई ऋण नीति का अनुसरण कर रहा है। कम्पनी (लाभांशों, पर अस्थायी रोक) अधिनियम, 1974 में संशोधन किये जाने और जितनी बार बोनस शेयर जारी करने की अनुमति है उसमें ढील दिये जाने जैसे उपायों के द्वारा पूंजी लगाने के वातावरण में भी सुधार हुआ दिखाई

देता है। अनिवासी भारतीयों द्वारा रुपया लगाए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ उपायों की घोषणा की गई है और आशा है कि 1975–76 के दौरान गैर-सरकारी प्रेषणाएं 1974-75 की गैर-सरकारी प्रेषणाओं के दुगुने से भी अधिक होंगी।

मोटर गाड़ियां तथा सहायक पुर्जे निर्माताओं द्वारा करों में कमी किये जाने की माँग

*76. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटरगाड़ियों तथा सहायक कलपुर्जे बनाने वालों ने सरकार से मांग की है कि कारों तथा ट्रकों की मांग कम हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुये करों में कमी की जाये और अन्य छूट दी जाये ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

भारत और फ्रांस में करार

*77. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हाल में भारत यात्रा पर आये फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) दूसरे देशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में इस करार से कहां तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान उनके द्वारा भारत और फ्रांस के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की संभाव्यताओं के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों में विचार-विमर्श किये गये। यात्रा की समाप्ति पर 17 दिसम्बर, 1975 को मंत्री (वाणिज्य) और फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री द्वारा निष्कर्षों के एक सार पर ही हस्ताक्षर किये गये थे।

निष्कर्षों की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) हालांकि, व्यापार के परिणाम में तेजी से वृद्धि होती रही है, फिर भी इसमें और वृद्धि की जा सकती है।

(2) फ्रांस का एक तकनीकी मिशन व्यापार विनियमों, संयुक्त उपक्रमों, उप-संविदाकरण और तृतीय देशों में संयुक्त उपक्रमों सहित सहयोग के अन्य सभी प्रकार के विकास की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये भारत की यात्रा पर आयेगा ।

(3) विकासशील देशों को यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं और उनमें सुधार करने के सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान हुआ है ।

(4) ऊर्जा, दूर संचार, परिवहन, पैट्रोलियम, रसायनों, इलैक्ट्रोनिक्स, खानों और आंकड़ों की प्रोसैसिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिये अनुकूल संभाव्यताएं विद्यमान ।

इस अवस्था में विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाना कठिन हैं क्योंकि वे सभी केवल पारस्परिक सुझावों/प्रस्तावों के स्वरूप के हैं ।

गाँवों में ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

*78. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों के निर्धन व्यक्तियों को, जो अब गांव के साहुकारों पर निर्भर नहीं हैं, ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये गांवों में बहुत से ग्रामीण बैंक खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गांवों में वर्ष 1975 में ऐसे कितने बैंक खोले गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-मुक्ति के उपायों के कार्यान्वयन के सिलसिले में, सरकार ऐसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर रही है, जो पर्याप्त विकास क्षमता के बावजूद सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों जैसी वर्तमान संस्थागत ऋण ऐजेंसियों की पर्याप्त सेवा नही पा सके हैं । 1975 में ऐसे छः बैंक स्थापित किये गये थे, जिनमें प्रत्येक बैंक एक या एक से अधिक जिलों की सेवा करता है ।

भारत और पोलैंड के बीच व्यापार करार

*79. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1975 में पौलैंड सरकार के साथ एक व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) दिसम्बर, 1975 में पौलैंड के साथ किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए। भारत-पौलैंड दीर्घावधि व्यापार करार के अन्तर्गत 29 नवम्बर, 1975 को एक व्यापार सलेख पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) व्यापार संलेख में भारत और पौलैंड के बीच 1976 में लगभग 260 करोड़ रु० के कारोबार का लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है। पौलैंड भारत से खली, लोह अयस्क, खालों तथा चमड़ियों, चाय, काफी, काली मिर्च और वस्त्रों जैसे परम्परागत उत्पादों के अलावा अनेक गैर-परम्परागत उत्पादों का आयात करने के लिए राजी हो गया है, जैसे सूती निटवियर तथा हौजरी, रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्र, विभिन्न रसायन, मशीनी औजार, दस्ती औजार, कच्चा लोहा तथा उपभोक्ता के काम आने वाला स्थायी सामान।

भारत पौलैंड से मुख्यतः खनन उपस्कर, उर्वरक, गन्धक गढ़वा तथा ढलवां माल, औषधि आदि आयात करेगा।

सरकारी क्षेत्र के होटलों द्वारा अर्जित लाभ

*80. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974–75 में सरकारी क्षेत्र के होटलों में अधिक लाभ अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकारी क्षेत्रीय उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे 12 होटलों का शुद्ध लाभ 1973–74 के दौरान 26.40 लाख रुपए से बढ़ कर 1974–75 के दौरान 72.97 लाख रुपए हो गया।

पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन से प्राप्त सहायता

323. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अशोधित तेल के मूल्य में दस प्रतिशत वृद्धि किए जाने के पश्चात् पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन से कोई सहायता अथवा ऋण मिला है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन से ऐसी कोई सहायता नहीं मिली है।

हिमाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

324. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या है, जहां वर्ष 1976 के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों का अपनी शाखायें खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या ऐसी शाखायें ग्रामीण क्षेत्र में खोलने को प्राथमिकता दी जायगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बैंकों द्वारा शाखा विस्तार का कार्य "तीन वर्षीय रोलिंग योजना के ढांचे के भीतर किया जाता है। रिजर्व बैंक इस समय 1976–78 के तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा विस्तार योजनाओं की जांच कर रहा है। उसने सूचित किया हैं कि नवम्बर, 1975 के अन्त तक, चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास हिमचाल प्रदेश में शाखायें स्थापित करने के के लिए 27 लाइसेंस/आंवटन (एलोटमेंट) थे। ये लाइसेंस/आंवटन जिन स्थानों के संबंध में हैं उनके नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि शाखा विस्तार की अपनी 'तीन वर्षीय रोलिंग योजना' तैयार करते समय, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अधिकांश शाखायें बैंक रहित/कम बैंक वाले ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसे जिलों में जिनकी प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या जून, 1975 के अन्त तक 75,000 से अधिक हो, खोले जायें।

विवरण

जिला	स्थान का नाम
बिलास पुर	बरथीन
	झंड़ता
चम्बा	चम्बा (2 कार्यालय)
	उदेपुर
	पंगी (बिलार)
कांगड़ा	रानी ताल
	बनखंडी
	निरमांद
	धर्मशाला
	खंडरूरी
	अनी

जिला	स्थान का नाम
कुल्लू	कुल्लू पटली कुह्
मंडी	चैल चौक सुन्दर नगर (2 कार्यालय) मंडी
शिमला	कियारी
सिरमूर	राजबन शिलाल सांघरा नाहन
सोलन	सपरून परवान
उना	उना अम्ब

गया गंगा टी एस्टेट को दी गई बागान रोपण आर्थिक सहायता के बारे में चाय बोर्ड की तथ्यों का पता लगाने वाली उप-समिति का प्रतिवेदन

325. **श्री ए० के० किस्कू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया गंगा टी एस्टेट को दी गई बागान रोपड़ आर्थिक सहायता के बारे में चाय बोर्ड की तथ्यों का पता लगाने वाली उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उप-समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रतिवेदन के आधार पर क्या आद्यतन कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) उप-समिति के तीनों सदस्यों ने अलग-अलग तीन प्रतिवेदन पेश किये ।

(ख) तथा (ग) : इस उप-समिति में ये सदस्य थे : श्री बी० के० दासचौधरी, संसद सदस्य श्री एल० एम० प्रधान, सदस्य, चाय बोर्ड और श्री जी० पी० गोयनका, सदस्य, चाय बोर्ड । श्री बी० के० दासचौधरी के प्रतिवेदन के अनुसार 1973 व 1974 में 33.71 से 38.41 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र में उन्मूलन हुआ परन्तु 3-8-72 व 28-12-72 के बीच कोई उन्मूलन नहीं हुआ । श्री प्रधान ने यह प्रतिवेदन दिया कि मई, 1972 और दिसम्बर, 1972 के बीच बल्कि 16-1-75 तक

भी जब कि उन्होंने बागान का दौरा किया था, 153.40 हैक्टेयर के चाय क्षेत्रों में उन्मूलन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। श्री गोयनका ने अपने प्रतिवेदन में, यह उल्लेख किया था कि चूंकि श्री दासचौधरी और श्री प्रधान दोनों के कथन पूर्णतः मौके पर निरीक्षण पर आधारित हैं अंतः तथ्यों का पूर्णतः पता लगाया जाना है। उसने सिफारिश की कि राज्य सरकार से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक आगामी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। चाय बोर्ड के अनुरोध पर, 1966 से पहले किये गये परिशोधन सैटेलमेंट कार्य के सैटेलमेंट सम्बन्धी रिकार्डों के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बगान के संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, चाय बोर्ड ने गया गंगा टी एस्टेट के मालिक मैसर्स मिन्तरी टी० कं० से उत्पदान के रूप में दी गई राशि ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा।

Export of Tea, Coffee and Cashewnuts

326. Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which tea, coffee and cashewnuts are exported from India;

(b) whether their export has increased or declined during the last two years as compared to 1973-74; and

(c) the reasons for decline, if any and the steps being taken to increase the exports?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Tea, Coffee and Cashewnuts are mainly exported to the following countries:—

Tea : U.K. U.S.S.R. Afghanistan, U.A.R., U.S.A. and Sudan.

Coffee : U.S.A., Canada, U.K., U.S.S.R. & other East European countries, Australia, Iraq, Kuwait and European Economic Community Countries.

Cashewnuts : Canada, U.S.A., USSR, JAPAN, U.K., Australia and Netherland.

(b)&(c): Exports of tea and coffee have increased both in quantity and value during the last two years. Exports of cashewnuts have also increased in terms of value though quantity during April-October, 1975 has registered a small decline as compared to the exports during April-October, 1973 which is due to lesser availability of raw nuts from our traditional sources. Government have sought their cooperation so that additional stocks of raw nuts could be secured. Also long term measures for development of cashew in the country are being worked out in consultation with State Governments and Agriculture Ministery.

A Study-cum-sale team is also being sent to Middle East Countries which offer scope fo expansion of our exports of cashewnuts.

Number of Foreign Tourists who visited India

327. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of tourists who visited India from June 1975 to December 1975 and how does this number compare with the figures for 1974-75?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : The number of foreign tourists who visited India during June-December 1975 was 232,214 as against 260,040 for the corresponding period of 1974—recording an increase of 8·5 per cent.

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियाँ

328. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्य कर रही बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों को क्षीण करने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास आरम्भ किया है; और

(ख) उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

उड़ीसा में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सर्वेक्षण

329. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, उड़ीसा में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये सर्वेक्षण करेगा; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा और सरकार को प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, लिमिटेड इस प्रकार के सर्वेक्षण नहीं करता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिविजन में राष्ट्रीय कृत बैंकों की शाखाएं खोलना

330. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन किसानो, दस्तकारों तथा छोटे उद्यमियों की सहायता के लिये वर्ष 1975 के दौरान उत्तर प्रदेश के फ़ैजाबाद डिवीजन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली गयीं तथा कहां-कहां खोली गईं; और

(ख) वर्ष 1976 के दौरान वहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऐसी कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1975 से 30 नवम्बर, 1975 की अवधि के दौरान, चौदहो राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उत्तर प्रदेश के फ़ैज़ाबाद प्रभाग में, जिसमें फ़ैज़ाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले आते हैं, 9 कार्यालय खोले थे । उन स्थानो के नाम जहां ये कार्यालय खोले गये हैं, **अनुबन्ध** में दिये गये हैं ।

(ख) बैंकों द्वारा शाखा विस्तार का कार्य "तीन वर्षीय रोलिंग योजना" के ढांचे के भीतर किया जाता है। रिजर्व बैंक इस समय 1976–78 के तीन वर्षों के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा-विस्तार योजनाओं की जांच कर रहा है। उसने सूचित किया है कि नवम्बर, 1975 के अन्त तक, चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास उत्तर प्रदेश के फैजाबाद प्रभाग में शाखायें स्थापित करने के लिये 9 लाइसेंस/आवंटन थे।

विवरण

ज़िला	स्थान का नाम
फ़ैज़ाबाद	जहांगीरगंज
	मिल्कीपुर
बहराइच	रिसिया
बाराबंकी	बाराबंकी
गोंडा	पारसपुर
	मसकांधा
	सादुल्ला नगर
प्रतापगढ़	कोहनडौर
सुल्तानपुर	सुल्तानपुर

बड़े-बड़े कपड़ा उद्योगियों को कपड़ा उद्योग के विस्तार के लिये रियायतें तथा ऋण

331. **श्री एम० कत्तामुत्तु :**
श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपाण्डे :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कपड़ा उद्योग ने वर्ष 1973–74 में करों की अदायगी के पश्चात् 466.1 प्रतिशत का लाभ दिखाया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस उद्योग का विस्तार तथा नवीकरण करने के लिये बड़े बड़े कपड़ा उद्योगियों को रियायतें तथा ऋण देने का निश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973–74 के लिये 271 वस्त्र मिलों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि कर देने के बाद लाभ शुद्ध मूल्य का 24.7 प्रतिशत था और वर्तमान लाभांश कुल प्रदत्त पूंजी का 9.2 प्रतिशत था।

(ख) सरकार द्वारा ऐसे कोई ऋण अथवा रियायतें नहीं दी जा रही हैं। फिर भी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पुनर्स्थापन एवं आधूनिकीकरण के प्रयोजन के लिये समस्त उद्योग की सहायता करने का विचार है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

332. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निकट भविष्य में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मूल सिद्धान्त क्या हैं ?

वित्त मंत्राय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार ने पहली जनवरी 1973 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चौदह किस्तें पहले ही अदा कर दी हैं। इनमें, 312 तक का जीवन निर्वाह सूचकांक औसत आ गया है । सूचकांक औसत 320 पर पहुंच जाने के परिणामस्वरूप एक अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति देने के लिए मांग की गई है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

स्वेच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत आय कर की वसूली

333. **श्री शशि भूषण :**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में तथा विशेषकर दिल्ली में स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत कुल कितना आय कर वसूल हुआ है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में सारे देश में तथा दिल्ली के सेण्ट्रल तथा अन्य आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में देय आयकर तथा वसूल हुए आयकर की रकमें नीचे दी गई हैं:—

	देय आयकर	वसूल हुआ आयकर
	(करोड़ रुपयों में)	
(1) देश भर में . . .	239.70	150.03
(2) दिल्ली के (सेण्ट्रल) . .	24.32	15.32
तथा अन्य आयकर आयूक्तों के अधिकार क्षेत्रों में		

उत्तर प्रदेश में सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया की खतौली शाखा में डकैती

334. **मौलाना इसहाक सम्भली :** (क) क्या उत्तर प्रदेश में सेण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया की खतौली शाखा के सात लाख रुपये 16 दिसम्बर, 1975 को लूट लिये गये थे; और

(ख) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है तथा धनराशि बरामद कर ली गयी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सेण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया ने बताया है कि 16 दिसम्बर, 1975 को इस बैंक की खतौली शाखा द्वारा मुजफ्फर नगर शाखा से मगायी गयी सात लाख रुपये की नकद रकम उस समय खतौली बस स्टैंड पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट ली गयी जबकि उक्त धनराशि उत्तर प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बस से सन्दूक में उतारी जा रही थी। लुटेरों ने कैश बाक्स के साथ चलने वाले सशस्त्र गार्ड और कैश चपरासी की भी गोली मार कर हत्या कर दी। बैंक ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी और पुलिस की छानबीन जारी है। बैंक को प्राप्त सूचना के अनुसार, अभी तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

करों की वसूली

335. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान आपात स्थिति में आपात स्थिति से पूर्व की अवधि की तुलना में कर वसूली में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि की तुलनात्मक प्रतिशतता कितनी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) **प्रत्यक्ष कर**—जूलाई से नवम्बर 1975 के महीनों में, 524 करोड़ रु० की प्रत्याशित वसूली की तुलना में वास्तविक वसूली 699 करोड़ रु० की हुई, अर्थात् 33.39 प्रतिशत की अधिक वसली हुई।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क—जुलाई से नवम्बर 1975 के महीनों में, 1500 करोड़ रु० की प्रत्याशित वसुली की तुलना में वास्तविक वसूली 1564 करोड़ रु० की हुई अर्थात् 4.27 प्रतिशत की अधिक वसुली हुई।

सीमा शुल्क—जूलाई से नवम्बर 1975 के महीनों में 527 करोड़ रु० की प्रत्याशित वसूली की तुलना में वास्तविक वसूली 563 करोड़ रु० की हुई अर्थात् 6.83 प्रतिशत की अधिक वसूली हुई।

प्रत्यक्ष करों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अधिक वसूली मुख्यत: आपात स्थिति के प्रभाव के कारण हुई प्रतीत होती है, जबकि सीमा शुल्क की वसूली में वृद्धि मुख्यत: अनुमान से कुछ अधिक आयात होने के कारण हुई लगती है।

काले धन और बहुमूल्य वस्तुओं का पता लगाने के लिये छापे मारा जाना

336. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन चार महानगरों में वर्ष 1975 के दौरान लेखाबाह्य धन, ज़ेवरात, तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का पता लगाने के लिये जिन व्यापारिक स्थानों और रिहाइशी मकानों पर छापे मारे गये उनका सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी धनराशि जब्त की गई और कितनी धनराशि के कर तथा जुर्माने लगाये गये और वसूल किये गये; और

(ग) अधिक गम्भीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को जुर्माने और जेल की सजा सहित यदि कोई दण्ड दिये गये हैं तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) कैलेण्डर वर्ष 1975 में, आयकर प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता नगरों में तलाशी लेने और माल, कागजात वगैरा पकड़ने की कई कार्रवाइयां की गई थीं। प्रत्येक कार्रवाई के बारे में ब्यौरेवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और सम्बन्धित आयकर आयुक्तों से यह सूचना इकट्ठी करने में काफ़ी समय लगेगा। इसके अलावा जो कर और दण्ड लगाये गये हैं, और जो वसूल हुए हैं, उनके बारे में तथा जुर्माना और कैद, यदि कोई सजाएं दी गई हों तो उनके बारे में सूचना तब उपलब्ध होगी जब आवश्यक जांच पड़ताल के बाद सम्बन्धित कर निर्धारणों की कार्यवाही पूरी हो जायेगी। इस प्रकार, माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना को वाजिब समय में संकलित करने में कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले अथवा मामलों के बारे में सूचना चाहते हों तो वह जितनी इकट्ठी हो सकेगी उतनी अवश्य दी जायगी।

कपड़ा निर्यात से आय

337. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1974–75 में 300 करोड़ रुपयों के लक्ष्य की तुलना में कपड़ा निर्यात से वास्तव में कितनी आय हुई तथा इससे पूर्व वर्ष की तुलना में यह आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं ;

(ख) यदि निर्यात में कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) परम्परा से प्रतिस्पर्धा रखने वालों से मुकाबला करने के लिये इस व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही और क्या संवर्धन उपाय किये जा रहे हैं जिससे चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात से अधिक आय हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात 295.93 करोड़ रु० के हुए जब कि लक्ष्य 225 करोड़ रु० का था। 1973–74 के दौरान 272.49 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए थे।

(ख) विगत वर्ष की तुलना में 1974–75 के दौरान निर्यातों में कोई कमी नहीं आई।

(ग) सरकार, सामान्य आयात प्रतिपूर्ति लाभों के अतिरिक्त उद्योग को 1-7-75 से 31-3-76 के दौरान कटौती न मिलने वाले आंतरिक करों तथा शुल्कों के भार को कम करने के लिये और रूई की कीमत में जो अंतर है उसके समायोजन के लिये अनुदान दे रही है।

कानपुर में लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा एथरटन वैस्ट मिल्स को सरकारी अधिकार में लेना

338. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि क्या कानपुर में लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा एथरटन वैस्ट मिल्स को राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है और यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : कानपुर के लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा एथरटन वैस्ट मिल्स को पुनः चालू करने के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार तथा उन मिलों के अपने बैंकों के साथ परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस मामले में अंतिम विनिश्चय अभी लिया जाना है ।

कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

339. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने, 1975-76 मौसम के लिये पटसन के देहाती बाजारों में तथा मेस्टा उगाने वाले राज्यों में कच्ची पटसन की सभी अभिज्ञात किस्मों तथा ग्रेडों के लिये न्यूनतम सांविधिक कीमतें निश्चित कर दी हैं ।

(ख) 1975–76 मौसम के लिये असम व्हाइट जूट तथा ऐसी ही किस्मों और ग्रेडों के लिये सभी देहाती बाजारों हेतु 135 रु० प्रति क्विंटल एक समान न्यूनतम सांविधिक कीमत निश्चित की गई थी ।

आयकर विभाग द्वारा तलाशियाँ

340. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने स्वेच्छया से कालेधन की घोषणा के संबंध में अध्यादेश जारी करने के पश्चात् भी देश में आयकर अपवंचकों की तलाशियां लेना और उनकी परिसंपत्ति को जब्त करने का कार्य जारी रखा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : जी हां ।

उत्पादन शुल्क में राहत देने के लिये उद्योगों से अभ्यावेदन

341. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूल्य कम करने और उत्पादन अधिकतम करने के लिये उत्पादन शुल्क में परिवर्तन करने और राहत देने के लिये चीनी, कन्फेक्शनरी, और सीमेंट जैसे भिन्न-भिन्न उद्योगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनका अध्ययन किया गया है ; और

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

तम्बाक का निर्यात

342. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सत्यता है कि विश्व मंडियों में तम्बाकू का निर्यात किये जाने के बढ़ते हुए अवसर का लाभ उठाने में भारत असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य पूर्वी देशों को निर्यात

343. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में भारत से कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) निकट भविष्य में मध्य पूर्वी देशों को निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान भारत के कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) 3304 करोड़ रु० मूल्य के रहे।

(ख) तेल राजस्वों में वृद्धि तथा मध्य पूर्व देशों द्वारा शुरु की गई औद्योगीकरण की योजनाओं के संदर्भ में इन देशों को भारत के निर्यात बढ़ाने के अच्छे आसार हैं।

Renovation of an Ancient Temple in Ranakpur (Rajasthan)

344. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether he visited the historical and ancient temple of Ranakpur in District Pali (Rajasthan) in 1975 ; and

(b) whether his department has formulated any scheme for its renovation ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. (b) As the temple is already being well maintained by the Jain Religious Trust of Anandji Kalyanji, there is no need for the Government to take up its renovation or conservation.

हथकरघा उद्योग को सहायता

345. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा उद्योग को सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस रूप में ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में हथकरघा उद्योग के और आगे विकास के लिये बनाये गये कार्यक्रम में हथकरघों के सहकारी क्षेत्र को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत करना, हथकरघों का आधुनिकीकरण, बेहतर ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, गहन तथा निर्यात अभिमुख उद्योगों की स्थापना करना, उचित कीमतों पर कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना और हथकरघा माल के विपणन स्थलों को सुगठित करना और उनका विस्तार करना तथा हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन के लिये और अधिक किस्मों का माल आरक्षित करना शामिल है। इन परियोजनाओं के वित्तीय फलितार्थ अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

रक्षा लेखा, पटना के कर्मचारियों की समस्यायें

346. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना ने निराधार आपत्तियों के कारण आल इंडिया डिफेंस एकाऊंट्स एम्पलाई एसोसियेशन पटना शाखा को उत्तर देने में फिर विलम्ब करने की नीति अपनाई है;

(ख) क्या कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्।

(ग) कुछ शिकायतें मिली थीं परन्तु उन्हें आधारहीन पाया गया।

Recruitment of Gazetted and Non-Gazetted Officers in Nationalised Banks.

347. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of gazetted and non-gazetted officers recruited in the naionalised banks in 1975; and

(b) whether Harijans have been recruited against their full reserved quota while recruiting these officers ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The staff in banks is categorised as supervisory, clerical and subordinate. Information to the extent available is given in the statement attached. [Placed in the Library. *See* No. L. T.—10063/76]

(b) The banks have reported that the quota reserved for Harijans (Scheduled Castes) could not be filled for want of suitable candidates from these communities despite relaxations.

स्वैच्छिक प्रकटन योजना

348. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नवीनतम "स्वैच्छिक प्रकटन योजना" के बाद से इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों तथा व्यापारिक फर्मों ने अपनी अघोषित आय की घोषणा की है ; और

(ख) राज्य वार कितनी कितनी आय की घोषणा की गई है तथा कितना कर लगाया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत की गयी घोषणाओं के आंकड़े आय-कर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों के अनुसार रखे गये हैं। मांगी गई सूचना, इस समय उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एक विवरण पत्र के रूप में सदन-पटल पर रखी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10064/76]

विदेशों में चाय केन्द्र

349. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में चाय केन्द्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में क्या किये जाने का विचार है ; और

(ग) चाय बागान रोपण वित्त योजना के अन्तर्गत चाय बगानों को दी गई वित्तीय सहायता का भारतीय चाय की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने हेतु कहां तक प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लंदन चाय केन्द्र के नवीकरण और कार्यक्षमता को सुधारने के लिए कदम उठाये गए हैं। अन्य चाय केन्द्रों के कार्य में सुधार लाने के लिए भी उपाय किये जाते हैं। मैलबोर्न चाय केन्द्र को 1975 में बंद कर दिया गया है।

चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए, सरकार अनेक वित्तीय तथा संवर्धनात्मक उपाय करती रही है जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

वित्तीय उपाय :

(1) निर्यात के समय उत्पादन शुल्क की रिबेट की अधिकतम दर को 1–3–75 से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति किग्रा कर दिया गया है ।

(2) संवर्धनात्मक उपाय से रूप में, पैकेट बंद चाय, थैलीबंद चाय और इन्सटैंट चाय, जैसी मदों के अपरंपरागत होने के कारण उनके निर्यात के लिए नकद प्रतिकरात्मक सहायता ।

संवर्धनात्मक उपाय :

(1) विभिन्न परंपरागत और नये बाजारों को भारतीय चाय के निर्यात के लिए अधिकाधिक संभाव्य बनाने के लिए लंदन, न्यूयार्क, ब्रुसेल्स, काहिरा और सिडनी में स्थित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्य ।

(2) पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय चाय की बिक्रियां बढ़ाने के लिए कुवैत में एक नया कार्यालय खोला गया है ।

(3) चुनिन्दा विदेशी बाजारों में स्थानीय ब्लैंडर्स/पैकर्स के सहयोग से भारतीय चाय के विशेष पैक्स का संवर्धन ।

(4) विदेशों में सीमित माध्यम प्रचार ।

(5) विदेश व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(6) चाय के निर्यात के संवर्धन के लिए व्यापारियों और निर्यातकों के दौरों का आदान-प्रदान ।

(7) अन्य अमादक पेय पदार्थों की तुलना में पेय पदार्थ के रूप में चाय की खपत को बढ़ाने के लिए आयातक देशों में स्थानीय चाय व्यापार वर्ग और अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ मिल कर सामान्य संवर्धन में भाग लेना ।

(8) पैकेट बंद और ब्लैंडिड चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में भारतीय चाय व्यापार निगम को सक्रिय बनाना ।

(ग) चाय बागान वित्त योजना के अन्तर्गत 4·60 करोड़ की आवृत्ति राशि की व्यवस्था है । योजना के अन्तर्गत, 234 आवेदन पत्र, जिनमें 9·44 करोड़ रु० की कुल राशि अन्तर्गस्त है, मंजूर किये गए हैं और नवम्बर, 1975 तक 5·29 करोड़ रु० की राशि वितरित की जा चुकी है । योजना के अन्तर्गत पुनर्रोपित/प्रतिस्थापित/विस्तारित कुल क्षेत्र 7266 हेक्टेयर है । चाय बोर्ड की दो अन्य विकास संबंधी योजनाएं भी हैं अर्थात् चाय मशीनरी किराया खरीद योजना और पुनर्रोपण उपादन योजना । इन विकास याजनाओं के फलस्वरूप बागानों में उत्पादन बढ़ाकर 1974 में 4910 लाख कि ग्रा के रिकार्ड स्तर पर पहुंचा है जिससे निर्यातों के लिए अधिक चाय उपलब्ध हुई है ।

बंगलादेश के लिये करेंसी नोटों का छापा जाना

350. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन सिक्यूरिटी प्रेस ने इस वर्ष तथा पहिले बंगलादेश के लिए करेंसी नोट छापे थे ;

(ख) क्या बंगलादेश ने शेख मुजीबुर्रहमान की सरकार के आदेशानुसार ऐसे छापे जाने वाले करेंसी नोटों की डिलीवरी ले ली है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने करेंसी नोट लिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) बंगलादेश सरकार के विशेष अनुरोध पर, उसकी लगभग 421.60 करोड़ टका मूल्य की मुद्रा फरवरी से अगस्त, 1972 तक इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड में छापी गई और सप्लाई की गई। उसके बाद से कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रतिकूल व्यापार-संतुलन

351. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारा प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन कब से चल रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यह प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन किस सीमा तक रहा है ; और

(ग) इस प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1972–73 वर्ष को छोड़कर (जबकि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था) स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से सभी वर्षों में भारत का व्यापार-संतुलन प्रतिकूल रहा है।

(ख) 1972–73 में जो व्यापार संतुलन की स्थिति 103 करोड़ रु० तक अनुकूल रही थी, परन्तु व्यापार संतुलन में 1973–74 में 432 करोड़ रु० का तथा 1974–75 में 1164 करोड़ रु० का घाटा रहा ।

(ग) हमारी आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ खाद्य, पी०ओ०एल० तथा उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण हमारे आयात हमारे निर्यातों की अपेक्षा कहीं अधिक हो गये ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत से तेल सुविधा निधि के अन्तर्गत प्राप्त राशि को लौटाने की मांग

352. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत से कुछ महीने पहले तेल सुविधा निधि के अन्तर्गत प्राप्त राशि को लौटाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

लम्बे रेशे के कपास का निर्यात

353. **श्री वसन्त साठे :**
श्री धामनकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू मौसम के दौरान, राज्यवार, लंबे रेशे के कपास तथा इसकी अन्य किस्मों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) पिछले मौसम के उत्पादन की तुलना में इसकी स्थिति क्या है और देश को मांग की पूर्ति के लिये यह कहां तक पर्याप्त है ; और

(ग) क्या वस्तु-विनियम के अन्तर्गत अथवा अन्यथा कपास की विशेष किस्म का आयात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31 अगस्त, 1976 को समाप्त होने वाले चालू रुई मौसम के लिए रुई के किस्मवार तथा राज्यवार उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इस प्रकार की कोई तुलना इस स्थिति में सम्भव नहीं है ।

(ग) हमारे द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों को बनाये रखने के विचार से मिस्र तथा सूडान जैसे देशों से रुई के सीमित आयात किये जा रहे हैं ।

इराक के साथ व्यापार

354. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक के साथ व्यापार में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) नवीनतम व्यापार समझौते के अनुसार वे कौन-कौन सी वस्तुयें हैं जिनका व्यापार हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । वर्ष 1972-73 से 1974-75 के दौरान इराक के साथ हुए हमारे व्यापार विनिमयों का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :--

	(मूल्य लाख रु० में)		
	1972-73	1973-74	1974-75
निर्यात	1098	2034	7269
आयात	660	6124	25135

(ख) इराक से आयात की जाने वाली मुख्य मदें हैं : खजूर, गंधक तथा कच्चा तेल। हमारे निर्यातों में मुख्यत: लोहा तथा इस्पात, चाय, इंजीनियरी माल, पटसन से बनी चीजें, प्लाईवुड, रसायन तथा वस्त्र शामिल हैं।

गोविन्द सागर झील (हिमाचल प्रदेश) के लिये पर्यटक नौकाएं

355. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में गोविन्द सागर झील के लिये प्रस्तावित पर्यटक नौकाओं का निर्माण कर लिया गया है और वे उपयोग के लिये तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नौकाओं का उपयोग अंतिम रूप से कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया है कि लौंचों के मई, 1976 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

आर्थिक अपराधों के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

356. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात आर्थिक अपराधों के कारण कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : जिन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी उनमें आर्थिक अपराधों के लिये, आपात स्थिति की घोषणा के बाद कुल 59 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उनका राज्य-वार ब्योरा संलग्न अनुबन्धक में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10065/76]

विदेशी मुद्रा-विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत, 26 जून 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक की अवधि में, विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय ने 35 व्यक्ति गिरफ्तार किये थे। उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10065/76]

विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 25 जून, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक का अवधि में कुल 856 व्यक्ति नजरबन्द किये गये। उनका राज्य-वार ब्योरा संलग्न अनुबन्ध 'ग' में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10065/76]

प्रत्यक्ष-कर कानूनों में इस प्रकार के अपराधों के लिये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्वर्ण-नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

रुपये का मूल्य

357. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और सरकार का विचार उसका मूल्य बढ़ाने के लिये आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). रुपये की क्रय शक्ति में जैसा कि औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में हुई घट-बढ़ से पता चलता है जून और अक्तूबर, 1976 के दौरान, 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अक्तूबर, 1975 के बाद की अवधि में, थोक मूल्यों के रुख को देखते हुए यह आशा बढ़ जाती है कि रुपये के मूल्य में अभी और वृद्धि होगी क्योंकि इस वर्ष अच्छी फसल होने के आसार हैं और हाल में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है, जिसका वस्तुओं की कीमतों के स्तर पर अच्छा असर पड़ सकता है। अतः आशा है कि चालू वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सही अर्थ में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके साथ ही, मुद्रा तथा वित्तीय नियन्त्रण को, जिसे पिछले वर्ष कड़ा कर दिया गया था इस प्रकार नियमित ढंग से बराबर लागू रखा जायेगा ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। इन सब के परिणामस्वरूप, रुपये के आन्तरिक मूल्य में निश्चय ही वृद्धि होने की सम्भावना है।

कोचीन में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र

358. **श्री पी०एम० सईद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). केरल सरकार को सलाह दी गई थी कि वह कोचीन में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर सम्भाव्यता अध्ययन कराये।

इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात

359. **श्री ए० के० किस्कु** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत द्वारा कितने मूल्य की इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र से किये जाने वाले इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र से इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यात आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1972-73 — 141.08 करोड़ रु०

1973-74 — 193.47 करोड़ ०

1974-75 — 349.11 करोड़ रु०

(स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्)

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा पटसन मिल

360. श्री ए० के० किस्कु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि में त्रिपुरा पटसन मिल की स्थापना के लिये एक करोड़ रुपये का राशि की व्यवस्था की गई है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त पटसन मिल की स्थापना के बारे में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) त्रिपुरा सरकार से 1975-76 तक एकत्र की गई जानकारी के अनुसार त्रिपुरा जूट मिल के लिए 1.15 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई है ।

(ख) तथा (ग) : भवन निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और भूमि का विकास लगभग पूरा कर लिया गया है। अस्थायी गोदाम बना लिया गया है और मिल के मुख्य भवन का कार्य शुरू किया जा रहा है। मशीनों के लिए आर्डर दे दिये गये हैं ।

रेलवे वैगनों का निर्यात

361. **श्री ए० के० किस्कु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना की अवधि में 10 करोड़ रुपये के मूल्य के 950 रेलवे वैगनों का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आज तक रेलवे वैगनों के लिये कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में यूनिट वार वैगन निर्यात यूनिटों के पास कुल कितने वैगनों के निर्यात के आर्डर पड़े हैं; और

(घ) लक्ष्य पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(ख) पांचवीं योजना अवधि के दौरान 4340 माल डिब्बों की डिलीवरी के लिए आदेश प्राप्त हुए थे । युगोस्लाविया से मिलने वाले आदेश में कमी होने के कारण संख्या अब 2040 माल डिब्बों की है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के अन्त में लम्बित आदेशों की स्थिति (माल डिब्बों की संख्या) निम्नोक्त प्रकार है :—

कारखाने का नाम	31-3-73 को	31-3-74 को	31-3-75 को
वैग्सन एण्ड कं०	535	120	48
ब्रेथवेट लि०	200	142	90
टैक्समाको	275	269	673
बर्न एण्ड कं०	273	49	—
आई एस डब्ल्यु	326	163	105
सिमको		110	110
के० टी० स्टील	490	186	186

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दमदम में निर्बाध व्यापार-क्षेत्र

362. **श्री ए० के० किस्कु** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम में निर्बाध व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यह प्रस्ताव साल्ट लेक क्षेत्र में शत प्रतिशत निर्यात आधार पर बहु-उत्पाद मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए है ।

(ख) तथा (ग). परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और यह विचार की अन्तिम अवस्था में है।

Demand for increasing the prices of Opium

363. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of FINANCE** be pleased to state:

(a) whether the cost of production of opium has gone up due to increase in the prices of chemical fertilizers and enhanced rates of power and irrigation ;

(b) whether the opium cultivators have demanded an increase in the price of opium; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Rev. & Banking: (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a), (b) and (c). The cost of production of opium has gone up especially during the last two years due to the increased cost of agricultural inputs like chemical fertilizers, power and irrigation. However, to offset this increase in cost of production, Government have raised the purchase price of opium form Rs. 60/- to Rs. 110/- per kg. at the minimum level and from Rs. 100/- to Rs. 180/- per kg. at the maximum level.

Government have received some representations from opium cultivators asking for a higher purchase price. It is, however, considered that the price increase made by Government during the last two years is fair and adequate. The fact, that Government was able to secure this season a much larger area and more cultivators for poppy cultivation as compared to the last year, would indicate that the opium cultivators are, by and large, satisfied with the Government's pricing policy.

काले धन का पता लगाने के लिये उपाय

364. **श्री वसंत साठे** :

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अनुमान के अनुसार देश में कितना काला धन है ;

(ख) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में काले धन के खतरे की रोकथाम के लिये एक के बाद एक कड़े उपाय किये हैं;

(ग) स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत नवीनतम उपलब्धी क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में काले धन पर रोक लगाने और आर्थिक अपराधियों को दंडित करने के लिये और कड़े उपाय कर रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)। (क) सरकार ने इसका कोई अनुमान नहीं लगाया है कि देश में कितना काला धन है । परन्तु यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने अनुमान लगाया था कि वर्ष 1968-69 में 1400 करोड़ रुपये की आय पर कर का अपवंचन किया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार 738.65 करोड़ रुपये की आय के बारे में 2,40,484 और 790.98 करोड़ रुपये के धन के बारे में 13,132 घोषणाएं प्राप्त हुई हैं ।

(घ) काले धन को समाप्त करने और आर्थिक अपराधियों को दण्ड देने के लिये आवश्यक समझे जाने वाले सब उपाय किये जा रहे हैं ।

हथकरघा बुनकर

365. श्री वसन्त साठे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्युत चालित करघों द्वारा बनाई गई बहुत अधिक साड़ियों के बाजार में आ जाने के कारण हथकरघा साड़ियों की बिक्री पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के कारण हथकरघा बुनकरों के सामने आ रही कठिनाइयों का पता है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत चालित करघा क्षेत्र के अत्यधिक उत्पादन से हथकरघा क्षेत्र को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र राज्यों में काफी अधिक विद्युत चालित करघे अनधिकृत हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त करघों के चालू रहने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). रंगदार सूती साड़ियों के उत्पादन को केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए ही आरक्षित किया गया था । परन्तु, ऐसी रिपोर्टें मिलती रही हैं कि विद्युत चालित करघों द्वारा रंगदार साड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है । जिससे हथकरघा क्षेत्र द्वारा बनाई गई साड़ियों की बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है । सभी राज्य सरकारों से, जिनके माध्यम से आरक्षण के आदेश लागू किये जाते हैं, यह अनुरोध किया गया है कि वे आदेशों को सख्ती से लागू करें । इसके

अलावा, केन्द्रीय सरकार ने टैक्स मार्क पद्धत्ति को पुनः लागू कर दिया है जिसके अन्तर्गत विद्युत्त चालित करघों के मालिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विद्युत चालित करघों पर बने कपड़े पर अपनी लाइसेंस संख्या आदि छापें ताकि विद्युत्त चालित करघों पर बने कपड़े की पहचान हो सके और साथ ही ऐसे कपड़े का हथकरघा कपड़े के रूप में बेचा जाना रोका जा सके ।

(ग) तथा (घ). ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अनधिकृत विद्युत्त चालित करघे मौजूद हैं, परन्तु ऐसे करघों की संख्या का कोई ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है । सरकार ऐसे अनधिकृत विद्युत्त चालित करघों के चलने के विरुद्ध है और अनधिकृत विद्युत्त चालित करघों से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है ।

Number of Indian Tourists who visited aboard

366. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state —

(a) whether after declaration of Emergency Government had issued instructions to the concerned departments to the effect that Indians should not be permitted to go abroad; and

(b) if so, the number of Indian tourists who went abroad during June to December, 1975 and how does this number compare to the figures for similar period of the two years prior to the declaration of emergency?

The Minister of State in the Ministery of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Ministries of Home Affairs and External Affairs who were consulted have stated that no such instructions have been issued. The applications for passports are being processed on their merits as before the emergency.

(b) The Department of Tourism maintains record of foreign tourist arrivals in India and not that of Indians going abroad.

Long-Term Agreement with Egypt

367. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether any long-term agreement for trade on barter basis was signed by the Under Secretary of Egypt and the Secretary of the Ministry of Foreign Trade of India during the third week of December, 1975; and

(b) if so, the quantum, value and other particulars of goods, including oil, to be exchanged?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh):

(a) A bilateral Trade Arrangment with the Arab Republic of Egypt for the year 1976 was signed on the 18th December 1975.

(b) The Trade Arrangement provides for exports from each country to the other upto a value of Rs. 60 crores. The list of items for export from India include coking coal, iron ore, iron and steel, tea, jute goods, engineering goods, drugs, chemicals & pharmaceuticals, tobacco, sugar, plywood etc. The items for export by the Arab Republic of Egypt include crude oil, rock phosphate, rice, cotton etc.

Goods lying unsold with S.T.C. and M.M.T.C.

368. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether goods worth crores of rupees are lying unsold with the State Trading Corporation and the Minerals and Metals Trading Corporation ; and

(b) whether the prices of these imported goods have gone down considerably in the market which is likely to cause tremendous loss to these corporations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) The value of imported stocks with State Trading Corporation and Minerals & Metals Trading Corporation as on 1-12-1975 is Rs. 55·67 crores and Rs. 68·76 crores respectively These stocks are generally within the normal limits necessary for meeting promptly the requirements of actual users.

(b) Prices of most of the imported materials have generally remained stable throughout 1975, though there was a downward trend in the case of some items. The trading results would be known only when accounts are finalised after sale of these materials.

भारत में विदेशी कम्पनियाँ

369. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में व्यापार कर रही कितनी तथा किन किन विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सम्बन्ध नियमों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1975 के पश्चात अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है; और

(ख) उसका औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी कम्पनियों की चार शाखाओं को अपना मौजूदा कारबार जारी रखने की अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है । बैंक ने, विदेशी शाखाओं की 9 कम्पनियों तथा 18 भारतीय कम्पनियों के नाम, जिनमें गैर निवासियों के शेयर 40 प्रतिशत से अधिक हैं आशय-पत्र जारी किये हैं जिनमें उन्हें अपना मौजूदा कारबार जारी रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है । इन शाखाओं/कम्पनियों की सूची नीचे दी गयी है । उपर्युक्त शाखाऐं/कम्पनियां मुख्य रूप से व्यापार/वाणिज्य में लगी हुई हैं । इन्हें इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है कि वे गैर-निवासियों के शेयरों की प्रतिशतता को कम करके 40 तक करेंगे अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर कम से कम 60 प्रतिशत इक्विटी शेयर भारतीयों को दे देंगे ।

1. विदेशी कम्पनियों की शाखाएं जिन्हें अन्तिम मंजूरी दे दी गयी है

1. गेरडी इंडिया कारपोरेशन, नई दिल्ली ।
2. न्यू वे पैकेज्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मद्रास ।
3. वान रीस इंडिया, बी० वी० कलकत्ता ।
4. वेंडाग वैस्टफलिया डिनेन्डहल क्रडापेल एकतिएन्गेसेल-शाफ्ट, कलकत्ता ।

2. विदेशी कम्पनियों की शाखाएं जिनके नाम आशय-पत्र जारी किये गये हैं

1. ब्रिटिश बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, बम्बई
2. इंलीफ हैन्सन लिमिटेड, बम्बई ।
3. फैबइन्डिया इंक, नई दिल्ली ।
4. गिंडिाज एण्ड लीविस फ्रेजर लिमिटेड, कलकत्ता ।
5. आई० के० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, नई दिल्ली ।
6. जैम्स फिनले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।
7. लाइनोटाइप एण्ड मशीनरी लिमिटेड, बम्बई ।
8. मारकोनी इंटरनेशनल मैरीन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।
9. मेक ग्रेगर एण्ड बेलफोर लिमिटेड, कलकत्ता ।

3. वे भारतीय कम्पनियाँ जिनके गैर-निवासी शेयर 40 प्रतिशत से अधिक हैं और जिनके नाम आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं

1. एल्फ्रेड हरबर्ट (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता ।
2. आटोमैटिक मशीन कम्पनी, कलकत्ता ।
3. एशिया इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा० लि०, बम्बई ।
4. कोलाम्बिया ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
5. ई० ग्रीन एण्ड सन्स (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई ।
6. एफ० एल० स्मिथ एण्ड कम्पनी (बम्बई) प्रा० लि०, कलकत्ता ।
7. जनरल सुपरिनटैण्डेन्स कम्पनी (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई ।
8. इलैफोर्ड सेलो (इंडिया) लि० बम्बई ।
9. इंडिया मोलेसिस कम्पनी प्रा० लि० नई दिल्ली ।
10. इण्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इंडिया (प्रा०) लि०, बम्बई ।
11. इंडिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इंडिया) (प्रा०) लि०, बम्बई ।
12. मेडोरिना वाच कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई ।

13. मर्क इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० बम्बई।

14. पिकर ऐक्सरे (इंडिया) लि० कलकत्ता ।

15. रौलेक्स वाच कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई ।

16. सीपल्वर ब्रास (इंडिया) लि० बम्बई ।

17. टैक्सटाइल ऐक्सपोर्ट (प्रा०) लि०, बम्बई ।

18. वेडल (इंडिया) लि०, कलकत्ता।

(ख) : यह अनुमति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 को लागू करने से सम्बन्धित निर्देशों के अन्तर्गत दी गयी है ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियाँ निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

370. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में तथा आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) कुल कितने व्यक्ति फ़रार हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन वर्ष 1975 के दौरान (1-1-75 से 31-12-75 तक) नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या 1207 है । इनमें से 856 व्यक्ति, 25-6-75 को आपात स्थिति की घोषणा किये जाने के बाद नजरबन्द किये गये हैं ।

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन 1975 के दौरान जिन व्यक्तियों को नजरबन्दी के आदेश किये गये थे उनमें से 296 को अभी नजरबन्द किया जाना है ।

नगरीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा उधार दिये जाने पर रोक

371. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा उधार दिये जाने पर कोई रोक लगाने का विचार कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक धन दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश में मुद्रास्फ़ीति पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) और (ख): यद्यपि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से बैंकिंग पद्धति की यह स्वीकृत नीति रही है

कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाये, तथापि सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाये ।

बेरोजगार इंजीनियरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

373. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेरोजगार इंजीनियरों को अपने उद्यमों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) सरकार के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में नये लघू उद्योगपतियों को हो रही कठिनाई को किस प्रकार दूर करने का विचार है ।

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी):(क). सरकारी क्षेत्र के बैंक बेरोजगार इंजीनियरों सहित योग्यता प्राप्त प्राविधिक उद्यमियों को उत्पादनकारी उद्यमों की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने के लिए, उद्यमो के विकास की विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत, उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देते हैं। आम तौर पर ये बैंक प्रायोजना के आकार, ऋणकर्त्ता की तकनीकी योग्यता तथा अपना पैसा लगाने की उसकी क्षमता जैसी कई बातों पर विचार करने के बाद मार्जिन सम्बन्धी निर्धारण निश्चित करते हैं। उपयुक्त मामलों में, सरकारी क्षेत्र के बैंक, मार्जिन के लिए आग्रह किये बिना, प्रायोजना की सारी लागत के बराबर वित्तीय सहायता देने पर विचार करते हैं।

(ख): 1969 में बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकों ने छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के ऋण प्रस्तावों का जल्दी निपटारा करने के लिए कई उपाय किये हैं। और बातों के साथ साथ फ़ार्मों और प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और छोटे पैमाने के उद्योगपतियों को शीघ्रातिशीघ्र ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त शक्तियां सौंप दी गई हैं। बैंकिग व्यवस्था की यह स्वीकृति नीति है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को उदार पैमाने पर तथा प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाये।

दक्षिणी भारत के माल आयात करने में इटली के आयातकर्ताओं का संकोच

374. **श्री भान सिंह भौरा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या इटली के आयातकर्ता दक्षिणी भारत से चमड़े और हथकरघे की वस्तुओं जैसा सामान आयात करने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि हवाई जहाज से माल भेजने में होने वाली कठिनाइयों के कारण माल भेजने में विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) माल भेजने में होने वाली इस कठिनाई के कारण निर्यात पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसा कोई संकोच का मामला जानकारी में नहीं आया है । हां, दिसम्बर, 1975 के दौरान मद्रास से माल भेजने में कुछ विलम्ब हुआ था ।

(ख) चमड़े तथा परिधानों के बकाया शिपमैंस को उठाने के लिए मद्रास से एयर इंडिया ने साप्ताहिक अतिरिक्त कार्गो उड़ानों की व्यवस्था की । जो अन्य कदम उठाए गए उनमें यह भी शामिल है कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को इस शर्त पर 31-3-1976 तक चमड़े का माल ले जाने के लिए अनुमति दी गई कि यदि वह माल निर्धारित दरों पर ले जाया गया तो उन्हें स्वीकार्य दरों पर उपदान का हक होगा ।

(ग) इन उठाये गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में सुधार आया है, और निर्यातों पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय साड़ियों का लोकप्रिय होना

376. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी विदेशी महिलाओं ने भारतीय साड़ियों को स्थायी रूप से अपना लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सूती साड़ियां, ब्लीच्ड कार्डेड यार्न साड़ियां, रेशमी साड़ियां, कृत्रिम रेशम की साड़ियां तथा पावरलूम की साड़ियो में से कोन सी साड़ियों को सब से ज्यादा पसन्द किया जाता है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). भारतीय साड़ियां उन बहुत से देशों द्वारा आयात की जाती हैं जहां पर भारतीय उद्यम् की पर्याप्त जनसंख्या है । सूती साड़ियां तथा रेशमी साड़ियां सब से अधिक पसन्द की जाती हैं ।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों का कार्यक्रम

377. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया को अनुमति दी है कि वे गैर वित्तीय कम्पनियों के पास जमा राशि की वृद्धि को रोक कर और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन वित्तीय कम्पनियों को "बैंक" मान कर गैर-बैंकिंग कम्पनियों को उनकी सीमा में रखने के उपाय करे ;

(ख) क्या ये गैर-वित्तीय कम्पनियां केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन कर के उद्योग और व्यापार के लिये धन की व्यवस्था करती थीं ; और

(ग) यह कार्यवाही किये जाने के अन्य कारण क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय और वित्तीय कम्पनियों की जमाएं स्वीकार करने सम्बंधी गतिविधियों पर विद्यमान नियन्त्रण पर्याप्त हैं या नहीं इस प्रश्न की जांच करने के वास्ते रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियां विषयक एक अध्ययन दल का गठन किया था । अध्ययन दल ने निर्धारित विषय पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफ़ारिशें की हैं : –

(1) जहां तक गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों का सवाल है निदेशकों द्वारा गारन्टी शुदा असुरक्षित ऋणों शेयर धारकों की जमाओं इत्यादि के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत की वर्तमान उच्चतम सीमा में, पहली जनवरी, 1977 से 5 प्रतिशत कमी कर दी जाये और पहली जनवरी 1978 से शेष 10 प्रतिशत भी पूरी तरह समाप्त कर दिया जाये ; और

(2) वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों के प्रभावी विनियमन के लिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21,23, 27(2), 28, 35क, 35ख, खण्ड (ग) और उपधारा (3) को छोड़कर 36(1), 38 और 44क के अनुरूप शक्तियां रिजर्व बैंक को प्रदान की जायें ।

सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है । उपर्युक्त सिफ़ारिश (1) का प्रभाव यह होगा कि सिफ़ारिशें पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने के पश्चात् गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों अपनी चुकता पूंजी और निवल मुक्त प्रारक्षित निधियों के 25 प्रतिशत की सीमा तक ही जमा राशियां स्वीकार कर सकेंगी ।

(ख) अध्ययन-दल ने पाया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियां साधारणतया अपनी जमा रकमों का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए ही करती है ; और

(ग) उपर्युक्त सिफ़ारिशों के पीछे प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि मुद्रा तथा ऋण नीति की प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जाये और यथासम्भव, जमाकर्त्ताओ के हित की रक्षा की जाये ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से ऋण

378. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की एक सहयोगी संस्था अन्त र्ष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) ने इस देश में उर्वरक उत्पादन को बढाने के लिये 10 करोड़ 50 लाख डालर के ऋण की पेशकश की है ।

(ख) क्या उक्त राशि किन्हीं विशिष्ट मदों के लिये है ; और

(ग) यदि हां, तो वे मदें कौन-कौन सी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । उर्वरक उद्योग परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 31 दिसम्बर, 1975 को 10.5 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10066/76]

चमड़े की वस्तुओं के लिये विमान भाड़ा दरें

379. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और मद्रास से चमड़े की वस्तुयें अमरीका तथा कनाडा ले जाने के लिये विमान भाड़ा दरें बढ़ायी गयी हैं जिससे विदेशी एयरलाइन्स पिछला पड़ा माल उठा [सकें; और

(ख) क्या भाड़े की इस बढ़ी हुई दर से इस उद्योग को चीन, स्पेन तथा दक्षिण अमरीकी देशों से प्रतिस्पर्धा करने में क्षति पहुंचेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विमान द्वारा चमड़े तथा चमड़े के बने सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा रियायती अनिवार्य भाड़ा दरें निश्चित की गयी थीं । क्योंकि ये रियायती दरें अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा आकर्षक नहीं समझी गयी थीं, अतः उनमें तैयारशुदा चमड़े के मामले में 17 दिसम्बर, 1975 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर के संशोधन कर दिया गया था । आशा की जाती है कि संशोधित दरों से अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां भारत से चमड़े के अधिक माल को उठाने के लिये प्रेरित होंगी ।

(ख) तैयारदा चमड़े के लिये जहाज-पर-दाम (फ्री ऑन बोर्ड) वसूली में की गयी वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, यह व्यवसाय भाड़ा दर में हुई वृद्धि को झेल सकेगा ।

केन्द्रीय बिक्री कर की वसूली

380. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर के [रूप में कुल कितनी धनराशि वसुल की है; और

(ख) क्या आपातस्थिति का कर दाताओं पर निश्चित प्रभाव पड़ा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) राज्य सरकारों, द्वारा, वर्ष 1974-75 में वसूल किये गये केन्द्रीय बिक्री-कर का जोड़, संशोधित अनुमानों के अनुसार, कोई 278 करोड़ रुपये आया है ।

(ख) जी हां ।

आयकर की वसूली

381. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान आय-कर के रूप में कुल कितनी धन राशि वसूल की है ;

(ख) क्या आपात स्थिति की घोषणा और धन की स्वैच्छिक प्रकटन योजना से आय-कर वसूली की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ग) इस समय देश में आय-कर की कितनी धनराशि बकाया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) निगम-कर को मिलाकर आयकर की कुल रकम, वित्तीय वर्ष 1974-75 में, विभागीय आंकड़ों के अनुसार 1544.00 करोड़ रुपये वसूल हुई ।

(ख) आय-कर की वसूली के आंकड़े 30 नवम्बर, 1975 तक के उपलब्ध हैं। इसमें आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 के अन्तर्गत हुई वसूली शामिल नहीं हैं । आपात स्थिति की घोषणा के बाद अर्थात् जुलाई से नवम्बर 1975 तक की अवधि में आय-कर और निगम-कर की रकम की वसूली के आंकड़े, 1974-75 और 1973-74 वर्षों की तत्तुल्य अवधि के आंकड़ों से तुलना के साथ नीचे दिये गये हैं:—

वर्ष	जुलाई से नवम्बर तक की अवधि में हुई वसूली की रकम (रकम करोड़ रुपयों में)	वृद्धि रकम	वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत-वृद्धि
1973—74	446.96	—	—
1974—75	489.15	42.19	9.4 प्रतिशत
1975—76	661.87*	172.72	35.3 प्रतिशत

* अनन्तिम आंकड़े ।

आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 के अन्तर्गत, 31 दिसम्बर 1975 तक देय आय-कर के तथा चुकाये गये आयकर के आंकड़े, अब तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार नीचे दिये गये हैं :—

देय आय-कर . . .	239.70 करोड़ रुपये
आय-कर की रकम जो वसूल हो चुकी है	150.03 करोड़ पये

(ग) निगम-कर को मिलाकर आय-कर की बकाया रकम के अभी हाल के आंकड़े 30 सितम्बर 1975 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं। उस तारीख को स्थिति के अनुसार, आय-कर और निगम-कर की सकल तथा शुद्ध बकाया रकम इस प्रकार थी :—

सकल बकाया . .	911.22 करोड़ रुपये
शुद्ध बकाया	656.55 करोड़ पये

घटिया कपड़े का उत्पादन

382. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों ने उतना घटिया कपड़ा उत्पादित किया था कि वितरण से सम्बद्ध गैर-सरकारी व्यापारियों ने भी उसे उठाने से इंकार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिल मालिकों और इस माल को पास करने वाले कपड़ा आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974 के उत्तरार्द्ध में, मिलों द्वारा उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े की क्वालिटी के बारे में शिकायतें मिली थीं। संशोधित विशिष्टियां अधिसूचित करके, जो 1 मार्च, 1975 से लागू हैं उपचारात्मक कार्यवाही की गई और तभी से उत्पादित कन्ट्रोल का कपड़ा सामान्य तौर पर उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप है। 9 अक्तूबर, 1972 से कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण में गैर-सरकारी व्यापार का सहयोग नहीं लिया गया है।

(ख) जहां भी मिलों ने विशिष्टियों के अनुसार कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन नहीं किया हैं, ायुक्त ने विशिष्टियों का अनुपालन न करने पर कार्यवाही की है।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

383. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अधिकांश विदेशी इक्विटी वाली अनेक कम्पनियों से भारतीय राष्ट्रिकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को शेयर बेचने के लिये अपने प्रस्ताव देने को कहा है;

(ख) क्या 31 मार्च, 1975 तक की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 19 विदेशी कम्पनियों ने जिनमें से 16 बहु राष्ट्रीय निगमों की शाखायें हैं अतिरिक्त इक्विटी के माध्यम से भारतीयकरण किया; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों को दृढ़ता से लागू नहीं कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 दिसम्बर, 1975 तक, 92 विदेशी कम्पनियों से अपने गैर-आवासी शेयरों को 74 प्रतिशत तक और 125 विदेशी कम्पनियों से 40 प्रतिशत तक कम करने के लिये कहा था। ऐसा गैर-आवासी शेयरों में, भारतीय रिजर्व बैंक और पूंजी निर्गम नियंत्रक की अनुमति से कटौती करके किया जाना है, और ऐसा आवश्यकतानुसार या तो शेयरों में लगी पूजी को वापस लेकर या अतिरिक्त शेयरों को केवल भारतीयों के नाम जारी करके या दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित सभी विदेशी कम्पनियों से प्राप्त आवंटन पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासनार्थ जारी किए गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पेरियार झील का विकास

384. **श्री के० लकप्पा**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रसिद्ध आखेट निषिद्ध क्षेत्र पेरियार झील के विकास पर ध्यान नहीं दिया है ;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों के विकास के लिये भी कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) क्या स्थिति का सुधार करने के लिये सरकार का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, नहीं। पेरियार झील पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) डांडेली वन्यजीव शरण-स्थान पर एक विश्राम गृह (6.63 लाख रुपए) तथा बांदीपुर वन्यजीव शरण-स्थान पर एक विश्राम गृह (7.22 लाख रुपए) के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय मंजूरियां क्रमश: 9 अगस्त तथा 14 अगस्त, 1972 को जारी की गयी थीं।

डांडेली में विश्राम गृह पर निर्माण-कार्य 1973 के मध्य में आरम्भ किया गया था तथा उस पर 2.49 लाख रुपए का व्यय हो चुका है। बांदीपुर वन्यजीव शरण-स्थान की प्रायोजना पर कार्य को नए निर्माण-कार्यों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया जो कि उसी समय लागू तो गया था जबकि उक्त कार्य हेतु डिजाइनों पर विचार किया जा रहा था। बांदीपुर, डांडेली, बानरघाटा तथा नगरहोले

वन्यजीव शरण-स्थलों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वन्यजीवों को देखने के लिए 1.64 लाख पए की कुल लागत से चार मिनी बसों की व्यवस्था की जा चुकी है।

1975-76 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आखेट शरण-स्थानों के विकास के लिए 21.5 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है जोकि "प्राजेक्ट टाइगर" के लिए भारत सरकार द्वारा दी गयी चार लाख पए की राशि से अलावा है।

(ग) बांदीपुर वन्यजीव शरण-स्थान तथा पेरियार झील पर बन लाजों के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के लिए विभाग की पंचवर्षीय योजना की स्कीमों में व्यवस्था कर दी गयी है तथा इन स्कीमों में पेरियार झील के लिए किश्ती भी सम्मिलित है। इन्हें निधियां उपलब्ध होने की हालत में प्रारम्भ किया जा गा।

विवरण

पेरियार झील के बारे में केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारंभ की गयी स्कीमें

वर्ष	स्कीम का नाम	राशि
		रु०
दूसरी पंचवर्षीय योजना	थेक्केडी में विश्राम गृह का सुधार	40,000
तीसरी पंचवर्षीय योजना .	(i) थेक्केडी में विश्राम गृह का सुधार (पिछली अवशिष्ट स्कीम)	2,04,608
	(ii) जंगली जानवरों को देखने के लिए पर्यटकों के प्रयोग के लिए लौंचों की व्यवस्था (पेरियार झील)	64,983
	(iii) थेक्केडी में स्लोपिंग जेट्टी	48,000
वार्षिक योजना 1967–68	पेरियार झील वन्य जीव शरण-स्थान के लिए मोटर लौंचों की खरीद	50,000
वार्षिक योजना 1968–69	थेक्केडी में अरण्य निवास होटल का विस्तार	3,00

दक्षिण भारतीय राज्यों से माल का निर्यात

385. श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों से विभिन्न प्रकार के माल के निर्यात को, इन वस्तुओं के निर्यात की घटती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए, बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हाल ही में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : इस मंत्रालय द्वारा अलग-अलग राज्यों की मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं किए जाते हैं। फिर भी, सरकार निर्यात आय में वृद्धि करने के लिए सुनिश्चित संभाव्यताओं वाली मदों का उत्पादन-आधार सुदृढ़ बनाने और निर्यात बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

कर्नाटक में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बंगलौर में राज्य व्यापार निगम की शाखा

386. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय का कर्नाटक में नि **र्यात** को बढ़ावा देने हेतु अधिक सुविधाएं देने के विचार से राज्य व्यापार निगम की एक शाखा बंगलौर में खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : राज्य व्यापार निगम ने बंगलौर में एक शाखा कार्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए कर्नाटक सरकार को धन दिया जाना

387. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का तीव्र गति से क्रियान्वयन करने के लिए धन दिये जाने के लिए कर्नाटक सरकार ने कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). कर्नाटक सरकार ने आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत काली नदी पर बिजली परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए और मालप्रभा परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपए की विशेष अग्रिम सहायता का अनुरोध किया है। उसने बीजापुर जिले में हथ-करघा विकास की गहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक करोड़ रुपए की आयोजना-भिन्न विशेष सहायता का अनुरोध भी किया है। भारत सरकार ने आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत काली नदी परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की और मालप्रभा परियोजना के लिए, 3 करोड़ रुपए की विशेष अग्रिम सहायता देने की मंजूरी दे दी है बशर्ते कि राज्य सरकार इसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी कर दे। केन्द्रीय सरकार गहन हथ-करघा विकास परियोजना की सहायता के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है।

जयविलास पैलेस, ग्वालियर से अवैध सोने और चाँदी का पकड़ा जाना

388. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, 1975 में ग्वालियर के जयविलास पैलेस में तलाशी के दौरान अ सोना और चांदी मिली थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इतने भारी आर्थिक अपराध के लिये "राजमाता" के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्य वाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख). ग्वालियर के भूतपूर्व शासक परिवार के जयविलास महल की तलाशियां, आय-कर अधिकारियों तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों ने मिलकर ली थी ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों ने ग्वालियर के जयविलास महल की तलाशियों में अक्तूबर और नवम्बर 1975 में निम्नलिखित शुद्ध सोना, सोने की बनी वस्तुएं और आभूषण पकड़े, जिन्हें स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत घोषित नहीं किया गया था :—

विवरण	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपय में)
शुद्ध सोना .	54	28
सोने की बनी वस्तुएं . .	72	36
सोने के आभूषण	24	8
	150	72

उपर्युक्त कुल सोने में से, 25 लाख रुपये मूल्य की 50 कि० ग्रा० वजन की चूड़ियों के रूप में गोल स्वर्ण छड़ें, सीमाशल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गयी थीं ।

आय-कर विभाग ने तलाशियों में निम्नलिखित मूल्यवान वस्तुएं पकड़ीं :—

विवरण	मूल्य (लाख रुपयों में)
जेवर-जवाहरात .	55
चांदी के बर्तन .	38
(35 क्विंटल वजन के) . .	93

इसके अतिरिक्त, मामले में कर-निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों का सत्यापन होने तक, आय-कर विभाग द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश के अधीन निम्नलिखित वस्तुएं सील की गयी थीं :—

विवरण	मूल्य (लाख रुपयों में)
जवाहरात	57
सोने की वस्तुएं और आभूषण	25
चांदी के बर्तन	25
	107

(ग) जांच-पड़ताल अभी जारी है । वर्तमान जांच-पड़ताल के बाद, संबंधित कानूनों के अधीन अपेक्षित कार्यवाही की जायगी ।

फैजाबाद में स्थानों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास

389. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में किस-किस स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है और उक्त अवधि में कितने पर्यटक उन स्थलों पर गये हैं ; और

(ख) वर्ष 1976 के दौरान वहां कौन-कौन से स्थानों में पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**) : (क) क्योंकि केन्द्रीय पर्यटन योजना में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है, केन्द्रीय क्षेत्र में फजाबाद डिवीजन में पर्यटन विकास का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आंकड़े स्थान-बार या राज्य-बार आधार पर नहीं रखे जाते हैं, फंजाबाद डिवीजन में रूचिकर स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों की गणना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती । तथापि यह समझा जाता है कि रामनवमी तथा कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत से तीर्थ यात्री अयोध्या जाते हैं ।

पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने अयोध्या में एक क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय तथा सरावस्ती जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सहायतार्थ गोंडा में एक पर्यटक ब्यूरो स्थापित किया है ।

(ख) वर्ष 1976 के दौरान राज्य सेक्टर में आर्थिक विवशताओं के कारण फैजाबाद डिविजन में पर्यटक केन्द्रों के विकास के कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

काजू के अनबिके भण्डार को कम करने के लिए रूसी सहायता

391. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने काजू के अनबिके भंडार को कम करने के लिये भारतीय काजू निर्यात-कर्त्ताओं की सहायता की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). अक्तूबर '75 में सोवियत संघ ने 5000 मै टन काजू की गिरियां खरीदी थीं जिससे उस समय जमा स्टाक निपटाने में सहायता मिली ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद छापे

392. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री राम सहाय पाँडे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद मारे गये छापों में, कुल कितनी धनराशि बरामद की गई ;

(ख) कितने बड़े व्यापार गृहों से यह धनराशि बरामद हुई ; और

(ग) अब तक कुल कितने मामलों को निपटाया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आयकर अधिकारियों द्वारा जो तलाशियां ली गई और जो माल कागजात वगैरा पकड़े गये उनके आंकड़े मासिक आधार पर मामलेवार रखे जाते हैं, समूहवार नहीं रखे जाते । ये आंकड़े अभी तो नवम्बर 1975 तक के उपलब्ध है ।

आयकर अधिकारियों ने जून से नवम्बर 1975 तक की अवधि में जो तलाशियां लेने और माल वगैरा पकड़ने की कार्यवाहियां की उनमें 12.8 करोड़ रु० से कुछ अधिक ही मूल्य की परिसम्पत्तिय पकड़ी गई है । 24 मामलों में पकड़ी गयी परिसंपत्तियों का मूल्य 5 लाख रु० से अधिक था ।

जिस तलाशी में मूल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती है, उसमें तलाशी के बाद, पहला काम अघोषित आय का सरकारी तौर पर अनुमान लगाने का किया जाता है, और पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों के उतने भाग को रोक रखने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी करना होता हैं, जितना, अनुमानित अघोषित आय पर देय कर तथा अन्य मौजूदा कर की देनदारी को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाय ; (1 अक्तूबर 1975 को अथवा उसके बाद पकड़े गये माल के मामले में व्याज तथा दंड की देनदारी भी ऐसी गणना में ली जायगी) । यह आदेश तलाशी लेने के 90 दिन के अन्दर जारी करना होता है । तदनन्तर नियमित कर निर्धारण की कार्यवाही

शुरू की जाती है और जिन मामलों में आवश्यक होता हैं उनमें दंड लगाने और/अथवा इस्तगासे की कार्यवाही भी शुरू की जाती है ।

कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन

393. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने के बारे में कपड़ा उद्योग सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कट्रोल के कपड़े का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई और गुजरात में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

394. **श्री राम सहाय पाँडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात् बम्बई और गुजरात में तस्करी का माल भारी मात्रा में पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की वस्तुयें पकड़ी गयीं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) जी, हां । आपातस्थिति की घोषणा के बाद बम्बई और गुजरात में निषिद्ध माल को पकड़ने के 70 मामले हुए, जिनमें से प्रत्येक मामले में 1 लाख रु० से अधिक मूल्य का माल पकड़ा गया ।

(ख) इन अभिग्रहणों के परिणामत: पकड़े गये माल का मूल्य 4,16,34,826 रु० था ।

सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के मूल वेतन से महंगाई भत्ते को अलग करने का प्रस्ताव

395. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के मूल वेतन तथा वेतनमान से महंगाई भत्ते को अलग करने का है ; और

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1975 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि किस्तों में अदा की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्तमान में महंगाई भत्ते का स्वरूप विभिन्न संस्थापनों में भिन्न-भिन्न है। कुछ मामलों में यह वेतन से जुड़ा हुआ है और दूसरे मामलों में यह उससे जुड़ा हुआ नहीं है। संगठित उद्योगों में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी और महंगाई भत्ते या तो अभिकरणों के पंचाट द्वारा या मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों द्वारा या द्विपक्षीय समझौतों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और सरकार प्रत्यक्ष तौर पर इसमें अन्तग्रस्त नहीं होती। इनमें से बहुत से पंचाटों और समझौतों में महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचकांकों से जोड़ दिया गया है और केवल उसके अन्तर्ग्रस्त आने वाले सभी कर्मचारियों को एक ही दर पर और मात्रा में दिया जाता है, भले ही वे कितनी भी मजदूरी/वेतन पाते हों। विद्यमान योजनाओं में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय कर्मचारियों की क्रमश: 1-6-74, 1-7-74 और 1-9-74 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते को तीन किस्तों की अदायगी के लिए 30-1-75 को आदेश जारी किए गए थे। फिर, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को क्रमश: 1-10-74, 1-11-74, 1-12-74, 1-2-75 और 1-3-75 से महंगाई भत्ते की 5 और किश्तों की अदायगी के लिए 4-9-1975 को आदेश जारी किए गए।

वित्त मंत्री की अमरीका तथा अन्य देशों की यात्रा

396. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1975 के उत्तरार्द्ध में अमरीका तथा अन्य देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). मैं अगस्त, 1975 के अन्तिम सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष / अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के "21 के ग्रुप" की अन्तरिम/विकास समितियों की बैठकों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष / अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका गया था। वहां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार करने और विकासशील देशों को साधन प्रदान करने से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया।

असैनिक हवाई अड्डा, अहमदाबाद

397. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक हवाई अड्डा, अहमदाबाद की वर्तमान टर्मिनल इमारत को नया रूप देने के कार्य में तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री राज बहादुर) : बड़े परिवर्तनों का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। बाद में मंजूर किए गए छोटे परिवर्तन कार्यों पर कार्यक्रमानुसार प्रगति नहीं हो सकी क्यों कि परिवर्तनों में वर्तमान रेस्टोरेंट के एक भाग को डिपार्चर होल्डिंग ऐरिया में परिवर्तित करना सम्मिलित था। केटरिंग कन्ट्रेक्टर रेस्टोरेंट के क्षेत्र में कमी करने पर आपत्ति प्रकट की तथा लाइसेंस

फीस में कमी करने के लिए नागर विमानन विभाग के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। बातचीत करने के बाद, केटरिंग कांट्रेक्टर को परिवर्तन कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया गया तथा यह कार्य अक्तूबर, 1975 में प्रारम्भ कर दिया गया और इसके मार्च, 1976 में पूरा हो जाने की आशा है।

अहमदाबाद में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव

398. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में भारत पर्यटन विकास निगम के एक नये "थ्री स्टार" या "फोर स्टार" होटल का बहुत शीघ्र निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अहमदाबाद में 60 कमरों वाले एक तीन स्टार होटल के निर्माण के लिये 75 लाख रुपए की व्यवस्था सम्मिलित है। प्रायोजना के क्रियान्वयन कार्य को संतोषजनक संभाव्यता अध्ययन तथा निधियों की उपलब्धता की हालत में हाथ में लिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना

399. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छठी किश्त अदा कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस राशि का भुगतान कब किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यह संदर्भ संभवतः 320 के सूचकांक औसत के आधार पर महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त के लिए है। यदि हां, तो उत्तर है—'जी नहीं'।

(ख) मामला विचाराधीन है।

इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये नकद सहायता

400. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये नकद सहायता देने का निश्चय ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). समुचित नकद प्रतिपूर्ति सहायता विभिन्न इंजीनियरी उत्पादों, विशेषकर अपरंपरागत मदों के लिए, मूल्य निर्धारण के संबंध में कर संबंधी प्रभारों को पूरा करने के लिए और बाजारों के विकास हेतु संवर्धन संबंधी उपाय के रूप में दी जाती है।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

401. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974–75 में पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई शाखाएं खोली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कृषि बैंक शाखा भी खोली गई हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जुलाई 1974 से 30 जुन, 1975 की अवधि के दौरान चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पंजाब में 50 शाखायें खोली हैं।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी नियमित शाखाओं द्वारा ही कृषि संबंधी ऋण प्रदान करते हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके अनुषंगी बैंकों ने अपनी कुछ शाखाओं को "कृषि विकास शाखा" का रूप दे दिया है। 1974–75 के दौरान पंजाब में ऐसी दो शाखायें खोली गई थीं।

पौंड स्टर्लिग के अनुसार रुपये का पुनर्मूल्यांकन

402. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया में स्टर्लिग के अनुसार रुपये का पूनर्मूल्यांकन किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने हाल ही में तत्काल "डिलीवरी" के लिये पौंड स्टर्लिग के क्रय-विक्रय की दरों का पुनरीक्षण किया हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 5–12–1975 से लागु नई दरें इस प्रकार हैं :—

हाजिर खरीद	1 पौंड =	18.0784 रुपये (पहले यह दर 1 पौंड = 18.2584 पये थी)
हाजिर बिक्री	1 पौंड =	18.1784 पये (पहले यह दर 1 पौंड = 18.3584 पये थी)

Seizure of Properties of Smugglers.

403 **Shri M.C. Daga :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Finance** be please to state:

(a) whether the property of the Smugglers arrested under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, has been forfeited; and

(b) if so, the value thereof ?

The Minister of State In Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b). Action for forfeiture of property under the Smugglers and Foreign Exchange Manupulators (Forfeiture of Property) Ordinance, 1975 is to be taken by the Competent Authorities. They are expected to start functioning shortly.

बमरौली, इलाहाबाद में एयर ट्रैफिक सेन्ट्रल रडार सिमुलेटर का चालू होना

404. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बमरौली, इलाहाबाद में एयर ट्रैफिक सैन्ट्रल रडार सिमुलेटर हाल में चालू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । इसे नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली, इलाहाबाद में 7 मई, 1975 को चालू किया गया था ।

(ख) डिजिटल विमान यातायात नियंत्रण राडार सिमुलेटर विभिन्न प्रकार के सुपरिष्कृत राडारों के परिचालन में विमान यातायात नियंत्रकों के प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेत हैं । इसका डिजाइन 200 समुद्री मील की परास संभाव्यता वाले दीर्घ परास विमान मार्ग निगरानी राडार (ए० आर० एस० आर०), 60 समुद्री मील की परास संभाव्यता वाले विमान मार्ग निगरानी राडार (ए० एस० आर०) तथा यथावत् अवतरण राडार (पी० ए० आर०) की विशेषताओं की नक्ल (सिमुलेट) करने के लिए किया जाता है । सिमुलेटर में एक पूर्व-योजित (प्रि-प्रोगाम्ड) उच्च रफ्तार वाले डिजिटल कम्प्यूटर पर प्रयोग किया जाता है ।

बैंकों में धोखाधड़ी की घटनायें

405. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974–75 में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी की कितनी घटनाओं का पता लगाया गया ?

(ख) कुल कितनी धनराशि की चोरी हुई और उसमें से कितनी बरामद हुई हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1975 की अवधि के दौरान चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई धोखाधड़ी (जिसमें उठाईगीरी, चोरी, नकदी में कमी, लूट, डकैती, गबन इत्यादि शामिल है) की घटनाओं की संख्या 302 थी जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है । भारतीय रिजर्व बैंक उठाईगीरी की घटनाओं के लिये अलग से आंकड़े नहीं रखता है । क्योंकि विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ीयों की वसूली प्रक्रियायें भिन्न-भिन्न है और इस समय भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं, अतः वसूल की गई राशि का ठीक-ठीक विवरण देना संभव नहीं है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास उनकी अपनी निर्देश पुस्तक हैं जिनमें वे सावधानियां बतायी गयी हैं जो धोखाधड़ी की घटनाओं से बचने के लिये उन्हें बरतनी चाहिये । जब भी किसी धोखाधड़ी की घटना का पता चलता है तो उक्त धोखाधड़ी के तरीके को ध्यान में रखते हुए आमतौर से बैंक अपनी सभी शाखाओं को सावधान कर देते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, सभी बैंकों को, अपने कार्यालयों में होने वाली धोखाधड़ी की घटना का पता चलते ही उसकी रिपोर्ट भारतीय रिर्जव बैंक को भेजनी पड़ती है । धोखाधड़ी के तरीके, और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिये अपनाये गये उपायों के बारे में सामान्य आन्तरिक नियंत्रण में यदि कोई कमी रह गयी हो तो उसकी जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों को इसी प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सुरक्षा तथा सावधानी के उपायों के बारे में सलह दी जाती है ।.

धोखाधड़ी के स्वरूप और मात्रा को ध्यान में रखते हुए मामलों को विस्तृत जांच के लिये या तो स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाता है या बैंकों द्वारा स्वयं विभागीय जांच की जाती है । किन मामलों को स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाय और किन मामलों की बैंकों द्वारा विभागीय जांच की जाए इस बारे में सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं । सभी राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्रम को स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने अपने संगठनों में सतर्कता कक्षों की स्थापना कर ली है ।

पटना स्थित रक्षा लेखा-नियंत्रक के कार्यालय में स्थानान्तरण तथा नियुक्ति सम्बन्धी नीति

406. श्री रामावतार शास्त्री: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटना स्थित रक्षा-लेखा-नियंत्रक के मुख्य कार्यालय तथा इससे बाहर स्थित उसके उप-कार्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से नियुक्त आई० डी० ए० एस० अधिकारियों लेखा-अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारियों (लेखा) की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या लेखा-परीक्षकों तथा लिपिकों की भांति, इन अधिकारियों के मामले में बारी-बारी से स्थानान्तरण की नीति नहीं अपनायी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के अधीन लेखा-परीक्षों/लिपिकों के पदों की संख्या उस संख्या में काम कर रहे बिहार राज्य के कर्मचारियों की संख्या से बहुत कम है । परिणामतः बिहार राज्य के बहुत से कर्मचारियों को अपने राज्य से बाहर दूरस्थ एवं रण-सेवा-क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है । बारी-बारी से स्थानान्तरण पद्धत्ति द्वारा ऐसे कर्मचारी अपने राज्य में तैनाती करा सकते हैं । आई० डी० ए० एस० अधिकारियों के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है और बारी-बारी से स्थानान्तरण न तो आवश्यक है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से सदा संभव है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के परिवहन डिवीजन को हुई हानि

407. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के परिवहन डिवीजन ने वर्ष 1974–75 में भारी हानि उठाई है ;

(ख) क्या इण्डियन नेशनल ट्रेड युनियन कांग्रेस तथा आल इंडिया ट्रेड युनियन कांग्रेस से सम्बद्ध संघों ने प्रबन्धकों का ध्यान विभिन्न कदाचारों की ओर दिलाया है जिनके कारण व्यापार में हानि हो रही है तथा ग्राहक-सेवायें बिगड़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों ने इन शिकायतों की जांच करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन विभाग को 1974–75 के दौरान 14.05 लाख रुपये की हानि हुई जिसका मुख्य कारण वेतनदरों में पुनरीक्षण-स्वरूप वृद्धि के परिणामस्वरूप 12.64 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय तथा पेट्रोल (शत प्रतिशत से अधिक) टायरों, ट्यूबों फालतू पुर्जों इत्यादि के मुल्यों में अत्यधिक बृद्धि थी ।

(ख) और (ग) : आई० एन० टी० यु० सी० तथा ए० आई० टी० यु० सी० से सम्बद्ध युनियनों ने तथाकथित कदाचार एवं भारत पर्यटन विकास निगम के व्यवसाय को प्राइवेट एजेंसियों को दे डालने के बारे में शिकायतें भेजी हैं ।

शिकायतों के प्राप्त होने पर, आकस्मिक छापे मारे गए तथा विशिष्ट घटनाओं का जांच की गयी । जहां कहीं अपराध प्रत्यक्षतः सिद्ध हुए, यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

नरोरा (उत्तर प्रदेश) का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

408. श्री हरी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में नरौरा का एक पर्यटक-केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन विभाग में भर्ती

409. **श्री हरी सिंह:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में पर्यटन विभाग में बहुत से नये राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों का आरक्षित कोटा रिक्त पदों की कुल संख्या के अनुसार भरा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) जी, हां।

(ख) 54 (22 सितम्बर, 1975 तक)

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षणों का विनियमन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाता है।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 8 थी जिनमें से इन जातियों के 6 व्यक्तियों की भर्ती की जा चुकी है। जो दो अवशिष्ट रिक्तियां यथोचित योग्यता--सम्पन्न उम्मीदवारों के न मिलने के कारण भरी नहीं जा सकीं, उन्हें आगे ले जाया गया है और उनकी भर्ती के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

Hotel Employees removed from Service

410. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether some low paid and class IV employees working in hotels run by the India Tourism Development Corporation and the Tourism Department have been removed from service after the proclamation of emergency;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the number of employees belonging to scheduled castes among them ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Seven employees of the India Tourism Development Corporation hotels have been removed from service on grounds of misconduct since the proclamation of emergency. The services of one more employee have been terminated during the period of probation on grounds of inefficiency. Two of them belonged to the Scheduled Castes.

These employees were in the following pay scales:—

Rs. 160— 310	1
Rs. 170— 325	1
Rs. 190— 350	1
Rs. 200— 380	2
Rs. 220— 425	1
Rs. 270— 525	1
Rs. 300— 615	1

There are no Class IV employees in the India Tourism Development Corporation hotels.

The Department of Tourism does not run any hotel.

Recruitment in Civil Aviation Department

411. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether any recruitment of Gazetted and Non-Gazetted officers has been made in the Department of Civil Aviation in 1975 ;

(b) their total number; and

(c) whether Harijan Officers have been recruited against their full reserved quota among them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

थोक मूल्य सूचकाँक

412. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की एक समीक्षा में सरकार ने यह दावा किया है कि मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया गया है और कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई है;

(ख) 30 अप्रैल, 1972 को सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक क्या था;

(ग) अब वह सूचांकांक क्या है (उपलब्ध आखिरी महीनों का); और

(घ) अप्रैल, 1973 से अक्तूबर, 1975 तक थोक मूल्य की वृद्धि-दर में गिरावट का खुदरा मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). यह बात कि मूल्यवृद्धि पर काबू पा लिया गया है, इस तथ्य से जाहिर है कि थोक मूल्यों का सूचक अंक (1961-62=100) जो 29 अप्रैल, 1972 को समाप्त हुए सप्ताह में 192.8 था और 21 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए सप्ताह में 330.7 के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था, गिर कर 20 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए सप्ताह में (अर्थात् वह सबसे हाल की सप्ताह जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) 295.7 हो गया। इस प्रकार, यह स्तर एक वर्ष पहले के स्तर से 6.6 प्रतिशत नीचे है।

(घ) यद्यपि यह देखा गया है कि थोक मूल्यों में होने वाली घटबढ का प्रभाव खुदरा मूल्यों पर कुछ समय बाद ही पड़ता है, लेकिन थोक मूल्यों के सचक अंकों और उपभोक्ता मूल्यों के सूचक अंकों के बीच कोई निकट समानता स्थापित नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के क्षेत्र में अन्तर होता है। फिर भी संलग्न सारणी से पता चलता है कि दोनों सूचक अंकों में होने वाली घटबढ़ की प्रवृत्तियां लगभग एक जैसी ही है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या** एल० टी० 10067/76]

राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत तथा विदेशी बैंकों द्वारा कमाया गया लाभ

413. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार राष्ट्रीयकृत बैंकों, अराष्ट्रीयकृत बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने कुल कितना-कितना लाभ कमाया है;

(ख) विदेशी बैंकों ने गत-तीन वर्षों में, वर्षवार प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी राशि बाहर भेजी है;

(ग) क्या बहुत से विदेशी बैंकों ने हमारे देश में अपनी नई शाखायें खोलने के लिये रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1972, 1973 तथा 1974 के वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-अनुसूचित बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित निवल लाभ, जो कि उन्होंने अपने तुलन-पत्रों में प्रकशित किया है;

(लाख रुपये)

	1972	1973	1974
i. भारतीय स्टेट बैंक . . .	385	412	461
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	51	54	61
	436	466	522
ii. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक . . .	1544	1849	2298
i और ii का जोड़ . .	1980	2315	2820
iii. अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	146	149	324
गैर अनुसूचित बैंक . . .	2	1	7
विदेशी बैंक	390	420	628

(ख) यथासम्भव सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) और (घ). गत वर्ष के दौरान किसी भी विदेशी बैंक ने भारत में नई शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन नहीं किया हैं। जुलाई, 1969 से रिजर्व बैंक ने सोनाली बैंक, ढाका के अतिरिक्त, किसी भी विदेशी बैंक को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

कपड़े का निर्यात

414. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 दिसम्बर 1975 को एक नई कपड़ा नीति की घोषणा की थी जिसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम और गैर-सरकारी कपड़ा मिलों को कण्ट्रोल का कपड़ा उत्पादित करने के बारे में एक वर्ष की छूट दी थी;

(ख) वर्ष 1973 से वर्ष 1975 तक वर्षवार मिलों ने कुल कितनी मात्रा में कण्ट्रोल तथा गैर-कण्ट्रोल का कपड़ा उत्दादित किया था;

(ग) वर्ष 1973 से वर्ष 1975 तक वर्षवार कण्ट्रोल के तथा गैर-कण्ट्रोल के कपड़े के मूल्यों में कितनी प्रतिशत बृद्धि हुई; और

(घ) इस समय राज्यवार विभिन्न मिलों में कण्ट्रोल के कपड़े का कितना स्टाक जमा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र तथा साथ ही राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में उन मिलों को एक वर्ष की अवधि के लिए कण्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन से छूट दी गई है जिन्होंने अपने अन्तिम सन्तुलन-पत्र में आरक्षणों की व्यवस्था करने के पश्चात् संचित हानियां दिखाई हैं ।

(ख)

वर्ष	कण्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन (लाख वर्ग मीटरों में)	गैर-कण्ट्रोल वाले कपड़े का उत्पादन (लाख वर्ग मीटरों में)
1973 . . .	4280	3,6160
1974 . .	6780	3,5080
1975 (जन०–सित०) .	5350	2,4010

(ग) कण्ट्रोल कपड़े की कीमतों में 1 अप्रैल, 1974 से मई, 1968 के कीमत स्तर से 30 प्रतिशत वृद्धि की गई और इसके पश्चात् और किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है ।

गैर-कण्ट्रोल वाले कपड़े के सम्बन्ध में मिल-निर्मित कपड़ा कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	औसत मिल कपड़ा सूचकांक	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1973	178.4	—
1974	235.4	31.95
1975 (जनवरी/नवम्बर)	236.6	0.50

(घ) नवम्बर, 1975 के अन्त तक 82,537 गांठें माल जमा होने का अनुमान लगाया गया था । तथापि, राज्यवार तथा मिलवार जमा माल का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी

415. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन घोषणा के पश्चात् अत्यावश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति प्रवृत्ति में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ख) अगले वित्तीय वर्ष में यह स्थिति बने रहने की सम्भावना के बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) जो जून में 328 था घट कर अक्टूबर, 1975 में 317 हो गया अर्थात् इसमें इस अवधि के दौरान 3.7 प्रतिशत की कमी हुई।

(ख) ऐसा कहना मुश्किल है कि यह क्रम 1976–77 में भी जारी रहेगा। तथापि खेती और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की मौजूदा प्रवृत्ति से और यदि मानसून ठीक हो तो अगले वर्ष उत्पादन में और भी वृद्धि होने की सम्भावना से यह पता चलता है कि आने वाले कुछ समय तक कीमतों में कुछ हद तक स्थिरता बराबर बनी रहेगी।

पूर्वी क्षेत्र में पटसन की काश्त

416. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभ-प्रद मूल्य होने के कारण पूर्वी क्षेत्रों में काश्तकारों ने पटसन की काश्त में रुचि प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हाल ही में पटसन की खेती के क्षेत्र में कमी दो कारणों से हुई है। वे कारण हैं :—(i) मौसम स्थिति तथा (ii) प्रतियोगी फसलों का अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी होना।

(ख) सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित किया करती है। भारतीय पटसन निगम कीमतों को निर्धारित कीमतों पर अथवा उससे ऊपर बनाये रखने के लिए खरीदारी एवं कीमत समर्थन कार्य करता है जिससे पटसन उपजकर्ताओं को उचित लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पटसन उपजाने वाले सभी मुख्य राज्यों में एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में सघन पटसन जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिर भी पटसन उगाने के क्षेत्र में वृद्धि करने की अपेक्षा अधिक और प्रति हैक्टार उपज बढ़ाने पर दिया जाता है ताकि उपजकर्ता को बेहतर लाभ मिले।

बंगलादेश के साथ व्यापार

417. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच व्यापार सामान्य हैं; और

(ख) क्या व्यापार तथा वाणिज्य का क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक नया व्यापारिक समझौता किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत तथा बंगला देश के बीच व्यापार 17 दिसम्बर, 1974 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापार संलेख के अनुसार चल रहा है । इस व्यापार संलेख का स्रोत सितम्बर, 1973 में भारत तथा बंगला देश के बीच हस्ताक्षरित व्यापार करार है । 1976 के लिए व्यापार वार्ता 7 से 12 जनवरी, 1976 तक हो रही है ।

रुपये का मूल्य

418. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पौंड से रुपये को असम्बद्ध करने के बाद भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का मूल्य बढ़ाने के लिये आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) जी, हां ।

(ख) रुपये की विनिमय दर को पौण्ड स्टर्लिंग से अलग किए जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की औसत क्रय-विक्रय दर 1 पौण्ड स्टर्लिंग-18 रुपए 60 पैसे थी और 25 सितम्बर, 1975 को उक्त परिवर्तन के बाद यह दर 1 पौण्ड स्टर्लिंग-18.3084 रुपये हो गई । यह दर 5 दिसम्बर, 1975 से 1 पौण्ड स्टर्लिंग-18.1284 रुपए है ।

आपात स्थिति की घोषणा किए जाने और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी की रोकथाम से सम्बन्धित अधिनियम के लागू हो जाने के बाद तस्करी तथा गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजी जाने वाली रकमों में काफी कमी हुई है और सरकारी माध्यमों से बाहर से देश में आने वाली रकमों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । मुद्रा स्फीति पर काबू पा लिया गया है और बहुत सी वस्तुओं के मूल्यों में अब गिरावट की प्रवृत्ति दिखाहैं दे रही है । इन सब बातों से रुपए के विनिमय मूल्य में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी ।

चाय का निर्यात

419. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) चाय का उत्पादन बढाने तथा उसकी किस्म में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या संकटग्रस्त चाय बागानों को सरकार अपने हाथ में लेने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मूख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चाय बोर्ड की विकास योजनायें अर्थात् चाय रोपड़ वित्त योजना और पुनर्रोपण उपदान योजना में नये क्षेत्रों के विस्तार और/अथवा पुराने क्षेत्रों में पुनर्रोपण/बदली के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। चाय मशीनरी किराया खरीद योजना फ़ैक्टरियों के आधूनिकीकरण या विद्यमान फ़ैक्टरियों के विस्तार में सहायता देती है। सामूहिक रूप में ये योजनाएं न केवल उत्पादन बढाने में अपितु चाय की क्वालिटी उठाने में भी सहायता करती है। हाल ही में पुनर्रोपण उपदान योजना में संशोधन किया गया है ताकि नई पौध लगाकर या बिना लगाए कटाई छटाई द्वारा नवीकरण करना उसमें शामिल किया जा सके। यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों में बढिया किस्मों की चाय का उत्पादन बढाने में सहायक होगी। चाय बोर्ड उर्वरकों, कोयले फ़र्नस आयल, घासपात नाशी, कीटनाशी दवाएं आदि जैसे निविष्ट साधनों का मिलना सुनिश्चित करने में सहायता देता है।

(ग) तथा (घ) जिन बागानों को फ़िर से सामान्य रूप से उत्पादन योग्य बनाया जा सकता है उनके पुन : स्थापन के लिए सरकार ने उपाय निश्चित कर लिए हैं जिनमें बागानों का प्रबंध अपने हाथ में लेना भी शामिल है। इस प्रकार के बागानों का प्रबंध हाथ में लेने की व्यवस्था करने के लिए चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के बारे में विधान पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं।

Export of Commodities to Egypt

420. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the commodities which are to be exported by India to Egypt under Indo-Egyptian agreement;

(b) the amount likely to accrue to India as a result of this export ; and

(c) the amount likely to be paid for the crude oil imports from Egypt ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) A Trade Arrangement has been concluded with Arab Republic of Egypt for the period 1-1-1976 to 31-12-1976. This Trade Arrangement provides for exports from India of Coking Coal, Iron Ore, Iron & Steel, Tea, Jute goods, Engineering Goods, Drugs, Pharmaceuticals & Chemicals, Sugar, Tobacco, Plywood etc. worth Rs. 60 crores and imports from Egypt of Crude Oil and other commodities of the same value.

लम्बे रेशे की कपास का निर्यात

421. श्री वसन्त साठे :
श्री धामनकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रूई निगम को लम्बे रेशे की कपास के निर्यात की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल में लम्बे रेशे की कपास के निर्यात के लिए अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) 1974–75 रूई फ़सल की लम्बे रेशे वाली 2.15 लाख गाठों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति

422. **श्री बसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ने हाल ही में राज्य सरकारों की वित्तिय स्थिति का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) कृषि क्षेत्र में, जो अब तक कराधान से वंचित रहा है, राज्य सरकारें अतिरिक्त संसाधनों को जुटाये इस हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है। किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1975 के अपने बूलेटिन में राज्य सरकारों के बजटों पर आधारित 1975–76 में उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में एक लेख प्रकाशित किया है।

(ख) इस अध्ययन का मूख्य निष्कर्ष यह है कि राज्यों के कर-राजस्वों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनूरुप पर्याप्त बढोतरी नहीं होती है, और इसका मूख्य कारण यह है कि राज्य कुछ ही करों पर अधिक निर्भर रहते हैं, और प्रगामी प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से कृषि सम्बन्धी कर को बाहर रखते हैं यद्यपि राज्यों के बजटों में चालू वर्ष में 10 करोड़ रुपए का एक बड़ा मुनाफ़ा दिखाया गया है, लेकिन उन जिन खर्चों की बजटों में व्यवस्था नहीं की गयी है उनके कारण और आयोजना परिव्यय के स्तर को बनाए रखने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, उन के कारण वस्तुत : इस मूनाफ़े के घाटे में बदल जाने की सम्भावना है। यदि राज्यों को अपने बजटों को सन्तुलित बनाना है और आयोजना परिव्यय के स्तर को बनाए रखना है तो उन्हें, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र से जो अभी तक काफ़ी हद तक अछूता ही है, अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे।

(ग) और (घ) केन्द्र राज्यों पर विकास संबंधी कार्यों की गति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त साधन जूटाने और इन साधनों को, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के समृद्ध वर्गों से जुटाने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। केन्द्र राज मिति की सिफ़ारिशों के अनुसार राज्यों को कृषि जोत कर लगाने, या भू-राजस्व सम्बन्धी रियायतों को वापस लेने, भू राजस्व पर बराबर बढ़ते जाने वाले अधि-प्रभार लगाने, समून्नति कर लगाने, वाणिज्यिक फ़सलों पर उपकर लगाने और खेतों में प्रयोग किए जाने वाले पानी और बिजली की दरों में वृद्धि करने जैसे अन्य उपाय अपनाने का सुझाव देता रहा है। राज्यों के साथ वार्षिक आयोजना के बारे में जो विचार विमर्श किया जाता है उसमें भी राज्य सरकारों का ध्यान कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त साधन जुटाने की गुंजाईश और आवश्यकता की और विशेषरूप से दिलाया जाता है।

Declaration of Important Towns as Tourist Centres in Madhya Pradesh

423. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare important towns of Madhya Pradesh like Indore, Ujjain, Bhopal, Gwalior, Shiv Puri, Jabalpur, Rewa, Bilaspur and Raipur as towns of tourist interests and if so, when; and

(b) whether the Department of Tourism proposes to open some hotels in these towns ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) There is no system by which the places are declared as tourist centres. The development of tourist centres in the Central Sector is determined on the basis of whether they are popular with international tourists or hold the potential for attracting international tourists. With this end in view, facilities for international tourists have already been provided at Khajuraho, Sanchi, Mandu and Bhopal in Madhya Pradesh. The development of tourist facilities at other centres visited by a large number of domestic tourists would be the responsibility of the State Government.

(b) The Department of Tourism does not operate any hotel. The India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, proposes to construct a motel at Bhopal during the Fifth Five Year Plan period, subject to feasibility study and availability of resources.

होटल खोलने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

424. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल मालिकों को नए होटल खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत, जोकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चलाई जा रही है, नए होटल खोलने के लिए निजी क्षेत्र में प्रत्याशित होटल उद्यमियों को ब्याज सहित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता पहले ही उपलब्ध है। राज्य सरकारों को इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए किसी टैंडर की आवश्यकता नहीं है । ऐसी होटल प्रायोजनाएं, जिनका पर्यटन विभाग ने उनकी विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से अनुमोदन कर दिया है, उक्त योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन करने की पात्र हैं ।

पूर्वी-भारत में कच्चे पटसन का मूल्य

425. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पूर्वी भारत की मुख्य मंडियों में कच्चे पटसन का मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या कच्चे पटसन के मूल्य में मंदी आ जाने के परिणामस्वरूप उत्पादकों को घाटा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस मौसम में पूर्वी भारत की मुख्य मंडियों में कच्चे पटसन की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी न्यूनतम स्तर के आसपास ही रहीं ।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी न्यूनतम कीमतों में उपजकर्ताओं को लाभकारी मुनाफ़े तथा अन्य सभी सम्बद्ध बातों का ध्यान रखा जाता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 591(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 598(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) पांचवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 599(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10041/76]

निक्षेप बीमा निगम अधिनियम के वर्ष 1974 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम आदि के अंतर्गत प्रतिवेदन आदि

राजस्व और बैंकिंग विभाग प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे पुन : सभा पटल पर रखे गए [ग्रंथालय में रखे गए । **देखिये** संख्या एल० टी० 10042/76]

(2) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बंबई का वर्ष 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** एल० टी० संख्या 10043/76]

(दो) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10044/76]

(तीन) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10045/76]

(3) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, वर्ष 1973–74 के लिए आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, लाभ तथा हानि लेखे और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जो दिनांक 25 जून, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 6/9/74—फिन (जी) में प्रकाशित हुये थे। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10046/76]

(4) कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषिक पुनर्वित्त निगम, बम्बई के 30 जून, 1975 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10047/76]

(5) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संविदा प्रतिभूति (विनियमन) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2641 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10048/76]

(6) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2339 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) डाक घर बचत बैंक (चौथा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2398 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) डाक घर बचत बैंक (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2468 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) डाक घर बचत बैंक (छठा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2601 में प्रकाशित हुये थे ।

(पांच) मैसूर सरकार बचत बैंक (नामांकन) संशोधन नियम, 1975, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 2841 में प्रकाशित हुये थे ।

(छः) मैसूर सरकार बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1975, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2842 में प्रकाशित हुये थे ।

(सात) डाक घर बजत बैंक (सातवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2843 में प्रकाशित हुये थे । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** एल० टी० संख्या 10049/76]

(7) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत प्रमाणपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2340 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2510 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) डाक घर बचत प्रमाणपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2797 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (पांचवां निर्गम) (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2798 में प्रकाशित हुये थे ।

(पांच) डाक घर बचत प्रमाण पत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2840 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10050/76]।

(8) सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षक, लिपिक, तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) पहला संशोधन स्कीम, 1975 जो दिनांक 5 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 472 (ङ) (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में सां० आ० 4471 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) स्कीम, 1975 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 521(ङ) (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में सां० आ० 5242 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1975 जो दिनांक 21 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 672 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षक, लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) दूसरा संशोधन स्कीम, 1975 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5415 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10051/76]

(9) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 19 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 525(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5039 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) आपात जोखिम (माल) बीमा (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 705 (ङ) में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10052/76] ।

(10) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा, अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 19 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 526(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5040 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 706 (ङ) में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10053/76] ।

(11) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 593 (ङ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 602 (ङ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 3 (ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10054/76] ।

(12) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण (दुकानदारों को लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 745 (ङ) में प्रकाशित हुये थे । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10055/76] ।

(13) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा 2 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और अगम) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 597(ङ) मे प्रकाशित हुये थे। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये। संख्या एल० टी० 10056/76]।

(14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (22 वां संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 592 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यान्मक ज्ञापन। [ग्रथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10057/76]।

वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1975

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्मत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 927 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10058/76]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 13 विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10059/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाओं, व्यापार विकास प्राधिकरण, 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन, नियंत्रित कपड़े के बारे में विवरण तथा सूती कपड़ा निर्यात (नियंत्रण) आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) विस्कोश स्टैपल फाइबर नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 जो दिनांक 2 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2441 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सूती कपड़ा (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 4799 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 4403 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10060/76]

(3) निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) 1 अक्तूबर, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक की अवधि के लिये नियंत्रित कपड़े का पैकिंग दर्शाने वाला विवरण ।

(दो) अक्तूबर, 1974 के पैकिंग (नवम्बर, 1974 में आवंटित) में से विभिन्न राज्यों तथा खुदरा दुकानों को नियंत्रित कपड़े का आवंटन दर्शाने वाला विवरण ।

(तीन) नवम्बर, 1974 के पैकिंग (दिसम्बर, 1974 में आवंटित) में से विभिन्न राज्यों तथा खुदरा दुकानों को नियंत्रित कपड़े का आवंटन दर्शाने वाला विवरण ।

(चार) दिसम्बर, 1974 के पैकिंग (जनवरी, 1975 में आवंटित) में से विभिन्न राज्यों तथा खुदरा दुकानों को नियंत्रित कपड़े का आवंटन दर्शाने वाला विवरण ।

(पांच) जनवरी, 1975 के पैकिंग (फरवरी, 1975 में आवंटित) में से विभिन्न राज्यों तथा खुदरा दुकानों को नियंत्रित कपड़े का आवंटन दर्शाने वाला विवरण ।

(छः) मार्च, 1975 के पैकिंग (अप्रैल, 1975 में आवंटित) में से विभिन्न राज्यों तथा खुदरा दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्म वार आवंटन दर्शाने वाला विवरण ।

(सात) फरवरी, 1975 के पैकिंग (मार्च, 1975 में आवंटित) में से विभिन्न राज्यों तथा खुदरा दुकानों को नियंत्रित कपड़े का आवंटन दर्शाने वाला विवरण । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10061/76] ।

(4) सूती कपड़ा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1949 के खंड 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 373 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 जून, 1956 की अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 1317 में कतिपय संशोधन किया गया है । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10062/76]

रेल अभिसमय समिति
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालपुरम) : मैं रेल अभिसमय समिति/उप-समिति के निम्नलिखित कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल अभिसमय समिति, 1973 की पहली से सत्रहवीं, उन्नीसवीं, बीसवीं, बाईसवीं से चौबीसवीं और अट्ठाईसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(2) माल डिब्बों की आवश्यकता तथा उपलब्धता सम्बन्धी रेल अभिसमय समिति, 1973 की उप-समिति की पहली से छठी बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

रेल अभिसमय समिति
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

11वां प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालपुरम) : मैं वर्ष 1976–77 के लिये लाभांश दर तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में रेल अभिसमय समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

12वां प्रतिवेदन

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

182वां और 184 वां प्रतिवेदन

10. **श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) चलचित्र प्रभाग (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 49 पर 182वां प्रतिवेदन ।

(2) हांप पौधों के निर्यात (कृषि विभाग) के बारे में समिति के 136वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर 184वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

76वाँ प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 56 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे म समिति का 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सोमवार, 12 जनवरी, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(आगे विचार तथा पास करना)

निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक, 1976

(विचार तथा पास करना)

आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1976

(विचार तथा पास करना)

वर्ष 1975–76 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1976

(विचार तथा पास करना)

दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक, 1976

(विचार तथा पास करना)

वर्ष 1975–76 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान

रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा

आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा आय और धन स्वेच्छया प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा

आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक, 1976

(विचार तथा पास करना)

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) विधेयक, 1976

(विचार तथा पास करना)

अध्यक्ष महोदय: कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय हुआ था कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में किसी मद के सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी सुझाव माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री को गुरुवार से पूर्व दे दिया करें ताकि सभा का समय बच सके।

श्री के० रघुरामैया : प्रतिपक्षी दलों के नेताओं के साथ यही तय हुआ था कि प्रत्येक गुरुवार को हम सब मेरे कमरे में मिलकर जो भी विषय उन के मनों को आन्दोलित करते हो उन्हें आगामी सप्ताह की सभा की कार्यवाही में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे। आज इस बारे में बैठक 5½ बजे होगी। सभी आमंत्रित हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं स्वयं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य रहा हूं। परन्तु दुर्भाग्य से उक्त समिति में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। इस मामले में भी हम 10 बजे बाक्स में डालने आये हैं। पता नहीं मंत्री महोदय क्या निर्णय लेते हैं।

श्री के० रघुरामैया : मैं इसका ध्यान रखूंगा।

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1973-74
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1973-74

वर्ष 1973-74 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित माँगें (सामान्य) प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
	एक. **राजस्व से किया गया व्यय**	रुपये
1	कृषि विभाग	3,72,268
23	रक्षा सेवायें	1,15,60,974
33	स्टाम्प	34,15,000
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय . .	15,11,538
47	मंत्रिमण्डल	5,56,303
51	गृह मंत्रालय	24,55,725

1	2	3
53	चण्डीगढ़	2,64,591
54	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . .	19,19,131
55	अरुणाचल प्रदेश	1,71,16,981
56	दादरा और नागर हवेली	8,97,995
57	लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . . .	73,774
62	प्रसारण	29,49,538
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय . .	94,669
85	पर्यटन .	6,04,290
87	लोक निर्माण कार्य	2,24,20,333
93	पुरातत्वीय	5,15,264
	दो. पूंजी से किया गया व्यय	
13	आन्तरिक व्यापार विभाग .	23,985
15	समुद्र पार संचार सेवा	22,59,728
18	डाक और तार का पूंजी परिव्यय .	2,57,50,010
53	चण्डीगढ़	7,64,924
57	लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह .	1,70,977
80	खान विभाग . . .	3,292
90	परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान और विकास . . .	38,56,741

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य), 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1975-76

वर्ष 1975–76 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक माँगें (सामान्य) प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	रुपये	रुपये
	कृषि विभाग	10,00,000	—
	खाद्य विभाग	17,55,000	—

1	2	3	
	वाणिज्य मंत्रालय	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
11	वाणिज्य मंत्रालय . . .	19,62,000	—
12	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन . .	1,16,04,000	65,02,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
19	रक्षा सेवाएं—थल सेना .	92,12,13,000	—
20	रक्षा सेवाएं—नौसेना . . .	5,15,11,000	—
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना . .	11,29,70,000	—
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
24	शिक्षा विभाग . . .	8,00,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय		
27	ऊर्जा मंत्रालय .	89,000	—
28	विद्युत विकास . .	15,00,00,000	—
29	कोयला और लिगनाइट .	50,00,000	4,50,00,000
	वित्त मंत्रालय		
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	—	3,12,50,000
	गृह मंत्रालय		
52	दिल्ली . .	—	7,50,00,000
	उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय		
59	उद्योग .	—	20,00,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
63	सूचना और प्रचार . . .	1,000	—
	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
69	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . .	4,73,000	—
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
77	पत्तन, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन . .	7,87,87,000	24,73,00,000
78	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन .	—	2,19,21,000

1	2	3	
	इस्पात और खान मंत्रालय	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
79	इस्पात विभाग .	—	9,94,00,000
80	खान विभाग	1,00,000	—
81	खान और खनिज . . .	1,00,00,000	8,10,00,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
84	पुनर्वास विभाग	—	45,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
95	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं . . .	1,65,00,000	10,00,000
96	आणुविक शक्ति योजनाएं .	9,00,000	28,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग		
103	अन्तरिक्ष विभाग . . .	1,00,00,000	1,25,00,000

आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE. IMPORT AND EXPORT (CONTROL) AMENDMENT ORDINANCE

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक
ELECTION LAWS (EXTENSION TO SIKKIM) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में मंत्री (डा० वी० ए० सईद मोहम्मद): मैं प्रस्ताव करता हूं "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सिक्किम राज्य पर विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सिक्किम राज्य पर विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री वी० ए० सईद मोहम्मद : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE. ELECTION LAWS (EXTENSION TO SIKKIM) ORDINANCE

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मोहम्मद) : मैं निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तारण) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक
BEEDI WORKERS WELFARE CESS BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी बनाने के लिये दिये गये तम्बाकू पर उपकर के रूप में उत्पादन शुल्क उद्ग्रहण कर और सग्रहण करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी बनाने के लिये दिये गये तम्बाकू पर उपकर के रूप में उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक
BEEDI WORKERS WELFARE FUND BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्तपोषण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुये व्यक्तियों के कल्याण की अभि ृद्धि करने के उपायों के वित्त-पोषण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT ADDRESS– Contd.

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, एलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूर्व की भांति लम्बी चर्चा की गई है । इस बार भाषणों में तर्क देने की चेष्टा की गई है । राष्ट्रपति ने बीस सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया है । वाद-विवाद में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने भी उक्त कार्यक्रम का उल्लेख किया है । श्री सेझियान ने इस प्रसंग में प्रश्न किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या बना ? बीस सूत्री कार्यक्रम पांचवीं योजना के स्थान में नहीं लाया गया और न ही इस कार्यक्रम का योजना से कोई विरोध है । इस कार्यक्रम को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए । सबसे पहले इसमें तात्कालिक और लम्बे समय से उपेक्षित कार्यों को लिया गया है । इसमें अत्यन्त पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध विशेष कार्यों को प्राथमिकता दी गई है तथा उन्हें लागू करने पर अधिक जोर दिया गया है । तत्पश्चात् सिंचाई और बिजली आदि के दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं । इसमें अपराधों जैसे काला धन, तस्कर व्यापार को भी शामिल किया गया है । यदि इस कार्यक्रम को प्रत्येक स्तर पर निष्ठा और चतुराई से लागू किया जाता है तो इससे हमारी जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा ।

इसमें सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के समय में वृहद् विकास कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया गया है। जिससे बढ़ती हुई मुद्रास्फीति घटनी शुरू हो गई है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। यह एक तथ्य है और क्रियात्मक आदर्श है।

सदस्यों ने पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब का उल्लेख किया है। यह कहना गलत है कि हमने पांचवीं योजना को छोड़ दिया है। ऊर्जा के आन्तरिक संसाधनों के विकास, उत्पादन में बाधाओं को हटाने, बिजली और परिवहन की कमियों को दूर करने की चेष्टा की जायेगी। वास्तव में योजना के इन उद्देश्यों ने गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में देरी इस कारण हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और अधिक दृढ़ हो जाए जिससे हम और अधिक विश्वास और सुनिश्चितता के साथ योजना बना सकें।

यह कहना गलत है कि वार्षिक योजनाएं अभ्यास मात्र हैं। वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना के ढांचे के अनुरूप ही तैयार की जाती हैं और वह योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हमने मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण कर लिया है जिसके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था। इस समय मूल्य गत वर्ष की तुलना में 7 तिशत कम है।

मुद्रास्फीति रोकने सम्बन्धी हमारे प्रयत्नों में मिली सफलता से नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और योजना के स्वरूप में सुधार हुआ है। 1975-76 में हमने योजना के परिव्यय में 25 प्रतिशत वृद्धि की है। हम इसमें अगले वर्ष और वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं।

राज्य-योजनाएं, जिनका सम्बन्ध अधिकतर सिंचाई, बिजली, कृषि और समाज सेवाओं से है, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उथल-पुथल होने के कारण अस्थिरता के दबावों की तुलना में कम संवेदनशील हैं। फिर भी तमिलनाडु राज्य योजना को क्रियान्वित करने में बहुत पीछे रहा है।

मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य ने भी अपना योजना परिव्यय पूरा कर लिया है जो प्रतिव्यक्ति, परिव्यय की दृष्टि से तमिलनाडु सरकार से अधिक ऊंचा है। श्री कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के काल में तमिलनाडु राज्य का प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय सर्वोच्च रहा है लेकिन आज वह सबसे कम है। गत छः वर्षों में यह राज्य इतना गिर गया है फिर भी राज्य सरकार जनता को गुमराह करने की चेष्ट कर रही है। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि केन्द्र उनके मार्ग में अड़चनें डाल रहा है। यदि इस राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम पहले से ही क्रियान्वित करने का दावा किया जाता है तो इससे इस भ्रान्ति की पुष्टि हो जाती है। लेकिन मेरे लिये 20 सूत्री कार्यक्रम की विशिष्टता और इसमें निहित भावना इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि जनता का कल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता भले ही उसने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली हो। निर्धनों और पिछड़े लोगों को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों की निरन्तर खोज करनी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये सतत प्रयत्न किये जाने चाहिए।

पिछले छः महीनों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। खेतिहर मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य में 8.3 प्रतिशत की कमी हुई है। खरीफ फसल में 27 लाख टन अनाज की प्राप्ति हुई है जबकि पिछले वर्ष केवल 14 लाख टन की प्राप्ति हुई थी। इन छः महीनों में सरकारी क्षेत्र का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 31.5 प्रतिशत अधिक है। बेगार प्रथा को समाप्त करने का कार्यक्रम सर्वविदित है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बारे में भी जानते हैं। सिंचाई

सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। गोदावरी नदी के जल के बारे में समझौता एक नया स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण कदम है। शहरी सम्पत्ति के मूल्यांकन का कार्यक्रम चालू है तथा तस्करों की सम्पत्ति जब्त की जा रही है।

प्रतिपक्षी दल के एक सदस्य ने पूछा है कि यदि किन्हीं व्यक्तियों पर देशद्रोह का आरोप है तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता ? हमने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और न ही उनकी देशभक्ति पर संदेह व्यक्त किया है। खतरा एक व्यक्ति विशेष की गतिविधियों से नहीं था अपितु देश के बाहर और भीतर विघटनकारी तत्वों के समूह से था। उनकी राजनीतिक चुनौती को राजनीतिक ढंग से तथा असवैधानिक आन्दोलन को संवैधानिक ढंग से उखाड़ा गया है। प्रतिपक्षी दल अब कांग्रेस में फूट डालने में सफल नहीं हो सकते और न ही अफवाहों के फैलाने से कोई लाभ होगा। मैं अपने को सदा देश सेवक मानती रही हूं। भारत एवं विश्व की स्थिति के बारे में जो मूल्यांकन मैं करती रही हूं वे सही उतरे हैं।

मैं कुमारी मणिबेन को श्रद्धापूर्वक सुनती रही हूं। किसी ने यह नहीं कहा अथवा सोचा कि आपातस्थिति सही समाधान है। हम अपनी कमजोरियों से अवगत हैं। मैं यह भी जानती हूं कि कुछ लोग हमारे कार्यक्रम का पूरा समर्थन नहीं करते फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा किसी भी नीति पर समझौता नहीं हुआ है। कुमारी मणिबेन ने लोगों द्वारा शराब पिये जाने का उल्लेख किया है। मुझे पता चला है कि गुजरात विधान सभा के चुनाव के दौरान टैंकर द्वारा शराब का वितरण किया गया था। कुमारी मणिबेन का हिंसा में विश्वास नहीं है परन्तु यह हिंसा में विश्वास रखने वालों का साथ क्यों देते हैं। एक उम्मीदवार को जिन्दा जला दिया गया। हिंसा की कई घटनाएं घटीं तथा तीन व्यक्तियों की हत्या हुई थी।

कुमारी मणिबेन ने श्रीमती गायत्री देवी तथा श्रीमती सिंधिया का उल्लेख भी किया है। इन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया था। कुमारी मणिबेन ने न्यायपूर्ण निर्वाचन की बात की है। गुजरात के चुनाव में एक सरकारी अधिकारी जनता मोर्चे के बाक्स में 24 मतपत्र डालते हुए पकड़ा गया था। कई हजार हरिजनों को मतदान करने के लिये जाने से रोका गया। और ईसाइयों की पूरी बस्ती को तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मत दिये थे। आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के बारे में कुमारी मणिबेन ने जो मेरे वक्तव्य का उद्धरण दिया है वह सही है। परन्तु बाद में जो घटनाएं घटीं अपवादजनक थीं तथा उनके लिये हमें अपवादजनक और असामान्य कार्यवाही करनी पड़ी। भिन्न-भिन्न विचारधारा रखने वाले राजनीतिज्ञ, जिनका नेतृत्व जनसंघ कर रहा था, किस प्रकार से राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकता है।

श्री त्रिदिब चौधरी इस सभा के सम्माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों तथा कतिपय परिस्थितियों से लाभ उठाया है। हमें बार-बार यह बताया जाता है कि कांग्रेस के इतने भारी बहुमत में प्रतिपक्ष के कुछ सदस्य क्या कार्यवाही कर सकते हैं ? जब प्रतिपक्ष के लोग कार्यवाही में बाधा डालते हैं तब हमारे दल के लोग भी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। उनका कहना है कि यदि आप उनको चुप नहीं करा सकते तो हमें ही क्यों चुप रहने को कहते हैं। विश्व में जहां कहीं भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपनी स्थिति बना पाई हैं वे अल्पमत में ही हैं। क्या श्री त्रिदिब चौधरी ने क्षण भर रुक कर भी सोचा है कि जो रात दिन आरोप हमारे ऊपर लगाये जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अभी कुछ समय पूर्व जब मैं आ रही थी तो मुझे बताया गया कि श्री विश्वनाथन पर एक राजनीतिक दल के लोग लाबी में धावा बोल रहे थे... **(व्यवधान)**।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यदि मेरे दल के लोगों ने ऐसी कार्यवाही की है तब अध्यक्ष महोदय इसकी जांच के लिये समिति नियुक्त करें · · · · **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं विवाद में नहीं पड़ रही · · · · **(व्यवधान)**

श्री जी० विश्वनाथन : यह सदन साक्षी है कि जब मैं बोल रहा था तब न केवल मुझे रोका गया अपितु तमिल भाषा में गालियां भी दी गईं। लाबी में उन्होंने मुझ पर हमला करने की चेष्टा की · · · · · **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं कह रही थी कि मैंने घटना देखी नहीं, सुनी थी। परन्तु मुझे पता है कि चुनौतियां खुले रूप से दी जाती हैं। परन्तु जब ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है तब हत्याएं हो जाती हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिये क्या किया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि उनके भाषण समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाते। संसद म हम लोग सदस्य के रूप में बोलते है अथवा आम जनता के लिये ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोनों के लिये। हमें यहां जनता ने भेजा है। **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम यहां पर संसद् में अपना दृष्टिकोण रखते हैं।

एकाधिकार और एकाधिकारियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह सही है कि हम लाइसेंस नीति में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। छोटे तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन उन चन्द लोगों को रोकने के लिये किये गये हैं जो नियंत्रण तथा अन्य नीतियों के बावजूद भी अपने लिये लाभ कमा रहे थे।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, यह आज एक विवादास्पद प्रश्न है। लेकिन यह सच है कि श्रमिकों को उतना बोनस नहीं मिलेगा जितना कि अन्य देशों में मिलता है। लेकिन मैं यह नहीं जानती हूं कि क्या यहां औद्योगिक श्रमिकों का वेतन विश्व के अन्य देशों से बहुत कम है। किन्तु यह भी सच है कि जहां किसी उद्योग या कारखाने में घाटा होता है और उसे बोनस की निर्धारित मात्रा में भुगतान करना पड़ता है तो वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है।

मैं जबरन छुट्टियों और छंटनी के बारे में सदस्यों की चिन्ता में सम्मिलित हूं। कल ही इस सम्बन्ध में घोषणा की गई है कि शीघ्र ही इस बारे में कानून आने वाला है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : आपातस्थिति से कोई लाभ नहीं हुआ। मीसा के अंतर्गत एक भी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बारे में दो मत नहीं है।

मैं औद्योगिक श्रमिकों को बधाय देना चाहती हूं। उद्योग के सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। अभी हाल में मैं विशाखापत्तनम गई थी। अब गोदी कर्मचारी पहले की तुलना में तेजी से काम करते हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। मैं सशस्त्र सैनिकों की भी आभारी हूं जिन्होंने युद्ध में दृढ़ता और उत्साह दिखाया तथा शान्तिकाल में उत्साह से कार्य किया है।

प्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं विदेशी या स्वदेशी प्रेस के विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो उनमें प्रकाशित किये जाने वाले झूठे और बेबुनियाद समाचारों का विरोध करती हूं। कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कोई यह नहीं कहता कि प्रतिबन्ध लगा कर ठीक किया गया है। यदि आप भय तथा निराशा फैलाते हैं तो यह बात महत्व रखती है। इसके विरुद्ध इंग्लैंड में गत विश्व युद्ध के दौरान अथवा बाद में कानून था। अतः हमारे देश के लिए यह एक गम्भीर बात है। हम सब जानते हैं कि भारत में घटित घटनाओं के प्रति क्या रवैया अपनाया गया, सूखे की स्थिति, शरणार्थी समस्या, बंगला देश युद्ध या किसी आन्तरिक अथवा बाह्य समस्या के प्रति क्या रुख अपनाया गया।

आपातस्थिति के बारे में बोलते हुए कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि हम ने ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसका भविष्य में तानाशाह लोग लाभ उठायेंगे। क्या यही बात हमारे परमाणु परीक्षण के बारे में भी नहीं कही गई थी। क्या कोई विश्वास करेगा कि लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाले और परमाणु शक्ति का सैनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में विश्वास रखने वाले भारत या कांग्रेस से कुछ करने की आशा लगाये हुए थे? क्या उन देशों ने अपनी जनता की राय और विदेशी राय की परवाह किये बिना ऐसा कार्य नहीं किया और भविष्य में नहीं करेंगे? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कोई भी नहीं कहता कि ऐसा करना अच्छा है। इसके साथ साथ बहुत से सदस्यों न कहा है कि उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये। दुर्भाग्यवश हम इस सिद्धान्त से दूर भागते रहे। हमें इस भावना को पुनः लाना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में विदेश मंत्री ने विस्तार से उल्लेख किया है। मैं सभी देशों के साथ मित्रता के लिए निष्ठापूर्वक तथा लगातार प्रयत्न करने की हमारी इच्छा पर जोर देना चाहती हूं। हम सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं। परन्तु किसी भी देश को विश्व से मिटाया नहीं जा सकता।

मैं कहना चाहती हूं कि भारत जितना शक्तिशाली होता गया उसकी उतनी अधिक निन्दा करने का प्रयास किया गया। हमारे लिए अपनी सतर्कता में कमी करने का समय नहीं है। हम भले ही सदैव अमरीका से सहमत न रहे लेकन हम जानते हैं कि यह एक गतिशील राष्ट्र है, वहां के लोग गतिशील हैं जो सदैव नई विचारधारा को जन्म देते हैं चाहे यह शिक्षा, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ही क्यों न हो। मैं उन्हें उनकी द्विशताब्दी पर बधाई देना चाहती हूं।

श्री मनोहरन ने हिन्दी के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। इस प्रश्न पर यहां कई बार चर्चा की जा चुकी है। मैं अपने आश्वासन को दोहराना चाहती हूं कि हिन्दी को उन लोगों पर नहीं थोपा जायेगा जो उसे नहीं चाहते हैं। लेकिन हम महसुस करते हैं कि सभी भारत वासियों को किसी एक भारतीय भाषा का कम से कम काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिये ताकि हमें आपस में अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप न करना पड़े। देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। हमारे देश की सभी भाषाएं प्राचीन हैं। हम इनके विकास हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। हम हिन्दी को दूसरों पर थोपना नहीं चाहते।

श्री पटेल ने इस बात का उल्लेख किया है कि संविधान का कोई मसौदा परिचालित किया गया है जिसका मैंने कल उत्तर दिया था। बहुत से व्यक्तियों ने सुझाव, नोट, पत्र, तार आदि भेजे हैं। मैंने कहा है कि जो भी सुझाव आये हैं उन पर पूरी तरह विचार किया जाये। हम मात्र परिवर्तन

के लिए परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। दूसरी ओर यदि परिवर्तन आवश्यक है तो हमें उस हिचकना नहीं चाहिये परन्तु यह परिवर्तन उन लोगों के लिए न्यायोचित और उचित होना चाहिये जिन्हें अपने देश से वंचित रखा जा रहा है। यह परिवर्तन किसी पार्टी अथवा वैयक्तिक शक्ति के लिए नहीं होना चाहिये। हमें मानव जीवन तथा कल्याण और मानव स्वतन्त्रता के महत्व को ध्यान में रखना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने चुनावों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। चुनावों को छोड़ा नहीं जा रहा है। परन्तु चुनाव लोकतंत्र या जीवन का आदि और अन्त नहीं हैं। हमें इससे आगे देखना है। हमें देश की भलाई, आक्रमण अथवा दमन के विरुद्ध उसकी एकता तथा क्षमता अधिक उत्पादन करने तथा उत्पादन को निष्पक्ष रूप से बांटने की क्षमता की ओर भी देखना है। इन सब पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम विश्व के सामने केवल यह सिद्ध करने के लिए कि हम कितने बड़े लोक तांत्रिक हैं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दे सकते जिसमें ये सब बातें नकारा जायें।

गोल-मेल वार्ता का भी उल्लेख किया गया है। मेरा रुख कभी भी कड़ा नहीं रहा। आज के एक समाचार पत्र के शीर्षक में यह छपा है कि "मैं वार्ता नहीं करना चाहती।" मैंने कभी ऐसा नहीं माना कि कोई बात नहीं होनी चाहिये। मैंने आज अन्याय और उन बातों को अस्वीकार किया है जो देश की जनता और शक्ति के विरोध में जाती है। इसके विपरीत मैंने सदैव समझौते का तरीका ढूंढने का प्रयास किया है। हमारा यह प्रयास हमें संकट में लेड़बा क्योंकि विरोधी पक्ष ने इसे हमारी कमजोरी समझा और इससे लाभ उठाने की कोशिश की। हम ने सदैव अपनी इच्छा व्यक्त की है। यह कर्तव्य विपक्ष का है कि वह रुकावट और हिंसा का मार्ग छोड़ कर वार्ता का वातावरण बनाये।

हमारा उद्देश्य मजदूरों तथा किसानों की हालत सुधारना, शहरी लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। जहां एक ओर सरकार अथवा सत्तारूढ दल का यह कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और एकत्र होने की स्वतन्त्रता दे तथा प्रतिपक्ष को विधि पूर्ण कार्य करने दे वहां दूसरी ओर प्रतिपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह सरकार को विधिपूर्ण ढंग से कार्य करने दे। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में भी सोचना चाहिये। लोकतंत्र एकतरफ़ा बात नहीं हो सकती। यह तभी चल सकता है जब सभी वर्ग इसमें सहयोग दें तथा अपनी स्वतंत्रता पर उस सीमा तक अंकुश लगाने के लिए तैयार हों जिस सीमा तक उनकी स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता का हनन न करती है।

भारत माता उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के बोझ से दबी हुई है। वह न केवल गरीबी तथा बिमारियों से ग्रस्त है अपितु मानसिक जटिलताओं तथा विचारधाराओं, पुरानी आदतों, संकीर्ण विचारधारा, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, प्रान्तवाद की भावनाओं से भी पीड़ित है। आशा और विश्वास पैदा करना हमारा कर्तव्य है। यदि आप यह सोचें कि देश का कोई भविष्य नहीं तो आप उसके भविष्य के लिए करेंगे क्या। जब आशा तथा विश्वास होगा तभी आप बलिदान कर सकेंगे। भारतमाता का सिर ऊंचा हो इसके लिए हम विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों का सहयोग चाहेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किये गये। 117 संशोधन सभा के समक्ष हैं। क्या मैं उन्हें इकट्ठा सभा के मतदान के लिये रखूं ?

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन अलग से रखे जाएं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं भी चाहता हूं कि मेरे संशोधन भी अलग से रखे जाएं।

श्री भोगेन्द्र झा: मेरे संशोधन भी अलग से रखे जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 7, 8 और 9 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The Amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 16, 17, 19, 24 और 81 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The Amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० जी० मावलंकर द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 68 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

'किन्तु खेद है कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिये गये कई राजनीतिक तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों के नित्य प्रति तथा बढ़ते हुए हनन का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।' "

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha devided.

पक्ष में	38
विपक्ष में	225

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सेझियान द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 77 मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :––

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपात स्थिति को तत्काल समाप्त करने, नेताओं की रिहा करने तथा प्रेस स्वातन्त्र्य के उचित अधिकारों को बहाल करने का उल्लेख नहीं है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha devided.

पक्ष में : 35

विपक्ष में : 224

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।
The Amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा के समक्ष मुख्य प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 5 जनवरी, 1976 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनकी अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : सभा 14.15 बजे पुनः समवेत होने के लिये मध्याह्न-भोजन के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक-सभा 14.15 बजे तक के लिये मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.20 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at twenty minutes past fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

आयकर (संशोधन) विधेयक
INCOME TAX (AMENDMENT) BILL

राजस्व तथा बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसा कि सदस्य जानते हैं, गत वर्ष देश म भीषण बाढ़ का प्रकोप रहा है। गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जनता का भी सहयोग अनिवार्य हो गया था। इसीलिये लोगों को अधिक अधिक प्रोत्साहित करने हेतु जिससे कि वे प्रधान मंत्री सहायता कोष में अधिकाधिक योगदान कर सकें आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1975 जारी किया गया था। मूल अधिनियम के अनुसार कतिपय कोषों और दान संस्थाओं को मिलने वाले दान की 50 प्रतिशत राशियों को कर निर्धारण राशि में शामिल न करने का उपबन्ध है और यह राशि दानी की कुल आय का 10 प्रतिशत या 2 लाख रुपये जो भी कम हो, से अधिक पर छूट के लिये नहीं गिनी जायेगी। इस अध्यादेश द्वारा प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दी जाने वाली दान राशियों की कर-मुक्ति की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। और इससे यह कोष अब सूखा सहायता कोष, राष्ट्रीय सहायता कोष तथा जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष जैसा ही बना दिया गया है। यह विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान लेगा। आशा है कि इसके सराहनीय उद्देश्य को देखते हुये सभा सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आय कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : मुझे प्रधान मंत्री का सहायता कोष बनाये जाने पर आपत्ति नहीं है। परन्तु एक ओर चोर-बाजारियों, जमाखोरों आदि पर छापे मार कर काला धन निकाला जा रहा है यद्यपि अनेक सदस्यों के अनुसार 115 करोड़ रुपये का काला धन कुल छिपी राशि का केवल कुछ ही प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कहने का क्या आशय है ? विधेयक की विषय वस्तु से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री दिनेश जोरदार : इस कोष के लिये जो धन अनेक मुख्य मंत्रियों द्वारा एकत्र किया जा रहा है इससे राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ उठाया जा रहा है। इस प्रकार सत्तारूढ़ दल अपना काम बना रहा है। क्योंकि देखने में आया है कि मजिस्ट्रेट, एस० पी० और बी० डी० ओ० तक यह कोष एकत्र करने में लगे हैं जब कि 10—15 वर्ष पूर्व इसकी मनाही थी परन्तु अब मीसा का भय दिखा कर जिला-अधिकारी, कांग्रेसी कार्यकर्ता और मंत्री तक इस कोष के लिये धन बटोरने में लगे हैं। यह बहुत ही अनुचित बात है। हमें यह भी पता नहीं है कि यह सहायता किन लोगों को और किस रीति से बांटी जाएगी? मुझे इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस कोष का प्रयोग कब और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमें तो इतना ही ज्ञात है कि राजनीतिक, आपातकालीन, वित्तीय और अन्य सभी प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति अपने में केन्द्रित करता जा रहा है और वह है प्रधान मंत्री—इससे देश में तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। मैं इतना ही चाहता हूं कि यह कोष ऐसे एकत्र न किया जाये और इसका उपयोग सही ढंग से हो।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is proper that this fund has also been brought at par with Prime Minister's Drought Relief Fund, National Relief Fund and Jawaharlal Nehru Memorial Fund and through this Bill, people have been encouraged to donate generously to a

noble cause but the way donations have been extracted in certain Government departments by officials is highly objectionable. I know for a fact that in N.F. and Eastern Railway, officials extract donations from workers under duress. It should be stopped as this fund is entirely voluntary.

With these words. I support this Bill.

श्री इरास्मो द सैकेरा (मरमागोवा) : मुझे भी इस विधेयक के उद्देश्यों पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हाल ही में 'ट्रिब्यून' में छपे एक समाचार के अनुसार इस कोष से 5 करोड़ रुपये बिहार की बाढ़ सहायता के लिये देने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि इस राष्ट्रीय कोष का उपयोग पीड़ितों की सहायता न करके कांग्रेस दल अपनी सहायता करने में लगा रहा है और जनता में अपनी साख पुनः बनाने का प्रयास कर रहा है।

मैं कोई आश्वासन इस कोष को सही ढंग से चलाने के बारे में नहीं चाहता क्योंकि पहले दिये गये दर्जनों आश्वासन भी आश्वासन मात्र ही रहे हैं और 'मीसा' के राजनीतिज्ञों के विरुद्ध प्रयोग न किये जाने के आश्वासन के बावजूद आज 20 से अधिक संसद- सदस्य बन्द हैं। यद्यपि सत्ता-रूढ़ दल ने हमारी बातें न सुनने की कसम खा रखी है फिर भी, हम अपनी बात कहते जायेंगे कि शायद कभी इसका असर हो।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यद्यपि माननीय सदस्यों की इस निधि के संचालन सम्बन्धी आलोचना का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इसका आशय तो दान-राशि की अधिकतम सीमा हटाना ही है ताकि लोग इस कोष में खुले दिल से दान कर सकें। तथापि, यदि किसी सदस्य के पास कोई ठोस प्रमाण अनियमतता सम्बन्धी हो, तो जांच की जा सकती है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह दान पूर्णतया स्वेच्छिक है और जोर-जबरदस्ती का कोई प्रश्न नहीं है।

मेरा सभा से यही निवेदन है कि इस विधेयक को पास किया जाये क्योंकि इससे इस कोष में दान प्राप्त होगा जिससे विपत्ति के समय पीड़ितों की सहायता की जा सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 2 and 3, Clause 1, the Enacting formula and the long Title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक
DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट किया गया है, यह विधेयक दिल्ली विकास (सलाहकार परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों को भत्तों के संदाय) नियम, 1959 सम्बन्धी अधीनस्थ विधान समिति की सिफारिश लागू करने के बारे में है । इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियम बनाने, उसे सरकारी गजट में छापने और दोनों सदनों में नियम-विनियम रखने सम्बन्धी पुनरीक्षित विधि के अनुरूप बनाने के बारे में है ।

यह साधारण मामला है, अत: मैं सभा से इसे पास करने की सिफारिश करता हूं ।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : हमें इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु एक ओर इन सदस्यों के लिये भत्ते की व्यवस्था की जा रही है और दूसरी ओर दिल्ली को सुन्दर बनाने और इसे साफ करने के नाम पर 20–20 वर्ष पुरानी कालोनियां गिरा दी गई हैं और बेचारे निवासियों को अपना सामान तक हटा लेने का अवसर नहीं दिया गया ।

मंत्री महोदय को ये नियम बनाते समय ध्यान रखना होगा कि सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के भत्तों में अत्यधिक अन्तर न हो ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्वयं दिल्ली के होने के नाते वह दिल्ली के झुग्गीवासियों की

कठिनाइयों पर ध्यान दें और इतनी भीषण ठंडी में उन पर कुछ दया दिखाते हुये हजारों बच्चों को मृत्यु से बचायें क्योंकि इन बेचारे लोगों को केवल भूमिखण्ड दिये जा रहे हैं और उन्हें उजाड़ा जा रहा है ।

Shri M.C. Daga (Pali) : I first of all thank the hon. Minister that fifteen years after the Committee had made this recommendations he has brought this Bill enabling to provide for the framing of these rules.

It means that your executive agencies encroach upon your rights. When there was no provision for T.A. & D.A. in Delhi Development Bill, how did the officers get them ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विगत की बात हो गई । इसे अब सुधार लिया गया है और उन्होंने विधेयक प्रस्तुत कर दिया है । उन्होंने स्वीकार किया है कि गलती रह गयी थी । हमें यह निर्णय करना है कि उन्हें इसकी अनुमति दी जाये या नहीं ।

श्री मूल चन्द डागा : उसमें खेद व्यक्ति का एक भी शब्द नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक का उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विधेयक को देखें ।

श्री इराज्मु द सैकेरा (मारमागोआ) : पटेल नगर में नगर निगम ने ऐसे 600 मकानों को गिरा दिया जिन्हें जिन्होंने नियमित किया हुआ था, जिन्हें बिजली-पानी दी गई थी तथा वर्षों से गृह-कर लिया जा रहा था । एक स्वतन्त्रता सेनानी न्यायालय से रोकादेश ले आया किन्तु निगम ने उसका मूल्य रद्दी कागज के बराबर आंका । अधिकांश झुग्गी-झोंपड़ी वालों को इस घोर शीत में उत्तर प्रदेश की सीमा में भेज दिया गया । मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि शीत के कारण 4-5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

यदि आपात स्थिति में गरीब लोगों का इस प्रकार उद्धार किया जाना है, तो मेरी मांग है कि लोकतन्त्र को शीघ्र बहाल किया जाये ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : माननीय सदस्यों ने विधेयक को जो समर्थन दिया है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । कुछ सदस्यों ने यह सिद्ध करने का चेष्टा की है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोगों को निर्दयतापूर्वक हटाया है । दिल्ली की जनता के लिये जो सहानुभूति उन्होंने दिखाई है उसके साथ मैं स्वयं को सम्बद्ध करता हूं । दिल्ली का सदस्य एवं मन्त्री होने के नाते मैं इस बारे में सजग हूं ।

यह सही नहीं है कि झुग्गी-झोंपड़ियों से हटाये गये व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास नहीं दिये गये । उन्हें स्थायी तौर पर बसाया गया है तथा बिजली, पानी, नालियों, सड़कों की सुविधा दी गई है । यह भी सही नहीं है कि इन लोगों को 20–25 मील दूर भेजा गया है । उन्हें परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं ।

मकानों के गिराये जाने के बारे में लगाये गये ये आरोप भी सही नहीं हैं । कि कुछ स्थानों पर जहां मकानों के नक्शे मंजूर कर लिए गए थे वहां भी मकान गिरा दिए गये हैं । यहां सड़कों को चोड़ा करने की आवश्यकता थी और खुली जगह तथा पार्क आदि छोड़ना भी जरूरी था । किन्तु जिन लोगों को

हटाया गया है उन्हें अन्य स्थान दिए गये हैं । इस प्रकार लगभग 30,000 परिवार स्थायी रूप से बसा दिये गये हैं । यदि कोई सही मामला ध्यान में लाया जायेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाना है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक
SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कतिपय स्थापनों में विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवा की कतिपय शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले वक्तव्य से स्पष्ट है कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक का मुख्य उद्देश्य विक्रय संवर्धन में लगे व्यक्तियों को विभिन्न श्रमिक नियमों के लाभ पहुंचाना है । इस समय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार इन व्यक्तियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत कामिक नहीं माना जाता । विभिन्न विक्रय कार्यों में लगे व्यक्ति चिरकाल से इस की मांग करते आये हैं । राज्य सभा की याचिका समिति ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है । मेरे पूर्ववर्ती श्री खाडिलकर ने भी 3 मई, 1972 को उनकी मांग पूरा किये जाने का आश्वासन दिया था ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा विषय के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात् इस बारे में पृथक् कानून बनाना उचित समझा गया ।

यह विधेयक तुरन्त ही "मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज़" पर लागू होता है । परन्तु साथ ही इसमें अन्य उद्योगों या व्यापार कार्य में लगे बिक्री प्रतिनिधियों (सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्ज़) भी लागू करने का उपबन्ध किया गया है ।

इस अवसर पर मैं औषधि निर्माता प्रतिष्ठानों से आग्रह करता हूं कि वे अपने "मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज़" को गलत तरीके से तंग करना छोड़ दें । मैं चाहता हूं कि उन लोगों के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतिपय संस्थापनों के विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवा की कतिपय शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I support the Bill. But I would like to point out certain deficiencies of the Bill. This Bill has been brought here after a long over-due demand of the concerned employees for their inclusion under the provisions of Industrial Disputes Act 1947. The members of this House have been raising this matter from time to time. I am grateful to the Prime Minister for bringing this Bill now. There is, however, a deficiency in the Bill. The employees connected with production and distribution of medicines have been kept out side the purview of the Bill. All the employees engaged in the production sales and distribution should be treated as workmen and brought under the purview of this Bill.

The employees in receipt of pay exceeding Rs. 750 have also been kept outside the purview of the Bill. In view the high price level, this limit of income should be reviewed. I have, therefore, tabled an amendment that would cover the employees engaged with "production distribution and/or sales of drugs and pharmaceuticals partly or wholly or in any other notified industry."

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ध्यान रखना चाहिए कि विधेयक की तीन स्थितियां होती हैं । संशोधनों पर विचार करते समय आपको सामान्य सिद्धान्तों को नहीं लेना चाहिए ।

Shri Ramavtar Shastri : I have in my amendment proposed the removal of pay limit of Rs. 750. This amendment would benefit all the workers engaged in the drug industry The provision as incorporated in the Bill will wreck the unity of the workers and their unions will break.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सीरमपुर) : आज कुछ अस्वाभाविक घटना घटी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है । इस विधेयक पर दोनों ओर से पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है । चर्चा के लिये और समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह महत्वपूर्ण विधेयक है । बहुत समय से "मेकिल रिप्रेजेंटेटिव्ज़" औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के लिये आन्दोलन कर रहे थे । पिछले वर्ष इन लोगों ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन भी किये थे। राज्य सभा की याचिका समिति को एक याचिका भी दी गई थी । उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक श्रम मन्त्री ने रखा है । इसके लिये 750 रुपये वेतन की सीमा रखना उचित नहीं है इस सीमा को हटा दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय विधेयक पर खण्डवार विचार किया जा रहा है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विधेयक के इस पहलू पर अधिकारियों द्वारा अधिक सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिए था। सदस्यों को चर्चा का अधिक अवसर दिया जाना चाहिए था । इसे "मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज़" के अतिरिक्त औषधि उद्योग में लगे अन्य कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए । 'रिप्रेजेंटेटिव्ज़' शब्द की व्याख्या इसमें नहीं की गई है । विधेयक में यह स्पष्ट किया जाये कि यह लाभ किन व्यक्तियों को दिये जायेंगे ।

यदि सरकार चाहती है कि उद्योग में लगे सभी लोग इस व्यवस्था से लाभान्वित हों तो उसे इसकी सीमाएं हटा देनी चाहिएं और इसे सम्बद्ध कर्मचारियों पर लागू करना चाहिए । यह उपबन्ध किया जा रहा है कि उन्हें बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस मिलेगा, किन्तु बोनस अधिनियम तो अब है नहीं, उसके स्थान पर एक अध्यादेश जारी किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोनस का विषय बिल्कुल पृथक् मामला है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक खण्ड में व्यवस्था है कि उन्हें बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस दिया जायेगा । परन्तु बोनस अधिनियम को अध्यादेश द्वारा बिल्कुल बदल दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस अध्यादेश पर पृथक् रूप से चर्चा होगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : परन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का क्या बनेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : बोनस अधिनियम का जो भी स्वरूप हो वह उसी रूप में उन पर लागू होगा ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : "मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज़" को अधिक बोनस दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

Shri Narsingh Narain Pandey (**Gorakhpur**): The Bill came up for discussion even in the last session also. The employees connected with the sales promotion had given a representation to the Prime Minister. Two-thirds of the employees concerned with the sales promotion are working with the British drug manufacturing companies. The pay limit prescribed in Bill would not benefit large section of the employees working with the foreign companies as most of them are in receipt of more than the prescribed pay.

I would like that provision should be made whereby all these employees may be covered under the Industrial Disputes Act or defined as 'Workmen'. The views of their representatives may be considered and the Bill be postponed till the next session until their views are ascertained.

I would like the hon. Minister to please elucidate as to how the employees working in the foreign drug manufacturing companies would be covered under this Bill.

श्री इराज्मु द सैकेरा (मारमागोआ) : यह विधेयक आपात स्थिति से पूर्व तथा आपात स्थिति के दौरान भी सरकार के जल्दबाजी से काम करने के ढंग को भली प्रकार प्रकट करता हैं ।

यह सही है कि औषधि कम्पनियों के दफ्तर से बाहर कार्य करने वाले कर्मचारी लाभदायक श्रमिक कानूनों के लाभों से वंचित रहे हैं । इसी कारण सरकार से यह मांग की गई तथा संसद् में भी बहुधा इस

पर चर्चा हुई है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल औषधि बेचने वाले रिप्रेजेंटेटिव्ज ही ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें इन हालात में कार्य करना पड़ता है ।

किसी भी कम्पनी में बिक्री संवर्धन में लगे कर्मचारियों को लगभग उन्हीं हालात में कार्य करना पड़ता है जिनमें कि "मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज" को ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मैं समझता हूं कि हम सब स्वीकार करेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज को अन्य बिक्री संवर्धन में लगे कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन आदि मिलते हैं । इसलिये वैसी ही हालात में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिये भी वैसी ही सुरक्षा दी जानी चाहिए । इसके लिए आपको केवल छोटा सा एक संशोधन करना पड़ेगा ।

वह बहुत पुराना कानून है जिसके अन्तर्गत 750 रु० की सीमा निश्चित की गई थी । अब रुपये का मूल्य बहुत कम रह गया है । इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन हैं कि इस राशि को कम से कम 1000 रुपया कर दिया जाये । यदि कुछ लोग यही कार्य करते हैं तथा 1200 रुपये वेतन लेते हैं तो उन्हें इन लाभों से वंचित क्यों रखा जाये ? मैं समझता हूं कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करके विक्रय संवर्धन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों पर इसे लागू करे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 57वाँ प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS 57वां प्रतिवेदन

श्री प्रसन्नभाई मेहता (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि यह सभा 7 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 57वें प्रतिवेदन से सहमत है ।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा 7 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की 57वें प्रतिवेदन से सहमत है ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (तेलीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(नये अनुच्छेद 342 क का अन्त:स्थापन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 81 और 82 का संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
THE ADVOCATES (AMENDMENT) BILL
(धारा 24 का संशोधन)

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा विधेयक
COMPULSORY ADULT EDUCATION BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निधियों और सुविधाओं का तथा आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निधियों और सुविधाओं का तथा आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

शिशु, छात्र और युवजन (अधिकार और कल्याण) विधेयक
CHILDREN, STUDENTS AND YOUTH (RIGHTS AND WELFARE) BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिशुओं, छात्रों तथा युवजनों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके कल्याण का ध्यान रखने और उपकर उदग्रहण करने के लिए बोर्ड की स्थापना करने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि शिशुओं, छात्रों और युवजनों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके कल्याण का ध्यान रखने और उपकर उदग्रहण करने के लिये बोर्ड की स्थापना करने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (निरसन) विधेयक
Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill

श्री इराज्मु द सैकेरा (मुरमागोआ) : मैं आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री इराज्मु द सैकेरा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 80 का संशोधन और चौथी अनुसूची का लोप)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी द्वारा 2 मई, 1975 को पेश के किए गए निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री गोस्वामी जो उस दिन भाषण कर रहे थे, अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : जैसा कि मैं कह रहा था, मेरे विधेयक का उद्देश्य सभी राज्यों से राज्य सभा के लिए समान संख्या में सदस्य चुने जाने के लिए है और मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य से दस और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र से तीन सदस्य लिए जाएं जबकि राष्ट्रपति द्वारा पहले ही की तरह 12 सदस्य नामजद किए जाते रहे हैं ।

यद्यपि राज्य-सभा न बनाए रखने के पक्ष में संसार-भर में वाद-विवाद चल रहा है, तथापि अनेक प्रमुख देशों, विशेषकर संघीय प्रणाली वाले देशों में दो सभाओं वाली संसदें हैं । साथ ही, जहां कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों में राज्य-सभाएं विभिन्न राज्यों की विभिन्न संख्या से बनाई, जाती हैं, और शायद हमने भी इन्हीं देशों का उदाहरण अपनाया है, वहां अमरीका, आस्ट्रेलिया और सोवियत संघ जैसे देशों में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या समान होती है । राज्य सभा की रचना और उनके अधिकारों से ही उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है । वर्तमान प्रणाली से हमारी राज्य सभा में केवल सात राज्यों के सदस्य ही सभा में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं । 14 राज्यों के सदस्यों की संख्या केवल 45 है जबकि 11 राज्यों से 180 सदस्य चुने जाते हैं ।

जन संख्या के आधार पर लोक सभा में तो वह सदस्य चुने ही जाते हैं और यही उचित भी है परन्तु वर्तमान व्यवस्था से छोटे राज्य बड़े राज्यों से अलग पड़ जाते हैं । और उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती ।

राज्य सभा के अधिकारों की बात को लेकर मुझे अमरीकी 'सिनेट' जो वहां की राज्य सभा है, का उदाहरण देना होगा । वहां सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या भी समान है । सिनेट को राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों तक को अस्वीकार करने का अधिकार हैं और अब तक 60 संधियां रद्द की जा चुकी हैं ।

संविधान में भी विभिन्न राज्यों की समानता की चर्चा है परन्तु वास्तव में राज्य-सभा की रचना से यह बात सिद्ध नहीं होती । अतः छोटे राज्यों से आये प्रतिनिधि अपने को अल्प संख्यक और अपेक्षित पाते हैं । यदि लोक सभा और राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसी संख्या और

आधार पर होता रहे तो फिर राज्य सभा का अर्थ ही क्या रह जाता है ? यदि राज्य सभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा, तो छोटे राज्यों में से यदि केवल एक ही प्रतिनिधि राज्य-सभा में आए तो उसके लिए अपने राज्य की सभी समस्याओं को समझना और उन्हें सदन में रखना संभव नहीं होता। इससे राज्य सभा की उपयोगिता घट जाती है ।

मेरा सदस्यों से निवेदन है कि अब जब कि संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है, तो इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाये। मेरा यह विधेयक लाने का यही उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं :

"कि इस विधेयक को 7 मई, 1976 तक लोकमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

Sir, Shri Goswami has sought to give equal re presentation to all the States of the Union through his Bill and has half-heartedly argued in its favour, saying that a representative of a particular State cannot do justice to highlight all the problems of his State. I do not agree with as a person after this becoming a Member of such a august house as Parliament cannot think in terms of his State alone, rather he represents the entire country. Moreover, there is another Bill moved by Shri Chandrappan seeking abolition of the Upper House. I have many time said that Rajya Sabha should be expanded to give equal representation to all the States.

(श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए)
(SHRI G. VISHWANATHAN *in the Chair*)

I, therefore, feel that Members today are capable of highlighting the problems of all the States.

Anyhow, he has chosen a very opportune moment in bringing this Bill when a national debate on constitutional reforms is on. I therefore, propose that this Bill be circulated to elicit public opinion thereon.

In the end I request him to withdraw the Bill.

श्री जी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं श्री गोस्वामी के इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे उनके प्रस्तावित संशोधन के साथ-साथ सभा को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का भी अवसर मिला है।

राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व पर विचार करने से पूर्व हमें विचार करना होगा कि क्या हम वास्तव में दो सदनों वाली संसद् चाहते भी हैं या नहीं ? परन्तु यदि हमें संघीय व्यवस्था बनाये रखनी है तो ऐसी संसद् अनिवार्य हो जाती है।

संसद् के दूसरे सदन का सिद्धान्त, लोक सभा द्वारा आवेश, जोश या शीघ्रता में बनाये गये किसी कानून को शान्त मन से सोच-विचार के बाद उसमें संशोधन, परिवर्तन अथवा परिशोधन करना है, परन्तु यह सिद्धान्त मात्र ही है क्योंकि अधिकांश देशों में कानून सत्तारूढ़ दल द्वारा तैयार होते हैं और उसी के बहुमत से पास भी करा लिये जाते हैं। दोनों सदनों में एक ही प्रकार के भाषण और तर्क दिये जाते हैं और विधेयक लोक सभा द्वारा पास किये गये रूप में ही पास कर दिया जाता है।

यदि राज्य सभा किसी विधेयक से असहमत हो फिर भी दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में, क्योंकि राज्य सभा की सदस्य-संख्या लोक सभा से आधी ही होती है, लोक सभा मतदान द्वारा भी अपनी ही बात मनवा लेती है।

इसका अर्थ यही तो हुआ कि दो सभाओं वाली संसद् में एक सभा नेतृत्व करेगी और दूसरी उसका अनुसरण करेगी। विश्व के सभी संसदीय प्रजातंत्रों में, जहां भी दो सदन वाली व्यवस्था है, निचला सदन ही नेतृत्व करता और ऊपरी सदन को उसका अनुसरण करना पड़ता है।

ऊपरी सदन में अधिक अनुभवी तथा अधिक सुलझे हुए बुजुर्ग लोग होते हैं।

श्री अमृत नहाटा (बाड़मेर) : आपका मतलब है कि यह लोक सभा है और वह परलोक सभा है।

श्री पी० जी० मावलंकर : ऊपरी सदन में सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सेनापति तथा विद्वान लोग होते हैं लेकिन यह सदन साधारणतः हमारे सदन के निर्णयों से सहमत हो जाता है। सभी वित्तीय मामलों पर निचले सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा का बोलबाला होता है।

अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि दूसरा सदन आवश्यक है अथवा नहीं। प्रजातंत्रीय शासनपद्धति में निचले सदन का निर्णय सर्वोपरि होता है जैसे कि हमारे संविधान में भी व्यवस्था है।

श्री गोस्वामी का कहना है कि राज्य सभा में प्रत्येक राज्य की ओर से 3 तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की ओर से 10 सीटें होनी चाहिये। यह प्रस्ताव सही दिशा में एक कदम है क्योंकि इससे संघात्मकता के सिद्धान्त को कुछ हद तक पुष्टि होगी अर्थात् राज्य अपने दर्जे और अधिकारों के संदर्भ में आयकर तथा जनसंख्या की विभिन्नता के बावजूद भी उन्हें समान प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

हमारे संविधान में अर्धसंघीय ढांचे की व्यवस्था है। हमारी राज्य सरकारें अमरीका की राज्य सरकारों की अपेक्षा केन्द्र पर अधिक निर्भर करती हैं। श्री गोस्वामी का प्रस्ताव सही दिशा में एक कदम है क्योंकि हमारी राज्य सरकारें अनेक मामलों में केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती हैं।

प्रत्येक राज्य को राज्य परिषद् में 10 सीटें देने से ही काम नहीं चलेगा। राज्यों को वित्तीय आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र आर्थिक प्राधिकार तथा क्षेत्रों के संदर्भ में संगत स्वायत्तता जैसे अन्य अधिकार भी दिये जाने चाहिये। भारत को वास्तव में संघात्मक राज्य बनाया जाये क्योंकि हमारा देश जिसमें इतनी विविधता है कभी एकात्मक राज्य नहीं बन सकता।

श्री इराज्मु द सैकेरा (मारमागोआ) : मुझे खुशी है कि इस प्रकार के विधेयक का प्रस्ताव कांग्रेस दल के सदस्य की ओर से आया है। हर राज्य अपनी अपनी समस्याओं का सामना कर रहा है। वास्तव में इन राज्यों की समस्याएं लोगों की ही समस्याएं हैं।

मैं श्री गोस्वामी की इस बात से सहमत हूं कि राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व से लोक सभा में प्रकट किये गये विचारों को संतुलन मिलेगा।

संघ राज्यक्षेत्रों को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये ताकि उन्हें हर प्रशासनिक मामले के लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर न करना पड़े। हमें पश्चिमी जर्मनी के उस बुनियादी कानून को भी देख लेना चाहिये यह व्यवस्था है कि किसी भी सदस्य को किसी आदेश तथा निदेश द्वारा नहीं बांधा जा सकता और उसे अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ के अनुसार ही चलना चाहिये।

देश में प्रजातंत्र को मज़बूत बनाने के लिये हमें पंचायतों को क्रियाशील बनाना चाहिये तथा उन्हें संवैधानिक संस्थाएं बनाया जाना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंचायतें लगान वसूल करें तथा पंचायतों को एक नियमित जनसभा बनाया जाये जिसका अधिवेशन संसद् की तरह हो। इससे लोग प्रजातंत्र में रुचि लेंगे तथा इसका आश्रय लेंगे तथा कोई भी व्यक्ति इसका स्वरूप बदलने का प्रयास नहीं करेगा।

श्री अमृत नहाटा (बाड़मेर) : मैं इस बात से सहमत हूं कि एक संघीय संवैधानिक व्यवस्था में दो सदन वाली व्यवस्थापिकाओं का होना जरूरी है। ग्रेट ब्रिटेन में जिस आधार पर ऊपरी सदन की व्यवथा को अपनाया था, उसे हम अभी तक पूर्णतः नहीं अपना सके हैं। इस देश में रियासतों के कारण दूसरे सदन की व्यवस्था को अपनाया है। राज्य सभा के चुनाव राज्य विधान सभायें करती हैं जबकि लोक सभा सदस्य के चुनाव सीधे मतदाता करते हैं। इसी लिये इन्हें राज्य सभा तथा लोक सभा कहते हैं। संघीय गणतंत्र में ऊपरी सदन निचले सदन से अधिक शक्तिशाली होता है जैसे कि अमरीका में सीनेट अधिक शक्तिशाली होती है। वहां हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव उतना शक्तिशाली नहीं होता। सीनेट ने अनेक बार संधियों को स्वीकृति देने से इनकार किया। अतः किसी संघ में ऊपरी सदन निचले सदन से अधिक शक्तिशाली होता है। मेरे विचार में प्रस्तावक की इच्छा यह नहीं है। यह संघ नहीं है बल्कि संघीय गणतंत्र है। संविधान के रचयिताओं ने एकता और अनेकता के बीच अंतर रखा है।

हमारे संविधान में अनेकता की अपेक्षा एकता को अधिक महत्व दिया गया है। विभिन्न विषयों को केन्द्र और राज्य के बीच विभिन्न सूचियों द्वारा बांटा गया है। विषय का राज्य सूचि में होने के बावजूद भी केन्द्र को नीति निर्धारण तथा तालमेल लाने के लिये अनेक मत्हवपूर्ण कामों को करके तथा अनुसंधान करके कार्यक्रम तथा योजनायें बनानी पड़ती हैं। योजना को केन्द्रीय विषय बनाये रखना भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हमारे संविधान में राज्यों की अपेक्षा केन्द्र की शक्तियों को अधिक महत्व दिया गया है। मैं पूर्णतया संघीय राज्य के पक्ष में नहीं हूं। हम यही चाहते हैं कि भारत रूपी गुलदस्ते में अनेक राज्यों रूपी फूल अपने ही रंग रूपानुसार शोभायमान हों। हमारे यहां विभिन्नता में भी एकता बनी रहे, यही हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था और इसीलिए उन्होंने भारत को अर्द्ध संघीय राज्य बनाया।

पूर्णतया संघीय राज्य में, राज्यों को संघ के साथ अपने सम्बन्ध बनाये रखने या उनसे अलग होने का अधिकार होता है। अमरीका के संघीय देश में कई अन्य राज्यों ने अपना सम्बन्ध जोड़ लिया। हमारे यहां सभी राज्यों को समान दर्जा दिया गया है। मुझे अपने सभी राज्यों में द्विसदनों की प्रणाली का विशेष महत्व समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि दूसरे सदन को रखने की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। हम राज्यों को अलग प्रभुसत्ता देने के पक्ष में नहीं हैं। यदि संयुक्त

राज्य अमेरिका की तरह हम अपने राज्यों को प्रभुसत्ता देने लग गये तो इससे हमारी संघीय अखण्डता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। छोटे-छोटे राज्यों की अनेक नई मांगें हमारे सम्मुख उठ खड़ी होंगी।

राज्य सभा के सम्बन्ध में हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, वह पूर्णतया उपयुक्त ही है। समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करके राज्य सभा के गठन में कोई परिवर्तन करने से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा अपितु अनेक विषमताएं तथा नई समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। यदि प्रस्तावित पद्धति अपना ली जाती है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जबकि एक ही राज्य से लोक सभा के तीन सदस्य हों और राज्य सभा के दस। अतः इससे बहुत ही अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

हमारे देश की सार्वभौम आवश्यकता भावात्मक एकता तथा राष्ट्रवाद की भावना को बनाये रखने की है। अतः हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम संविधान के वर्तमान अर्द्ध संघीय रूप को बनाये रखते हुए, उसके एकात्मकता पर पूर्ण बल दें। इन सभी तर्कों के सन्दर्भ में मेरी यह सशक्त मान्यता है कि राज्य सभा के गठन में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी कथन में, प्रस्तावक श्री गोस्वामी ने इस तर्क पर बल दिया है कि समान प्रतिनिधित्व संघात्मकता का मुख्य उद्देश्य होता है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि समान प्रतिनिधित्व संघात्मकता का मुख्य उद्देश्य, अपितु अनेक उद्देश्यों में से एक होता है। वास्तव में यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे संविधान पंडितों के बीच भी काफी चर्चा हुई है, तथा इस पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। संवैधानिक मामलों के एक विशेषज्ञ ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक प्रवृत्ति से तो ऐसा लगता है कि राज्यों को समानता देना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है अपितु राज्यों को अधिक दर्जा देने की प्रवृत्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य लगता है। कथन में प्रस्तावक ने स्पष्ट कहा है कि राज्य की विविधता विभिन्न हित तथा राज्य का गठन करने वाली जनता को दृष्टिगत रखते हुए, ही राज्यों को दर्जा देने की प्रवृत्ति को सदन में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

मैंने इस सम्बन्ध में संविधान सभा में हुई चर्चा को पढ़ा है। वहां श्री के० टी० शाह के अतिरिक्त अन्य किसी भी सदस्य ने इसका उल्लेख नहीं किया था। तथ्य तो यह है कि राज्यों की विविधता तथा उनके विभिन्न हितों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ही राज्य सभा का गठन किया गया है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ही हम ने दो सभाओं की प्रणाली अपनाई।

राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, इस पर चर्चा भी काफी उपयोगी हुई है, परन्तु इसे स्वीकार करने के लिये संवैधानिक संशोधन अपेक्षित हैं जो कि एक साधारण बात नहीं है। संवैधानिक संशोधन केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये, जहां विषय इस प्रकार का विवादास्पद हो कि दोनों ही पक्षों द्वारा सशक्त रूप से तर्क दिये गये हों ऐसे मामलों में संवैधान के स्वरूप में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होगा। अतः इन परिस्थितियों में मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करता हूं कि वह विधेयक को वापिस ले लें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने कि इस चर्चा में भाग लिया तथा विशेष रूप से डा० सैयद मोहम्मद का, जिन्होंने सदन को पहली बार सम्बोधित किया है ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त नहीं है कि यह राज्यों के अधिकार बढ़ाने की दिशा में एक कदम है । हमारे देश में जहां कि इतनी अधिक विविधता है, इतनी केन्द्र विमुख शक्तियां हैं, वहां शक्तिशाली केन्द्र का होना बहुत ही अनिवार्य है और यही कारण है कि हमने दो सभाओं की प्रणाली को अपनाया ताकि केन्द्र विमुख शक्तियों के बीच संतुलन रखा जा सके। मेरी अपनी मान्यता तो यह नहीं है कि यदि कुछ राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया जायेगा तो उससे कभी न कभी सन्तुलन बिगड़ जायेगा। श्री डागा ने कहा है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है उसके बारे में तो यह बात ठीक लगती है परन्तु राज्य सभा के बारे में ऐसा होना चाहिये या नहीं यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मेरा एक विशेष दृष्टिकोण था और उस पर यहां काफी लाभदायक चर्चा हो गई। संविधान संशोधन, जैसा कि श्री सैयद मोहम्मद ने कहा, एक असाधारण प्रक्रिया है। अतः मैं अभी उसे अपनाने के लिये दबाव डालने की अपेक्षा, सदन की अनुमति से अपना संविधान (संशोधन) विधेयक वापिस लेना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : अब हमें श्री डागा के एक संशोधन के बारे में निर्णय लेना है। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 7 मई, 1976 तक के लिये मत जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जाये ।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक को वापिस लेने की अनुमिति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was negatived

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं विधेयक वापिस लेता हूं ।

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर शर्मा मद संख्या 10 पेश नहीं कर रहे हैं, अतः हम अगली मद लेते हैं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 22, 32 आदि का संशोधन)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मेरा विधेयक लगभग 3 वर्ष पहले पुरःस्थापित किया गया था । विधेयक का उद्देश्य तथा आवश्यकता उस समय से जब इसे पुरःस्थापित किया गया था, अब कहीं अधिक है । देश में अब आपात स्थिति है । विधेयक में पहला भाग स्पष्ट है । यह बड़े शर्म की बात है कि संविधान में ऐसे उपबन्धों की व्यवस्था है जिनके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये कितने ही समय तक नजरबन्द रखा जा सकता है । अब स्थिति और भी बुरी है । आपात स्थिति के उपबन्धों से न्यायालयों में जाने तथा नजरबन्दी आदेश के वैधता को चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है । संविधान के अनुच्छेद 19 को भी समाप्त कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है ।

जब मैंने विधेयक पेश किया था तो इसका उद्देश्य अनुच्छेद 22 के उप-खण्ड (1) और (2) के अधीन किसी नजरबन्द और/अथवा गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण देना था । संविधान में इस प्रकार का संरक्षण का उपबन्ध है कि उसे किसी मस्जिट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और उसकी गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे । यह अधिकार अब छीन लिया गया है । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मांग की थी कि आपातस्थिति को समाप्त किया जाये, सभी व्यक्तियों, विशेषकर संसद सदस्यों को तुरन्त रिहा किया जाये और राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबन्धों और प्रैस सेंसरशिप को हटाया जाये । वाद-विवाद का उत्तर देते हुये प्रधान मंत्री ने बताया कि यदि देश में आपात स्थिति लागू न की जाती तो हमें भारी खतरे का सामना करना पड़ता । यह सही नहीं है । ऐसा केवल सत्तारूढ़ दल को किसी न किसी प्रकार सत्ता में रखना है । इसी कारण आपात स्थिति की घोषणा की गई है । मेरे संशोधन का अभिप्राय है संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं होना चाहिये जिसके अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखा जा सकता है । देश के शत्रु के मामले में यह अपवाद हो सकता है ।

कहा गया है कि जहां तक भूमि के वितरण का सम्बन्ध है, आपात स्थिति ने प्राधिकारियों को काफी अधिकार दिये हैं । विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जमींदार को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है । हमारे राज्य में मोर्चा सरकार के समय 3 लाख एकड़ भूमि गरीब किसानों तथा भूमिहीन में बांटी गई थी । परन्तु बाद में इस भूमि को बेनामी पाया गया और उनसे यह भूमि छीन ली गई । यदि सरकार भूमिहीनों को भूमि देने के सम्बन्ध में गम्भीर है तो जमींदार को सरकारी जमीन पर अवैध अधिकार बनाये रखने के लिये किसी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । आज भी बटाईदारों को तंग किया जा रहा है । वे पैसा खर्च करते हैं, भूमि को जोतते हैं और फसल के समय जमींदार गुंडों, स्थानीय पुलिस तथा जिला अधिकारियों की सहायता से उससे फसल छीन ले जाता है । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

अनुच्छेद 311 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना है तो उसको बर्खास्तगी के कारण भी बताये जाने चाहियें। उस पर लगाये गये आरोपों को निराधार सिद्ध करने के लिये उसे पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये। अतः मैंने यह संशोधन पेश किया है। अब सरकार किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त कर सकती है और वास्तव में किया भी है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 15 कर्मचारियों को आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। नजरबन्दी के दौरान राज्यपाल ने बिना कारण बताये उन्हें नौकरी से मुअत्तल अथवा बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं? वे नहीं जानते। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत वे न्यायालय भी नहीं जा सकते। इसी प्रकार त्रिपुरा में 21 कर्मचारियों को मुअत्तल और बर्खास्त किया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सरकारी उपक्रमों अथवा संस्थानों के कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।

मैं संविधान के उपबन्ध में आमूल परिवर्तन चाहता हूं। आपात स्थिति में आपका ध्येय भूमिहीनों को भूमि देना है। इस विधेयक का उद्देश्य भूमिहीन व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देना है कि जिस व्यक्ति को सरकार से जमीन मिली है, उन्हें कोई भी न्यायालय वहां से उठाने का निर्णय नहीं दे सकता। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिये जिसमें राज्यपाल या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी को बिना कारण बताये और उसे अपने बचाव में सफाई देने का अवसर दिये बिना बर्खास्त कर सके।

श्री एन० के० पी० साल्वे (बेतूल) : इस विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 22, 32, 226 और 311 का संशोधन करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 22 में नागरिकों को गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 22 की उपधारा (3) में कुछ वर्गों को दी गई सुरक्षा समाप्त करने की व्यवस्था है। विधेयक के प्रस्तुतकर्ता के अनुसार संविधान से इस अनुच्छेद का लोप किया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिये।

गत छः महीने का समय हमारे देश के लिये स्वर्ण युग रहा है। राष्ट्र कुंठा, निराशा और उदासीनता के वातावरण से बाहर निकल आया है। यह सब नजरबन्दी को प्रबल तथा प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के कारण ही सम्भव हुआ है। यदि ऐसा पहले किया होता तो आज नक्शा कुछ और होता। नजरबन्दी की इस व्यवस्था का प्रयोग सरकार ने देश के उन घातक तत्वों को समाप्त करने के लिये किया जो सत्याग्रह का रास्ता न अपनाकर खुले रूप से गैर-कानूनी, हिंसा, अव्यवस्था तथा आतंक का रास्ता अपना रहे थे। यदि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो मेरे विचार में यह उपबन्ध वरदान सिद्ध हुआ है।

खण्ड 3 और 4 में दी गई भावना से सहमत हूं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों तथा शक्ति को नियंत्रित करना होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों और प्राधिकारों की पूर्ण समीक्षा की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के खण्ड 3 और 4 में उल्लिखित मामलों की समीक्षा करने के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को वंचित रखा जायगा।

श्री दिनेश जोरदर (मालदह) : विधेयक का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के लोगों के, जो हमारे देश की जनसंख्या का 80–85 प्रतिशत हैं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की तथा किसानों,

श्रमजीवी वर्ग, सरकारी तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के अधिकारों की गारन्टी देना तथा काम करने के उनके अधिकारों की गारंटी देना और देश के नागरिकों की नागरिक स्वतन्त्रता और लोकतंत्री अधिकारों की गारंटी देना है ।

निर्माण, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : आज 5·30 बजे मेरे कमरे में एक मीटिंग है जिसमें मैंने विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी आमंत्रित किया है । यदि आप सभा स्थगित होने के लिये सहमत हों तो यह अच्छी बात होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 12 जनवरी, 1976/22 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, January 12, 1976/Pausa 22, 1897 (Saka).

———

GMGIPND—Job I—2335 LS—15-3-76—200